खण्ड-291, अंक-8
मंगलवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(24 अगस्त, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	९३३–९३७
प्रश्नोत्तर	९३७–९६१
विविध विषय	९६१–९६४
श्री मोतीलाल देहलवी तथा कुछ अन्य कतिपय सदस्यों के विरुद्ध कत्ल का कथित आरोप तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना	९६४–९७३
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को वापस लेने के प्रस्ताव पर विधान परिषद् की सहमति की सूचना ..	९७३
२० जुलाई, १९७१ के तारांकित प्रश्न ६ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन	९७४–९७५
इलाहाबाद जिला परिषद् की बी० टी० सी० के अभ्यार्थियों के चयन में अनियमितता रोकने के सम्बन्ध में वक्तव्य के स्थगन की सूचना ..	९७५
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९७१ (पुरःस्थापित किया गया)	९७५
इलाहाबाद जिला परिषद् के १९७१ को बी० टी० सी० के अभ्यार्थियों के चयन में अनियमितता होने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग ..	९७५–९७६
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४––बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५४––ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	९७६–९९८
अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३२––सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८––बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (जारी)	९९९–१०२८
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	१०२८–१०२९
इंडियन एक्प्लोसिव्स लिमिटेड, पिनकी, कानपूर में फर्टीलाईजर के श्रमिकों की हड़ताल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना ..	१०२९
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	१०२९–१०३३
थाना चौक (लखनऊ) के श्री इन्द्रपाल सिंह, हेड मुहर्रिर द्वारा श्री नन्हा और उसकी बहन की पिटाई कराये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	१०३३–१०४०
एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा ट्रैक्टरों को एलाट किये जाने के विषय में १० अगस्त, १९७१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त)	१०४०–१०४६
नत्थियां	१०४७–१०६५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक २४ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, दुबे श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
कोजी जलील अब्बासी, श्री
काजी महमूद, श्री
किशनलाल, श्री
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ, दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुरराम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम, सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशनारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी

रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति, 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रुपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री

सन्तराम श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंस राज, श्री (उर्फ हंसा) श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा)
फतेहाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट---पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अधिकतम जोत सीमा कानून बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजा गया कथित पत्र

**१---श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या राज्य मन्त्री बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कोई पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मन्त्री को भेजा है कि जिसके द्वारा १० एकड़ तक अधिकतम जोत सीमा का कानून बनाने का निर्देश है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस आशय का विधेयक इसी सत्र में सदन में प्रस्तुत करेगी, यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)---

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई पत्र मुख्य मन्त्री के पास प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को मालूम है कि भूमि सुधार समिति ने १० एकड़ जमीन की सीलिंग करने की सिफारिश की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा (राजस्व मंत्री)--

हमारे पास इस किस्म की कोई सिफारिश नहीं आई है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

क्या राजस्व मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और उसमें जो अधिकतम जोत सीमा केन्द्र ने रखी उसका विरोध अधिकतर मुख्य मन्त्रियों ने किया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, वहां पर क्या तय हुआ, यह मुझे मालूम नहीं है। सर्वसम्मति से वहां क्या तय हुआ, इसकी भी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सीलिंग के मामले में यह शासन आश्वासन देकर ही टालता रहा है तो क्या यह शासन इसी सत्र में कोई विधेयक इसके बारे में लाने पर विचार कर रहा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर इस सत्र में तो लाना सम्भव न होगा लेकिन जल्द से जल्द लाने का प्रयास किया जायगा। जरूरत होगी तो अध्यादेश के जरिये से लाया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि अधिकतम जोत की सीमा हमारे देश में आजकल कितने एकड़ की है और क्या प्रदेशीय सरकार उसमें कुछ हेरफेर करने पर विचार कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

आज की स्थिति यह है कि हमारे यहां अधिकतम जोत की सीमा ४० एकड़ है। वह भी सब जगह एक सी नहीं है। यह देखा जाता है कि किस के पास किस किस्म की जमीन है। जहां का सर्किल रेट ६ रुपया है वहां कम है, जहां पर ४ रुपया सर्किल रेट है वहां ड्योढ़ी है और जहां सर्किल रेट २ रुपया है वहां दुगुनी है। इसके साथ ही साथ परिवार के अनुसार भी उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह तो आज की हालत है। इसमें परिवर्तन करने का हमारा इरादा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसको एक से अधिक बार कहा जा चुका है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

क्या सरकार ने गत लोक सभा के सत्र में कृषि राज्य मंत्री की इस घोषणा का कि विभिन्न राज्यों में सिंचित भूमि की अधिकतम जोत सीमा १० और १८ एकड़ के बीच में रहेगी नोटिस लिया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। अखबार में जो निकला है उसका नोटिस लिया है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी स्वतः अपनी राय से उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक जोत सीमा कितनी रखना चाहते हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मेरी स्वतः राय कोई माने नहीं रखती।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या २, माननीय महीलाल।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी यह व्यवस्था है कि प्रश्नकर्त्ता को कम से कम तीन सप्लीमेंटरी करने देंगे। मेरे अभी दो ही हुये हैं। इसलिय एक और पूछने दें।

श्री अध्यक्ष---

अब इसमें पूछ लीजियेगा, आपको इजाजत दे दूंगा।

जोत सीमा निर्धारण के संबंध में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति द्वारा [illegible] की गई कथित संस्तुति

**२---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने अपनी कोई संस्तुति कुछ ही समय पूर्व राज्य शासन को जोत सीमा निर्धारण के संबंध में भेजी है। यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या हैं ?

श्री काजी जलील अब्बासी---

अभी तक ऐसी कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री महीलाल---

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं। उनको मंत्री जी ने पढ़ा है या नहीं ? अगर पढ़ा है तो क्या वह इससे सहमत हैं कि भूमि की सीमा १० से १५ एकड़ तक होनी चाहिये।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, मैंने उसे अवश्य पढ़ा था और पढ़ने के बाद अपने यहां लिखकर मंगाया भी है। जब वह आ जायगी उसके बाद जो कमेटी बनी है वह और फिर दल उसके ऊपर निर्णय लेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

तमिलनाडु और केरल में कितने एकड़ तक सीलिंग है और क्या माननीय मंत्री जी उसको अपने यहां लागू करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

हमने वहां का ऐक्ट भी मंगाया है और वहां की सीमा को भी देख रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

इस प्रदेश में लगभग दो साल से सीलिंग का मसला उठ रहा है। मंत्री जी ने इस मसले पर बहुत विचार किया होगा। तो क्या जीवन स्तर को बढ़ते हुये देखने के बाद मंत्री जी ने यह भी सोचा है कि कम से कम ५०० रुपये माहवार इन्कम वाली जमीन किसान को देना चाहिये ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जब सीमा निर्धारण करने लगेंगे तो इन सब बातों पर विचार करेंगे।

श्री महीलाल--

शासक दल की इस नीति की घोषणा होने के पश्चात कि निकट भविष्य में प्रान्तीय सरकारें सीलिंग का बिल लाने वाली हैं इससे भयभीत होकर बड़ी जोत वालों ने अपनी जमीनें ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, तो क्या माननीय मंत्री जी ट्रांसफर न होने पाये इसके लिये कोई आर्डिनेंस निकट भविष्य में निकालने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

आर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बिल ही बहुत जल्दी लाने वाले हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिये कोई कमेटी बनायी है ? यदि हां, तो उसके मेम्बर कौन-कौन हैं और उसके सामने क्या-क्या मसले हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

उसमें वित्त और विद्युत मंत्री, वन, समाज कल्याण मंत्री, खाद्य और रसद मंत्री, सिंचाई मंत्री हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उसके सामने कौन-कौन से मसले विचाराधीन हैं। यानी उसका टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

सीलिंग से सम्बन्धित सारे विषय उसके विचाराधीन हैं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जमीन की सीलिंग दो बार हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुये ऐसी योजना पर विचार करेंगे कि शहरी सम्पत्ति और देहाती सम्पत्ति के मूल्य में एक ही रेशियो के अनुसार दोनों जगह की सीलिंग की जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

हम शहरी सम्पत्ति के ऊपर भी सीमा निर्धारित करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस किस्म का विचार नहीं किया गया है कि यहां पर जो सीमा निर्धारित करेंगे उसकी जो कीमत होगी वह उस कीमत के साथ सम्बन्धित होगी जो देहात की है। इन दोनों की अलग-अलग कीमत हैं।

श्री महीलाल--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बड़ी तेजी से जो इस समय ट्रान्फर हो रहे हैं उन पर कोई रोक लगाने को तैयार नहीं हैं तो क्या इसी अधिवेशन में उस विधेयक को ला रहे हैं जिससे अधिक से अधिक भूमि जल्दी भूमिहीनों को बांटने को मिल सके ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं बीच में ही स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिनके पास ज्यादा जमीन हैं अगर यह ट्रांसफर कर रहे हैं तो यह तो स्वयं ही समाजवाद आ रहा है इसको रोकने की क्या आवश्यकता है ?

उदित नारायण शर्मा--

जब यह कानून बनाया जायगा तो उसमें इस बात पर भी विचार किया जायगा कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं या जो भूमि के हस्तान्तरण हुये हैं वह किस अवधि तक माने जायं और किस अवधि तक न माने जायं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब कितने दिनों में आप यह विधेयक ला रहे हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया कि बहुत ही शीघ्र लायेंगे। जितनी जल्दी आप सोचते होंगे उससे भी जल्दी लायेंगे।

श्री महीलाल--

मेरा निवेदन यह है कि निश्चित समय उसके लिये बतला दें कि आप इसी सत्र में लायेंगे या नहीं? शीघ्रातिशीघ्र का मतलब तो बहुत व्यापक है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया कि इस सत्र में लाना तो सम्भव नहीं है।

फैजाबाद एवं रुहेलखण्ड डिवीजन में मेडिकल कालेज की स्थापना

**३--श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत फैजाबाद डिवीजन के किसी जिले में एव रूहेलखंड डिवीजन के किसी जिले में जहां कोई मेडिकल कालेज नहीं है खोलने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)--

जी नहीं। सीमित वित्तीय साधनों के कारण अभी फैजाबाद या रुहेलखण्ड डिवीजन में कोई मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज किन-किन आधार पर कहां-कहां खोले जाते हैं?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में २ मेडिकल कालेज खोलने का प्राविधान था और उसके अनुसार झांसी और गोरखपुर में २ खोल दिये गये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

श्रीमन्, मैंने तो यह जानना चाहा था कि प्रादेशिक सरकार मेडिकल कालेज किन-किन आधार पर खोलती है?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न फैजाबाद और रुहेलखंड डिवीजन के बारे में था और यह आप नीति पर जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

यह जो मेडिकल कालेज खोले जाते हैं वे किन चीजों को आधार मान कर खोले जाते हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

मेडिकल कालेज के विषय में जो योजना बनाई जाती है वह जहां अधिक आवश्यकता होती है उसी के अनुसार बनाई जाती है और वहीं खोले जाते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मंत्री जी कृपया बतायें कि यह झांसी और गोरखपुर के दोनों मेडिकल-कालेज आज कल किस स्थिति में चल रहे हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

झांसी का मेडिकल कालेज लगभग बन चुका है, जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है सन् ६८ से ५० विद्यार्थी प्रति वर्ष मेरठ मेडिकल कालेज में झांसी के लिये प्राविजन किया जाता है और उनका वहां प्रशिक्षण होता है। इस वर्ष आशा है कि वह बन कर तैयार हो जायगा और इस साल का दाखिला हम झांसी में ही करेंगे। गोरखपुर का मेडिकल कालेज बनने का भी काम शुरू हो गया है और आशा है कि वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बनकर तैयार हो जायगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फैजाबाद मंडल पिछड़ा होने के कारण वहां के लिये भी एक मेडिकल कालेज स्थापित करने के बारे में वह विचार करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

यों तो हमारे सभी डिवीजन्स में एक-एक मेडिकल कालेज हो जाय तो बहुत अच्छी बात होगी और जितने साधन होंगे उनके अनुसार किया जायगा। फैजाबाद और रुहेलखंड डिवीजन में भी मेडिकल कालेज हों यह अभी संभव नहीं है इस पंचवर्षीय योजना में दो ही बन सकेंगे और उनको बना रहे हैं। जो भी प्रोग्राम आगे का होगा अगली पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित होगा लेकिन इस योजना में अन्य कालेज बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस बात को देखते हुये कि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है और उसमें भी फैजाबाद डिवीजन बहुत ही पिछड़ा हुआ है क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से मांग करेगी कि वह वहां पर मेडिकल कालेज खोलने के लिये अविलम्ब सहायता दे ताकि चौथी योजना के अतिरिक्त वहां मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी तो पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने की बात चल रही है। यदि हमें और साधन मिल जायं तो सरकार को इस डिवीजन में भी मेडिकल कालेज खोलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे प्रदेश में जितने भी मेडिकल कालेज खुलें, उतनी हमारी चेष्टा होगी।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि गोरखपुर मेडिकल कालेज चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूरा होगा। झांसी में अभी ४० विद्यार्थी मेरठ मेडिकल कालेज की संख्या मान कर भर्ती करते हैं तो उसी प्रकार से गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए लखनऊ और वाराणसी में भर्ती करना शुरू कर देंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

हमारी योजना है कि अगले सत्र से प्रथम वर्ष के छात्रों को भर्ती कर सकेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगी कि वे रुहेल खंड डिवीजन को इस बात के लिए प्रायारटी देंगी क्योंकि वह शिक्षा में भी सबसे पिछड़ा हुआ है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

पर्वतीय क्षेत्र के बाद रुहेलखंड को प्राथमिकता दी जायगी।

तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में बाढ़ से पशुओं का बीमार होना तथा मृत्यु

४--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा-बझेड़ा में रामगंगा नदी में भयानक बाढ़ आने से हजारों मवेशी बीमार हो गये तथा सैकड़ों नित्य प्रति मर रहे हैं? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जहां परगनाधिकारी तिलहर बी० डी० ओ० व अन्य नायब तहसीलदार दिन रात पानी में खुद घूसकर राहत कार्य कर रहे हैं वहां डी० एल० ओ० महोदय परगनाधीश की सूचना के बावजूद भी आज तक मौके पर नहीं पहुंचे और चिकित्सा के अभाव में हजारों पशु बीमार हो गये तथा सैकड़ों मर गये? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)--

पशुपालन विभाग को प्रारम्भ में केवल मवेशियों के बीमार हो जाने ही की सूचना है।

बीमारी के फैलने की सूचना जिला पशुधन अधिकारी को परगनाधीश, तिलहर द्वारा नहीं वरन् बी० डी० ओ०, जैतीपुर द्वारा मिली थी और वह उनको १३ अगस्त को प्राप्त हुई थी। सूचना के मिलते ही उन्होंने पशु चिकित्सक, कटरा को वहां तुरन्त जाने का आदेश दे दिया और पशु चिकित्सक दवाइयां आदि सहित अगले दिन वहां पहुंच गये। १६ अगस्त को जिला पशुधन अधिकारी स्वयं भी दवाइयां लेकर ग्रसित क्षेत्र में पहुंच गये तथा आवश्यकतानुसार कुछ दवाइयां खेड़ा के ग्राम प्रधान के पास भी उपचार हेतु रखवा दीं।

जिला पशुधन अधिकारी के मौके पर जाने के समय खेड़ा के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों ने केवल यह सूचित किया कि उक्त क्षेत्र में लगभग ६ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, परन्तु उन्होंने उनमें से किसी भी गांव में घातक संक्रामक रोग के फैलने की कोई सूचना नहीं दी है।

बाढ़ आने से पूर्व ही उक्त क्षेत्र में मुंह-खुर-पका रोग फैल गया था और उसके रोक-थाम के लिये बाढ़ से पूर्व ही व्यवस्था कर दी गई थी। इस रोग से किसी पशु के मरने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

वर्षा ऋतु में मवेशियों में गलाघोंटू बीमारी फैलने की सम्भावना रहती है। विभाग ने बाढ़ आने से पूर्व ही इसकी रोकथाम की व्यवस्था कर दी थी।

वर्णित परिस्थिति में किसी अधिकारी पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तिलहर म जानवरों की बीमारी के लिए कितने टीके लगवाये गये?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस इलाके में २२,४४१ टीके लगाये गये थे जुलाई, ७१ के पूर्व।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह बीमारी प्रदेश भर में फैली हुई है। उसको देखते हुए इस प्रदेश के लिये ऐसे आदेश निकालेंगे जिससे व्यापक रूप से फैली हुई इस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

श्रीमन्, प्रदेश में कहीं से भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि गला घोंटू बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जहां कहीं से भी ऐसी शिकायतें आई हैं उनके लिये प्रबन्ध कर दिया गया है। बरसात में यह रोग फैल जाया करता है उसका उपचार पहले नहीं होता है। जब यह रोग होता है तभी उसका उपचार भी होता है। हमारे पास जहां से भी सूचनाएं आई हैं उनका प्रबन्ध कर दिया गया है।

राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ आने के बाद वे बतायें कि पशु अधिकारी वहां कब गये?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मैंने जवाब में ही बता दिया कि १३ अगस्त को चिट्ठी मिली और वे १६ अगस्त को पहुंच गये। वहां पर अन्य कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये थे। दवाओं का भी प्रबन्ध कर दिया गया था इससे पहले ही जुलाई के महीने में टीके लगा दिये गये थे बाढ़ आने के पूर्व ही।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से यह बतायेंगे कि यहां के अधिकारियों ने निश्चित रूप से दवायें किस तिथि पर भेजीं। क्या वे दवायें १५ जुलाई से पहले भेज दी गई थीं और टीके लगा दिये गये थे?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, कहां दवायें भेज दी गयी थीं यह कैसे बताया जा सकता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अध्यक्ष, नगरपालिका बरेली के निवास-स्थान पर प्रदर्शन

*१--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अगस्त, १९७१ को बरेली के नागरिकों ने अध्यक्ष, नगरपालिका के यहां जाकर हजारों की तादाद में प्रदर्शन किया जिसको तितर-बितर करने को पी० ए० सी० को हस्तक्षेप करना पड़ा? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

अध्यक्ष, नगरपालिका, बरेली के निवासस्थान पर १ अगस्त, १९७१ को कुछ व्यक्तियों न प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में पुलिस अथवा पी० ए० सी० द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं

किया गया। अध्यक्ष नगरपालिका, बरेली ने सूचित किया है कि उनको कोई मांग-पत्र नहीं दिया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, जब प्रदर्शन किया गया तो कोई तो उनकी मांगें रही होंगी क्योंकि बगैर मांगों के प्रदर्शन नहीं होता। उनकी क्या मांगें थीं?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

अध्यक्ष, नगरपालिका को कोई मांग-पत्र नहीं दिया था लेकिन जानकारी यह हुई है कि उनकी मांगें थीं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनको पढ़कर सुना दूं। श्रीमन्, इसमें १६ मांगें हैं।

श्री अध्यक्ष--

बस इतना ही ठीक है। लोकल वाडीज के सवाल में इतना ज्यादा विस्तार नहीं पूछना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १६ मांगें थीं उनमें एक प्रमुख मांग यह भी थी कि मुहल्ले में गन्दगी इकट्ठी है और वह वहां से हटाई नहीं जा रही है जिससे बीमारी फैल रही है?

श्री धर्म दत्त वैद्य--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सफाई की व्यवस्था की जा रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछली सरकार ने यह आदेश दिये थे कि अध्यक्ष, नगरपालिका सफाई कराने में नाकाबिल रहे हैं लिहाजा जिलाधिकारी स्वयं सफाई कराएं और जो खर्चा हो वह नगरपालिका से वसूल किया जाय?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

ऐसी कोई मेरी जानकारी नहीं है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बरेली शहर के एम० एल० सी० मौलाना अब्दुल रऊफ ने कई दफा इस बात को लिखकर दिया था कि वहां के चेयरमैन दानिश्ता तौर से कुछ जगहों पर मैले का ढेर लगवा देते हैं और इस तरह से लोगों को तंग करते हैं? और क्या उसको सफाई का कोई इन्तजाम किया गया? और नहीं किया गया तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्री अब्दुल रऊफ, एम० एल० सी० के मकान के निकट एक मले का डलाव है। पिछले कई वर्षों से बराबर यह प्रयत्न होता रहा है कि इसको कहीं दूसरी जगह हटाया जाय,

[श्री धर्मदत्त वैद्य --]
लेकिन किसी दूसरी जगह कहीं कोई रखने नहीं देता है। यह कठिनाई है। नगरपालिका और अध्यक्ष बराबर इस प्रयास में है कि कोई स्थान मिल जाय तो उसे वहां से हटा दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, इस बात को देखते हुए कि कूड़ाघरों की समस्या केवल बरेली में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जगह है, कहीं कोई रखने नहीं देता, तो क्या सरकार ऐसे कूड़ाघरों को भूमिगत करने के लिए कोई बड़ी योजना पूरे प्रदेश के लिए बनायेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, इस समय कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के जिन चेयरमैन के बंगले पर दसियों गाड़ी कूड़ा और मैला ले जाकर गिराया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां, कुछ ठेले कूड़े के उनके मकान के आगे गिराए गए।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी सम्बन्ध में बरेली के जिला स्वास्थ्य अधिकारी का भी घिराव हुआ और बरेली नगर जनसंघ ने भी इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया है? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, जनसंघ ने कोई ज्ञापन नहीं दिया। प्रदर्शन हिन्दू सभा की तरफ से किया गया था।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र कालाकांकर, प्रतापगढ़, द्वारा कृषि फार्म हेतु भूमि अधिग्रहण

*2--श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, कालाकांकर, प्रतापगढ़ के द्वारा कृषि फार्म हेतु ग्राम हिनाहू, परगना मानिकपुर, तहसील कुन्डा में 8 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित कृषकों को किस दर से मुआवजा दिया जा रहा है ?

सामुदायिक विकास राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, कालाकांकर (प्रतापगढ़) के कृषि आर्म के लिए 9.18 एकड़ भमि (14 बीघा 14 बिसवा 14 धूर) अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्य के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसमें सीरदारी एवं भूमिधारी की भूमि सम्मिलित है जिसका मुआवजा तहसीलदार द्वारा अन्तरिम रूपसे क्रमानुसार रोस्टर रेट व माल गुजारी के बीस गुना में जो अधिक हो, अन्तर का बीस गुना तथा मालगुजारी का 80 गुना एवं सर्किल रेट का 40 गुना में जो अधिक हो, अन्तर के 20 गुना के हिसाब से कुल रु० 2871.80 पैसा भुगतान करना निश्चत किया गया है।

श्री जयराम यादव--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अधिग्रहण की कार्यवाही से कौन-कौन से काश्तकार प्रभावित हुए हैं, हर एक की कितनी जमीन ली जा रही है और कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से कुल ८ काश्तकार प्रभावित हुए हैं और जैसा कि मैंने निवेदन किया उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री जयराम यादव--

मैंने यह प्रश्न किया था कि उन काश्तकारों के नाम क्या हैं और उनकी कितनी-कितनी जमीन ली गई है और उन्हें कितना मुआवजा दिया जा रहा है ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मैं आपको इसकी सूचना देता हूं :--

		रकबा	जमीन		मुआवजा
श्री श्रीपत	..	2-5-11	सीरदार	..	438.80
श्री राम सजीवन	..	3-14-19	भूमिधर	..	952.40
श्री जगमोहन	..	1-12-0	सीरदार	..	366.00
श्री गंगू	..	1-8-1	सीरदार	..	202.20
श्री माधो	..	1-8-4	भूमिधर		128.00
श्री दसा राम	..	0-6-16	सीरदार	..	43.00
श्री कुंवर बजेंद्र बहादर सिंह सुत राघवेंद्र बहादुर सिंह, निवासी कालाकांकर।	..	1-8-16	सीरदार	..	324.00
		1-28-15	भूमिधर	..	237.00
श्री राम प्रसाद	..	0-11-12	सीरदार	..	80.40
		14-14-14			2,871.80

श्री जयराम यादव--

माधो सुत कालीदीन व दसा राम सुत राम सहाय ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास एक-एक, दो-दो बीघा जमीन है और उनको रु0 128 व 43 रु0 मुआवजा दिया जा रहा है। यह मुआवजा बहुत ही कम है। क्या सरकार उन्हें जमीन की बाजार भाव की दर पर मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मुआवजा देने से पहले कृषकों की आपत्ति सुनी जायेगी और आपत्ति सुनने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो अधिक मुआवजा दिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

ऐसा देखा गया है कि जमीन अधिग्रहण करने से पहले कोई विचार नहीं होता है जिसके कारण उन गरीब काश्तकारों की जमीन, जिनके पास केवल १-२ बीघा जमीन है और जिनके पास गुजारे का कोई साधन नहीं है, ले ली जाती है। सरकार को चाहिए कि ऐसे काश्तकारों की जमीन को तद्नुसार छोड़ दे।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले यह चेष्टा की जाती है कि यथा-सम्भव कृषकों की भूमि न ली जाये, परन्तु जहां भूमि जनहित में लेनी आवश्यक होती है, वहां पर ऐसा करना पड़ता है।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--

जो आपके ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं उनको ल्लाक्स में रखना नहीं चाहते हैं और फैमिली प्लानिंग में रख रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों की क्या आवश्यकता है ? और इनके लिए जमीन अधिग्रहण ही क्यों की जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

यह प्रश्न प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भूमि अधिग्रहण करने से सम्बन्धित था। जो प्रश्न पूछा गया है यह तो अलग से प्रश्न है ....

(व्यवधान)

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लघुकृषक योजनाएं लागू करने हेतु जिलों के चयन के सम्बन्ध में संस्तुति

*३--श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को प्रदेश के पांच और जिलों में लघुकृषक योजना लागू करने के लिए अपनी संस्तुति भेजी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनायें रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर तथा बदायूं जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रदेशीय सरकार ने इसके अतिरिक्त गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, इलाहाबाद तथा बलिया की योजनायें भी भारत सरकार को भेज दी हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

जिन पांच जिलों की संस्तुति सरकार ने की है वह किस आधार पर की है, किस आधार पर उन जिलों का चयन किया गया है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जिन आधार पर पहले ४ जिलों का चयन किया गया था उन्हीं आधार पर इन ५ जिलों का चयन किया गया है। इन में पहला आधार तो यह था कि एक कम्पैक्ट एरिया में ५०-६० हजार की जनसंख्या उपलब्ध हो, दूसरा आधार पानी का लेविल था, तीसरा आधार यह था कि वहां फाइनेंस करने की शक्ति भी वहां के लोगों में हो। इन्हीं सब आधार पर जिलों का चयन किया गया।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस विषय पर पहले भी यहां चर्चा हुई थी कि जो आधार निर्धारित है उन आधारों पर इन जिलों का चयन नहीं हुआ है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इन जिलों के बारे में पुनः विचार करके इनकी जगह किसी गरीब जिलों को लेने की कृपा करेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जिन जिलों का चयन किया गया है वे सभी इन आधारों के अन्तर्गत आते हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ का वाटर लेविल देवरिया और गोरखपुर के मुकाबले काफी नीचा है ? और क्या सरकार इसी आधार पर गोरखपुर और देवरिया का सर्वेक्षण करा कर उन जिलों को भी लेने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जो आधार निश्चित किये गये वे तीनों आधार पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, सभी जगह उपलब्ध हैं। चयन करते समय यह देखा गया कि कौन से जिले अधिक उपयुक्त हैं और कौन से कम।

(व्यवधान)

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

मन्त्री जी ने पहले यह बतलाया कि जो ५ जिले लिये गये हैं उसके लिए ३ आधार उन्होंने बतलाये और फिर दूसरे प्रश्न में उन्होंने कहा कि आवश्यकता की बात है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सर्वेक्षण आपने कराया है वह सिर्फ ५ जिलों का ही कराया है या और जिलों का भी कराया है ? दूसरी बात आवश्यकता की जो कही गई उसका क्या आधार था ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह तो शुरू में ही बतला दिया था कि केन्द्रीय सरकार की ४६ योजनायें थीं जिनमें ११ योजनायें उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिये थीं। इस सिलसिले में ५ जिलों की स्कीम बनी थी और वह भारत सरकार को भेज दी गई थीं और जब योजना स्वीकार हो जावेगी तब चयन किया जायेगा। अभी प्रश्न नहीं उठता है कि कहां लागू किया जावेगा।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीन आधारों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कौन-कौन जिले आते हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, ५ जिलों के नाम भेजे गये हैं उन के नाम शुरू में ही पढ़ दिये हैं।

श्री हिम्मत सिंह--

आपने ५ जिलों के नाम भेज दिये, तो उत्तर प्रदेश के और कौन-कौन जिले इसमें आते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

नाम तो दिये हैं।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)--

क्या कृषि मन्त्री जी बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में जौनपुर भी है, उसका सर्वेक्षण कराया गया है या नहीं और उसको क्यों नहीं लिया गया है?

श्री हिम्मत सिंह--

मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय, कौन-कौन जिले इसमें आते हैं?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मैंने पहले ही जिले बतला दिये हैं लेकिन उनके अलावा भी जिले इसमें आते हैं जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर आदि। योजना में ५ जिले ही लिये जाने वाले थे इसलिए ५ ही जिले लिये गये हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे, इसका उत्तर दिला दें, कृषि मन्त्री जी ने जवाब नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपने उसी समय क्यों नहीं कहा है?

श्री विश्वनाथ कपूर--

मैं बार-बार खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उमानाथ जी ने जौनपुर के सम्बन्ध में प्रश्न किया लेकिन मन्त्री जी ने उत्तर नहीं दिया है?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

प्रश्न दूसरा था, उसका उत्तर नहीं आया है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

श्रीमन्, आपने आज्ञा दी लेकिन फिर भी उत्तर नहीं आया है। प्रश्न यह था कि क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को प्रदेश के पांच और जिलों में लघुकृषक योजना लागू करने के लिए अपनी संस्तुति भेजी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? इसका जवाब दिलवा दें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्न का पूरा उत्तर दे दिया गया है। प्रश्न यह है कि यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे। इसके सम्बन्ध में जिलों के नाम बतला दिये गये हैं जो कि भारत सरकार को भेजे गये हैं।

श्री उमानाथ सिंह---

मैंने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न करें। क्या प्रश्न था ?

श्री उमानाथ सिंह---

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जौनपुर का जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और पटेल स्कीम में भी यह पिछड़ा हुआ माना गया है। क्या इसका निरीक्षण उन्होंने कराया है ? और यदि हां, तो उसको क्यों नहीं लिया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा, पूर्वी जिलों में जौनपुर भी आता है। वहां जो पांच आधार हैं वह उपलब्ध हैं। हमको भारत सरकार की योजना मिल जाय तो हमें कोई ऐतराज नहीं है कि वहां लागू न करें। यह इस पर निर्भर करता है कि भारत सरकार कितनी योजना स्वीकृत करती है।

रोजगार देने हेतु अलीगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये त्वरित योजना

*४---श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २९ अप्रैल, १९७१ को जिला अधिकारी, अलीगढ़ की अध्यक्षता में अलीगढ़ में 'क्रैश प्रोग्राम फार रूरल एम्पलायमेंट,' के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने हेतु कोई बैठक हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसमें विधायकगण भी आमन्त्रित थे ? उपरोक्त बैठक में अलीगढ़ जिले के किस क्षेत्र की कौन-सी सड़कों के प्रस्ताव (प्रोपोजल) बनाकर राज्य सरकार को भेजे गये थे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी हां।

इस बैठक में समस्त विधायकगण आमन्त्रित थे और इसमें निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे :---

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें---

परियोजना का नाम	विकास क्षेत्र का नाम
१---अतरौली-रामघाट रोड का नवीनीकरण	अतरौली धानीपुर।
२---छर्रापली-मुकीमपुर मार्ग का निर्माण,	छर्रा।
३---नगला पदम को गोभत क्रासिंग का निर्माण,	खैर।
४---अतरौली पली मुकीमपुर---हरवोई आलमपुर रोड का निर्माण,	अतरौली।
५---गोरई-बेसवां रोड का निर्माण,	इगलास गोंडा।
६---आगरा-एस राओ व रास्ता जलेसर रोड का निर्माण,	एस० राओ।
७---गोंडा खैर रोड का निर्माण,	गोंडा खैर।
८---अकबरपुर खैर व रास्ता तेंतीगांव मार्ग का निर्माण,	गोंडा।
९---सासनी अकबराबाद व रास्ता विजयगढ़ मार्ग का निर्माण,	सासनी अकबराबाद।

(ख) जिला परिषद् की सड़कें--

१--अलीगढ़--गोंडा रोड	धानीपुर गोंडा।
२--सासनी-इगलास रोड	सासनी-इगलास
३--सासनी-कैलोरा रोड	सासनी-हाथरस
४--पचो-वजीवपुर रोड	एस० राओ
५--बरौली-गमाना रोड	जवां खेर
६--मुरसान-सादाबाद रोड	हाथरस

(ग) राज्य नलकूप विभाग--

१--जत्तारी बसरो रोड	तत्पल

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि दिनांक २९ अप्रैल, १९७१ की बैठक में स्वीकृत सड़कों के प्रस्ताओं को शासन ने स्वीकृति नहीं दी और नई सड़कों के प्रस्ताव जिला परिषद् से मांगे हैं ? यदि मांगे हैं, तो कब-कब और किस-किस सड़क के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

२९ अप्रैल, १९७१ की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उन्हें भारत सरकार ने स्वीकृत नहीं किया और इस कारण 'क' खण्ड में जो सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली थीं उन्हें निकाल दिया गया और 'ख' खंड में अंकित सड़कें स्वीकार की गयीं।

श्री कल्याण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह जो फ्रैश प्रोग्राम आया हुआ है इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की जाय। २९ अप्रैल, १९७१ को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव पास किये थे उनमें से वे सड़कें निकाल दी जो कि पी०डब्लू०डी० द्वारा बनाई जाने वाली थीं। जब प्रस्ताव मांगे गये तो यह होना चाहिये था कि जिले के विधायकों की बैठक बुलाकर, प्रस्ताव बनाये जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया और विशेष रूप से जिला नियोजन अधिकारी, अलीगढ़ ने मनमाने और पक्षपात पूर्ण ढंग से प्रस्ताव भेजे हैं। अतरौली क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक इंच भी डामर रोड नहीं है और जो सड़कें भेजी हैं वहां पहले से ही डामर रोड हैं। क्या मन्त्री जी जो प्रस्ताव शासन को मिले हैं, उन पर विचार करने के लिए जिला के विधायकों की बैठक आयोजित करने का आदेश जिलाधीश को देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी वास्तव में २९ अप्रैल की बैठक में जो सड़कें प्रस्तावित की गई थीं, वे प्राथमिकता के आधार पर की गई थीं। पहले पी० डब्लू० डी० की सड़कें लेने का विचार था, किन्तु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न होने के कारण अब जिला परिषदों की सड़कें ली गई हैं।

श्री कल्याण सिंह--

मैं निवेदन कर रहा था कि २९ अप्रैल, की बैठक में जो सड़कें स्वीकृत की गई थीं उसमें अतरौली क्षेत्र की सड़कें भी थीं, वहां की तीन सड़के थीं जो कि पी०डब्ल्यू०डी०द्वारा बननी थीं। तो उसमें जब पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया तो उसके लिए फिर से विधायकों की बैठक बुलाई जानी चाहिये थी, जो नहीं किया गया है और अधिकारियों ने राजनीति से प्रभावित होकर मनमानी की है। परिणाम इसका यह हुआ है कि अतरौली क्षेत्र बिलकुल अछूता रह गया है।

क्या वहां की बेकारी दूर हो गई है, क्या वहां समाजवाद नहीं बढ़ पायेगा ? तो क्या इसे विचार कर आप अलीगढ़ के जिलाधीश को आदेश देंगे कि नये सिरे से प्रस्ताव देने के लिए वह विधायकों की मीटिंग बुलाएं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

फ्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो यह कार्य है, तीन वर्ष तक चलेगा। प्रथम वर्ष में जिन ब्लाक की सड़कें स्वीकृत की गई हैं उनमें काम होगा और अगले वर्ष दूसरे ब्लाकों की सड़कें ली जायेंगी। इस तरह से आगे उनका नम्बर आ सकता है।

श्री अनीसुर्रहमान शरवानी (जिला अलीगढ़)---

क्या मन्त्री जी मेरी जानकारी पर विश्वास करके कि गजीरी ब्लाक व अकरांबाद ब्लाक में कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, सरकार फिर से वहां के लिए कोई योजना बनायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

माननीय सदस्य की सूचना पर हम इसकी जानकारी करेंगे, लेकिन इस वर्ष का कार्य २ अक्तूबर से शुरू होना है, इसलिए इस वर्ष इस पर पुनः विचार होने से जनपद को नुकसान होगा।

श्री कल्याण सिंह---

इस वर्ष जो सड़कें ली गई हैं साढ़े बारह लाख रुपया उसके लिए आयेगा। अगले वर्ष जो पैसा आयेगा उससे और सड़कें ली जायेंगी, मन्त्री जी की यह धारणा बिलकुल गलत है। मन्त्री जी को सही जानकारी नहीं है। वास्तविकता यह है कि जो सड़कें ली गई हैं उनके लिए यह पैसा दिया गया है, अगले साल दूसरी सड़कें नहीं ली जायेंगी, जो सड़कें प्रथम वर्ष ली गई हैं उन्हीं पर यह सारा पैसा लगातार ३ वर्ष खर्च होगा। तो क्या मंत्री जी वहां के जिलाधीश को यह आदेश देंगे कि वह उसके लिये विधायकों की एक बैठक बुलायें और उसमें ली जाने वाली सड़कों को पास कराया जाय ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं याद दिलाना चाहता हूं पी० डब्लू० डी० की जो सड़क अतरौली वाली माननीय सदस्य कह रहे हैं। इस फ्रैश प्रोग्राम में पी० डब्लू० डी० की कोई सड़क नहीं बनाई जायेगी। इन पर जब अगले वर्ष विचार होगा तो उस समय समस्त विधायकों की बैठक बुलाकर ही कोई निर्धारण किया जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर व मेरठ जिलों में मलेरिया विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

*१---श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर व मेरठ जिले के मलेरिया विभाग के किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें १ जनवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ के मध्य समाप्त की गईं, और क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

उक्त अवधि में ३१ कर्मचारियों (नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं) की अस्थाई सेवायें उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई थीं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०४७ पर)।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

टाउन एरिया कमेटियों के निर्माण कार्य के लिये भुगतान करने के सम्बन्ध में राजकीय आज्ञा

*२—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं के कार्यकाल में टाउन एरिया कमेटियों के निर्माण-कार्य के जितने भुगतान जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किये गये उनकी नियमानुसार सूचना आय-कर तथा बिक्री-कर विभाग को भेजी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वर्तमान जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं के कार्यकाल में टाउन एरिया कमेटियों के निर्माण-कार्य के जितने भुगतान जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये उनकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा आय-कर तथा बिक्री-कर विभाग को नहीं भेजी गयी। जिलाधिकारी ने इसका यह कारण बताया है कि उनके अथवा टाउन एरियाओं के कार्यालय में ऐसा कोई शासकीय आदेश उपलब्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत भुगतान की सूचना आय-कर तथा बिक्री-कर विभाग को भेजना आवश्यक हो। टाउन एरिया मैनुअल में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

[दि० २४ अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१३वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थान्तरित]

*३—श्री रामगोपाल सण्ड—

[१३वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद नगरमहापालिका कर्मचारी संघ की मांगें

*४—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ मई, १९७१ को इलाहाबाद में नगरमहापालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अपनी मांगों के सम्बन्ध में उनसे मिले थे ? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ? स्वायत्त शासन मंत्री ने उन्हें क्या आश्वासन दिया जिससे उनकी हड़ताल समाप्त हो गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। इस संघ के पदाधिकारी भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी से मिले थे जिन्होंने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। कर्मचारियों की मांगें संलग्न तालिका में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४८ पर)

बस्ती जिले के, विकास क्षेत्रों में हैण्ड पम्प

*५—श्री सुखपाल पाण्डे (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में किस-किस विकास क्षेत्र में गत तीन वर्ष में कितने-कितने हैण्डपम्प किस-किस गांव में सरकार द्वारा लगाये गये हैं ? क्या इन गांवों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वह सब बाढ़ पीड़ित हैं ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायत श्री राज मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

वर्ष १९६८–६९ से १९७०–७१ तक के वर्ष में बस्ती जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों में कुल ५६४ हैण्ड पम्प लगाये गये हैं जिनमें ५४१ हैण्ड पम्प बाढ़ पीड़ित ग्रामों में लगाये गये है और २० हैण्डपम्प ऐसे क्षेत्रों में लगे हैं जो बाढ़ पीड़ित नहीं हैं। इनका‡ विवरण संलग्न है।

*६—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री हुकुम सिंह परिहार—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

सहायक विकास अधिकारियों (लघु सिंचाई) की नियुक्तियां

*८—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक राज्य सरकार द्वारा कितने सहायक विकास अधिकारियों (लघु सिंचाई) की नियुक्तियां की गई ? और उनका चयन किस आधार पर किया गया ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

दिनांक १ जनवरी, १९७० से ३०–४–७१ तक ७०७ सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) की नियुक्ति की गयी। इनकी नियुक्ति इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्राप्तांक के आधार पर की गयी है।

*९—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृया करेगी कि उपरोक्त सहायक विकास अधिकारियों में से कितने उत्तर प्रदेश के हैं और कितने दूसरे प्रदेशों के हैं ? तथा कितने परिगणित जाति के हैं ?

डाक्टर सीताराम—

इनमें से ६२० उत्तर प्रदेश के तथा ८७ अन्य प्रदेश के हैं। ७०७ अभ्यर्थियों में ३२ परिगणित जाति के हैं।

बलिया में बेल्थरा रोड में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिलान्तर्गत बेल्थरा रोड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार हो रहा है ? यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक खुल जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कथित स्थान पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन-स्तर

*११—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी श्री बलदेवसिंह आर्य, मंत्री, सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज्य ने १९ या २० जून, १९७१ को अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन

---

‡ छापी नहीं गई।

स्तर के अध्ययन हेतु वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो इस आयोग में कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई सरकारी अधिकारी या अवकाश प्राप्त जज रक्खे जावेंगे ? या जन-प्रतिनिधियों द्वारा आयोग गठित किया जावेगा तथा आयोग वेतन सम्बन्धी किन-किन मुख्य-मुख्य बातों का अध्ययन करेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

(क) जी हां।

(ख) आयोग में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम तथा उसके विचारणीय विषय वित्त (सामान्य) विभाग के संकल्प संख्या जी० १/१४३३/दस-२०७/१९७१ दिनांक ५ जुलाई, १९७१ (प्रतिलिपि संलग्न है) में दिए हुए हैं।

गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् की जीप का दुरुपयोग

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०५० पर)।

*१२---श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ) प्राक्टर प्रकाश नारायण गुप्त (जिला आगरा), श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा), श्री दीपनारायन वन (जिला गोंडा), श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सन्त राम (जिला गोंडा)---

क्या कृषि मंत्री को पता है कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् की जीप यू० एस० ए०, ६७२ का प्रयोग सम्बन्धित अधिकारी कोयलावास (नेपाल) तक जाने में बराबर करते हैं तथा अभी विगत माह अप्रैल, १९७१ तथा मई, १९७१ में कई बार नैपाल उक्त जीप से गये हैं जिसका नम्बर जरवा सीमा कस्टम आफिस में नोट किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम---

जी नहीं। केवल दिनांक १७-५-१९७१ को कथित जीप के नम्बर को जरवा सीमा कस्टम आफिस में नोट किया गया। परन्तु उक्त दिनांक को वह जीप तुलसीपुर गन्ना विकास समिति के अन्तर्गत क्षेत्र-ग्राम लोहटी परसीहया एवं खमरिया तक, खड़े गन्ने एवं केन्द्र की स्थिति देखने हेतु प्रयोग की गई थी।

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना तथा उसके सदस्य

*१३---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार ने वाराणसी, फैजाबाद और गोरखपुर कमिश्नरी के जिलों के विकास के लिये बोर्ड हाल में गठित किया है ? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति इस बोर्ड के सदस्य हैं ? और इस बोर्ड का कार्यक्षेत्र क्या होगा तथा इन क्षेत्रों में विकास का कार्य कब प्रारम्भ हो जायगा ?

डाक्टर सीता राम---

जी हां। शासन ने १५ पूर्वी जिलों गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबद, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, तथा सुल्तानपुर के विकास के लिए उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना की है।

इस निगम के निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य हैं :---

(१) कृषि उत्पादन आयुक्त	.. ..	अध्यक्ष
(२) आयुक्त एवं वित्त सचिव	.. ..	सदस्य

(३) नियोजन सचिव	..	..	सदस्य
(४) कृषि निदेशक	..	..	,,
(५) जिला अधिकारी, फैजाबाद	..	..	प्रबंध निदेशक

इस निगम का कार्यक्षेत्र कथित १५ पूर्वी जिलों में होगा। निगम इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है जो शीघ्र ही कार्यान्वित की जाएंगी।

प्रेसक्राइब्ड अथारिटी रेगुलेटेड एरिया, गाजियाबाद के (मेरठ) इंजीनियरों की संख्या

*१४—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी रेगुलेटेड एरिया, गाजियाबाद (मेरठ) के इंजीनियरों की संख्या व नाम क्या-क्या हैं तथा उनमें उन इंजीनियरों की संख्या व नाम क्या-क्या हैं जिन्हें गाजियाबाद ही में ६ वर्ष से अधिक हो जाने पर भी आज तक तबादले पर कहीं और नहीं भेजा गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रेसक्राइब्ड अथारिटी, रेगुलेटेड एरिया, गाजियाबाद के कार्यालय में सहायक अभियन्ता का एक पद स्वीकृत है जिस पर श्री एम० एस० त्यागी दिनांक १ सितम्बर, १९६९ से कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व वे सहायक अभियन्ता के पद पर इन्स्ट्रूमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद में दिनांक जनवरी, १९६४ से ३१ अगस्त, १९६९ तक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे। इस प्रकार इन्हें गाजियाबाद में ६ वर्ष से अधिक हो गए हैं।

*१५-१६—श्री निर्भय नारायण सिंह—

(८ वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लखनऊ के पास रहमानी खेड़ा में मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशाला

*१७—सुरेंद्र विक्रम—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के पास रहमानीखेड़ा में जो मिट्टी की जांच करने के लिए केंद्र खोला जा रहा है उस पर राज्य सरकार का कितना व्यय होगा और प्रदेश के कितने किसानों का फायदा होगा और यह लेबोरेट्री कब तक चालू हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

इस पर आरम्भ में लगभग १,५०,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है। जिसके अतिरिक्त स्टाफ और प्रयोगशाला के रख-रखाव पर अनुमानतः २४,००० रु० वार्षिक व्यय होगा। इस प्रयोगशाला लखनऊ से लगभग १०,००० मिट्टी के नमूनों की प्रतिवर्ष जांच की जायगी जिससे लखनऊ मंडल के सभी किसानों को लाभ होगा। प्रयोगशाला का कार्य निकट भविष्य में आरंभ होने की संभावना है।

भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर के विरुद्ध शिकायत

*१८—श्री रामलाल राही—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता सीतापूर के भूतपूर्व कृषि अधिकारी श्री नैपालसिंह के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिया था जिसके सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन कृषि (ख) विभाग के सचिव ने दिनांक २० अक्तूबर, १९७० को अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या बी-३६०२/१२-सी०—९२१-६९ लिखा था ? यदि हां, तो क्या आरोप सत्य पाये गये ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, शासन को श्री नैपाल सिंह भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर के बिरुद्ध उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में उप सचिव कृषि विभाग ने २६ अक्तूबर, १९७० की अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या बी–५६०२/१२ बी–१२१/६९, लिखा था उक्त शिकायती-पत्र तथा श्री नैपालसिंह, जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग से कराई जा रही है ।

*१९—श्री गिरजा शंकर तिवारी—

[८ वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर की कुछ ग्राम सभाओं को टाउन एरिया बनाने पर विचार

*२०—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कौन-कौन सी ग्राम सभाओं को टाउन एरिया बनाने की बात शासन के विचाराधीन है ? क्या इसमें तहसील सदर के ब्लाक सरदार नगर से सम्बन्धित ग्राम सभा मुन्डेरा बाजार भी सम्मिलित है ? यदि हां, तो इसकी विधिवत् घोषणा कब को जायगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिला गोरखपर में ग्राम सभा घुघली तथा मुन्डेरा बाजार में टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन है । जिला मजिस्ट्रेट से ग्राम मुन्डेरा बाजार का टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगा गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर निर्णय लिया जावेगा ।

*२१—श्री गिरजा शंकर तिवारी—

[६ ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तारित]

*२२–२३—श्री सच्चिदानन्द तथा श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[९ वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् द्वारा ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान

*२४—श्री सूरज लाल (जिला गोंडा)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् में दिनांक १ नवम्बर, १९७० से ३० जून,१९७१ तक किन-किन मदों में कितनी धनराशि कब-कब ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किया है ?

डाक्टर सीताराम—

जनपद, गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास परिषद् द्वारा दिनांक १ नवम्बर, १९७० से ३० जून, १९७१ तक की अवधि में किसी भी मद में कोई अग्रिम भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया है ।

नगरपालिकाओं की वर्तमान लेखा सम्परीक्षा प्रणाली में संशोधन

*२५—श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार नगरमहापालिकाओं के लेखा की जांच के लिए राज्य की ओर से लेखा परीक्षकों का परिविधान करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

नगर महापालिकाओं को वर्तमान लेखा सम्परीक्षा प्रणाली में संशोधन करने के प्रश्न पर शासन ने विचार किया है । महापालिका अधिनियम में संशोधन करने तथा स्थानी निकायों के प्रशासन में सुधार लाने हेतु जो समिति शासन द्वारा गठित की गयी वह भी इस प्रश्न पर विचार करेगी और उस की संस्तुति प्राप्त होने के बाद ही शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

देवरिया के हाटा ब्लाक के लिए, कथित पेयजल योजना

*२६---श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के हाटा ब्लाक हाटा कस्बे के लिए जो पेयजल योजना स्वीकार है अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है ? इस का क्या कारण है ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---

इस कस्बे के लिए अभी कोई पेयजल योजना नहीं बनायी गयी है । अतः उसका कार्य शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखावाद जिले में काली नदी के पुल से कटिन्ना-मानिकपुर तक सड़क निर्माण

*२७---श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या पंचायती राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली–इटावा रोड फर्रुखाबाद जिले में मदनपुर के पास काली नदी के पुल से कटिन्ना मानिकपुर तक की सड़क कच्ची और खराब हालत में पड़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्का कराने की व्यवस्था करेगी तथा कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां ।

सड़क जिला परिषद्, फर्रुखाबाद की है,अतः सरकार द्वारा इस का निर्माण करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ नगर में पेय जल की कठिनाई

*२८---श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ नगर में गत कई वर्षों से पेयजल मिलने में बड़ी कठिनाई है? यदि हां, तो वहां जल की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

अलीगढ़ नगर में पेय जल की कमी कई वर्षों से अनुभव की जा रही है ।

यहां के पेयजल की व्यवस्था एक प्राइवेट लाइसेंसी द्वारा की जाती है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जल की समुचित व्यवस्था कब तक सम्भव हो सकेगी ।

ग्राम उझारी, मुरादाबाद को टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया घोषित किया जाना

*२९—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उझारी, मुरादाबाद जिसकी आबादी लगभग ८ हजार है, को टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया घोषित करने जा रही है ?

श्री धर्मदत्त—

ग्राम उझारी, मुरादाबाद को टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया घोषित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

गन्ना सहकारी संघ, जुग्गौर, जिला लखनऊ में लाखों का गोलमाल

*३०—श्री नत्था राम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ना सहकारी संघ, जुग्गौर, जिला लखनऊ में लाखों का गोल माल पाया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ।

डाक्टर सीताराम—

जी हां । इस गन्ना समिति को तथा उसके एक कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है । पुलिस में मामले की रिपोर्ट कर दी गई है ।

*३१—श्री छेदा लाल चौधरी तथा श्री तेज नारायण त्रिवेदी—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*३२-३३—श्री डी० पी० बोरा—

[९वें मंगलवार के प्रश्न संख्या ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्वीपर्स को सुविधायें

*३४—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्वीपर्स को वर्दियों के साथ-साथ अन्य क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

स्वीपरों को वर्दी नहीं दी जाती । उन्हें केवल एप्रन दिया जाता है । अन्य सुविधाओं में उन्हें महीने में ४ दिन का अवकाश (Day off) और आवासीय सुविधा यदि उपलब्ध हो, दी जाती है ।

गौरी बाजार, जिला देवरिया में कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन

*३५—श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के गौरी बाजार ब्लाक में जो कृषि संबंधी प्रदर्शन तथा पौदा संरक्षण के लिये सरकार की ओर से खाद व दवा दी जाती है उसके अन्तर्गत १९६८-६९, १९६९-७० तथा १९७०-७१ में किन-किन गांवों में तथा किस-किस किसानों के यहां प्रदर्शन एवं पौदा संरक्षण का कार्य हुआ है । क्या सरकार जांच करवा कर बतायेगी कि उक्त काम केवल कागज में हुआ है मौके पर नहीं ? यदि हां, तो कौन सी उचित कार्यवाही शासन द्वारा अमल में लायी जा रही है ?

डाक्टर सीताराम---

देवरिया जिला के विकास खंड क्षेत्र गौरी बाजार में, वर्ष १९६८-६९ तथा १९६९-७० में क्रमशः ६९ व ७२ कृषकों के खेतों पर, बहुफसली कार्यक्रम संबंधी तकनीकी विधियों के प्रदर्शन किये गये थे । वर्ष १९७०-७१ में ऐसा नहीं किया गया था ।

उक्त दो वर्षों से संबंधित प्रदर्शनों वाले गांवों तथा किसानों के नाम की सूचियां संलग्न हैं ।

सरकार को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, प्रदर्शिनी से संबंधित रिकार्ड, उस समय के स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यापित हैं, जिसके आधार पर, कथित कार्य के मौके पर ही कराया गया प्रतीत होता है । लेकिन अब एक उच्चाधिकारी को पूरी जांच करके उचित कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही से सदन को यथाशीघ्र अवगत करा दिया जायेगा ।

[देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०५२ पर]

जिला देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत व्यय

*३६---श्री रामकरन सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत देवरिया जिला के ब्लाक गौरी बाजार में साल १९६८-६९, १९६९-७० व १९७०-७१ में इस विभाग के विभिन्न मदों में कितना-कितना और कहां-कहां रुपया खर्च हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत देवरिया जिले के विकास खंड, गौरी बाजार में वर्ष १९६८-६९, ६९-७० एवं ७०-७१ में विभिन्न मदों में जितना जितना व्यय जहां-जहां हुआ है उसकी सूची संलग्न है ।

[देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ १०५७ पर]

अतारांकित प्रश्न

जिला प्रसार शिक्षक के पद पर नियुक्ति का आधार

१---श्री रामकरन सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जिला प्रसार शिक्षक के पद पर पोस्टिंग किस आधार पर की जा रही है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जिला प्रसार शिक्षक के पद पर पोस्टिंग ज्येष्ठता, उपयुक्तता और कार्य कुशलता के आधार पर की जा रही है ।

विविध विषय

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं, आपने मुझे समय दिया था (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैंने आज लिखकर दिया है ३०१ के अन्तर्गत । मेरा निवेदन यह है कि कल यहां पर राज्य कर्मचारियों का एक प्रदर्शन हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आपने मुझे टाइम दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको बोलने दीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज कर्मचारियों ने एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद ही श्रीमती राजेंद्रकुमारी बाजपेई और माननीय मुख्य मंत्री जी से दो-तीन लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला और और उसके बाद उन्होंने वहां जा कर घोषित कर दिया की हमारी मांगों पर आश्वासन मिल गया है । जो आज से धरना आपकी कोठी के सामने भी और माननीय मुख्य मंत्री की कोठी के सामने करने वाले थे वह स्थगित हो गया । जबसे सदन बैठा है शुरू से मैं कह रहा हूं कि कुछ कर्मचारियों को रिइंस्टेट करके उनकी डी० ए० की जो मांग है उसको दबा दिया है । कल उन्होंने क्या आश्वासन कमरे के अन्दर बैठा कर दे दिया है दो चार कर्मचारियों को, सदन को इस बात को जानकारी दें कि इन कर्मचारियों को क्या आश्वासन दिया है, मुख्य रूप से डी० ए० के बारे में क्या आश्वासन दिया है । घर के अन्दर आपस में बातचीत कर लेते हैं । सिर्फ चार पांच कर्मचारी बात करते हैं, लाखों कर्मचारियों के भाग्य का निर्णय नहीं हो पाता । यह बतायें कि क्या आश्वासन दिया है, और किस कारण से आन्दोलन स्थगित हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं वक्तव्य के लिये नहीं कह रहा हूं । केवल इतना बतला दें कि क्या आश्वासन दिया है । डी० ए० के प्रश्न के ऊपर इस सदन में कहा गया कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं, डी० ए० की पैरिटी नहीं कर सकते । कल आन्दोलन को स्थगित कर दिया गया तो क्या आश्वासन दे दिया ? यह सदन में कुछ कहते हैं बाहर कुछ कहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई बात हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह बताने के लिये तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

जिस समय आप सदन में आते हैं उस समय आप सदन में आने के उस समय के बाद अपने सामने के सदस्यों का अभिवादन करते हैं। एक दफा आपने एक हैन्ड बुक बांटी थी जिसमें सदस्यों को इस बात से आग्रह किया है जिस समय अध्यक्ष सदन में आयें उस वक्त वह सामने, दायें और बायें तीनों तरफ देख कर उनका अभिवादन लेंगे और गर्दन झुका कर कबूल फरमायेंगे। आज मैंने नोट किया कि आपने सिर्फ सामने की तरफ उनका अभिवादन लिया और इधर उधर नहीं देखा। आप व्यवस्था दीजिये। हमारी तरफ न देखने का हमारे प्रश्नों का न आने का क्या कारण है। आप सिर्फ सामने का अभिवादन लेते हैं।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि विधान सभा के सदस्य के जो कर्त्तव्य होते हैं उनके पालन में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं बराबर, जब मेरा प्रश्न आता है निजी तो अनुपूरक प्रश्न करने की इजाजत नहीं दी जाती। दूसरे के प्रश्न होते हैं और मैं प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूं तो इजाजत नहीं मिलती है। मान्यवर, अभी पशुपालन विभाग के संबंध में प्रश्न था। मैंने सप्लीमेंटरी करना चाहा, आज्ञा नहीं मिली। मैं कहना चाहता हूं कि हर जिले में दवाइयां खरीदने के लिये परचेजिंग कमेटियां बनी हैं। कोई भी जिले में परचेजिंग कमेटी द्वारा दवाईं नहीं खरीदी जाती। उप निदेशक महोदय दवा खरीदते, चार बंधी हुई दूकाने हैं। अगर १ लाख रुपये की दवा खरीदी जाती है तो हजार रुपये की दवा आती है और ५० हजार रुपये की दवा घपले में चली जाती है। इस तरह के भ्रष्टाचार और घपले हैं। इस पर मैं प्रश्न करना चाहता था लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा। मुझे जनता ने इस सदन में भत्ता ले कर चेयर पर बैठने के लिये भेजा है सदस्य के रूप में कर्त्तव्य पालन करने के लिये भेजा है। अगर कर्त्तव्य पालन करने के लिये भेजा है तो आप मुझे अपना कर्त्तव्य पालन करने देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

लेकिन आपके पड़ोसी मुझसे कह रहे थे कि आप राही जी को तो बुला लेते हैं और हमें कभी नहीं बुलाते।

श्री रामलाल राही--

मुझे मौका दिया ही नहीं गया। तीन दिन से लगातार मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)--

१७ तारीख को नियम ५१ में एक मैंने प्रश्न दिया था कि एक हिन्दू लड़की को जबरन मुसलमान रख रहा है इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। फिर २२ तारीख को यही प्रश्न दिया। दोनों दिन आपने ठुकरा दिया। आज भी मैंने इस प्रश्न को दिया है।

श्री अध्यक्ष--

शाम को वह आयेगा। इस वक्त उस पर उपाध्यक्ष महोदय तय करेंगे कि शाम को उस पर वह अपना निर्णय सुना देते हैं।

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)--

हम लोग जो मसला सदन में रखते हैं तो यह अपेक्षा सरकार से करते हैं कि वह गंभीरता से उस पर विचार करके निर्णय लेगी। मान्यता समिति पूरे सूबे की बना दी। दो हजार

दरख्वास्तें पड़ी हैं जिनका एडमिशन होना है । जुलाई में निर्णय हो जाना चाहिये था लेकिन कोई निर्णय अब तक नहीं हो पाया है । सरकार अब यह बतला दे कि मान्यता समिति वाले प्रश्न पर कब तक वह निर्णय लेगी ? सारी दरख्वास्तें फिर इलाहाबाद जा रही हैं। लड़के अस्त व्यस्त हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं इस समय । आप लिख कर भेज दें ।

श्री मोतीलाल देहलवी तथा अन्य कतिपय सदस्यों के विरुद्ध कत्ल का कथित आरोप तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

२० तारीख को थाना कलेक्टरगंज, कानपुर में तिरोह गांव में (रुक जाने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बैठ जाइये । फिर कहियेगा ।

श्री राजित राम पांडेय---

वहां एक यादव नाम के आदमी का कत्ल हो गया । ८ व्यक्तियों का नाम लिखाया गया और मोतीलाल देलहवी का नाम भी लिखाया गया है । वह अस्पताल भेजा गया था जहां मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ। मोतीलाल देहलवी जो यहां के विधायक हैं, वह भी इस कत्ल में शामिल हैं ।

और उसका कत्ल करा दिया गया और इस बात को "स्वतंत्र भारत" ने छापा, "नेशनल हेराल्ड" ने छापा और इस की अभी चर्चा है और यह भी चर्चा है कि उस को दबाया जा रहा है । तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप और सदन इस बात पर विचार करें कि इस तरह की क्रूरता होती है तो कैसे देश का भला होगा ? मैं आप के माध्यम से खास तौर से मुख्य मन्त्री जी और पुलिस मिनिस्टर से कहना चाहता हूं । हमारे बहुत से साथियों को मालूम है कि इस कत्ल को दबाया जा रहा है और २० तारीख को नामजद मोतीलाल देहलवी के खिलाफ अभियोग लगाया गया है कि वे शामिल रहे कत्ल में ।

श्री अध्यक्ष---

किसी पर कोई आक्षेप मत कीजिये, लिखित दे दीजिये ।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)---

मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे पांडेय जी ने जिस प्रश्न की चर्चा की है, कानपुर में ऐसी अपूर्व घटना घटी है कि हमारे माननीय विधान सभा के सदस्य का नाम नामजद रिपोर्ट में थानेदार ने साजिश कर के लिखवाया और यह चेष्टा की कि हत्या के अभियोग में उन्हें फांसा जाय, यह गलत बात है । पुलिस मन्त्री अब इस हद तक उतर आये हैं कि सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग न ले सकें . . . (व्यवधान) . . . जो सदन की कार्यवाही में भाग लेगा, उस के खिलाफ नामजद रिपोर्ट होगी तो कैसे सरकार की व्यवस्था चलेगी ? मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप छानबीन कराइये और मुख्य मन्त्री से वक्तव्य दिलाइये कि जिन लोगों की साजिश से यह हुआ है उन के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दें वरना सरकार नहीं चल सकती है । हमारे एक सदस्य को इस तरह से झूठे अभियोग में फंसाया जाय, यह बड़ी लज्जा की बात है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला दहरादून)---

यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि एक माननीय सदस्य जो सदन में मौजूद थे, श्री मोतीलाल देहलवी, उन के बारे में एक आरोप लगा दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय करें। हमेशा आप ने न्याय किया है और आज आप देखेंगे कि हमारे सदन के सदस्यों के ऊपर अगर कत्ल का आरोप लगाया जायगा और पांडेय जी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा अभियोग लगा दें तो मैं चाहूंगा कि आप इस विषय में गृह मन्त्री को आदेश दें, इस की जांच करें और जिस दरोगा ने कार्यवाही की है उस को विशेषाधिकार के अन्दर इस सदन के अन्दर पकड़वा कर लाया जाय, पेश किया जाय और उस के खिलाफ कार्यवाही करें। यह एक बड़ा अहम मसला है और उस दरोगा के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आप के बयान के पहले एक मिनट लेना चाहता हूं। एक हमारे माननीय सदस्य ने आरोप लगाया और एक ऐसे माननीय सदस्य को घसीट कर फंसा दिया गया जो मौजूद थे यहां, यह एक घटना के रूप में महत्व रखता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या शासन का ग्रुप इस हद तक जा सकता है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कटु आलोचना सरकार की करता है उस को कत्ल में फंसा दिया जाय और दूसरा तरीका यह अख्तियार किया जाय कि उनको गैंग कर दिया जाय ? क्या इस हद तक सरकार जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि इस तरह से सदन के किसी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना उचित नहीं है। जिसको जिम्मेदारी से बोलना है वह कृपा करके मेरे पास लिख कर भेजें। यह चीज ठीक नहीं है कि खड़े हो कर कह दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

कोई बात कहने से पहले मेरी बात सुन लें। इस सदन के सामने माननीय पांडेय जी न एक माननीय सदस्य, के विरुद्ध एक बात कही और दूसरे माननीय सदस्य, श्री रामकुमार दीक्षित ने इस बात को साफ तौर से घोषणा की कि एक दरोगा ने बैठ कर एक रिपोर्ट माननीय सदस्य के खिलाफ लिखवायी और यही नहीं किया, जब वह माननीय सदस्य इस सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे थे, उस समय ऐसा किया गया। मेरा एक नम्र निवेदन है, आज तो यह सदन चल रहा है तो माननीय सदस्यों का मौका है कि सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले कर किसी मामले को आपके सम्मुख लायें। और अगर सदन न होता तो आप भी इस बात पर यकीन कर सकते थे कि शायद हो सकता है कि पुलिस का वर्णन ही सही हो। लेकिन आज की इस स्थिति में आप मेहरबानी कर के सदन की एक समिति इस मामले की इन्क्वायरी के लिए बना दें और उस समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय या कोई दूसरी चीज कर दी जाय। लेकिन मैं मांग करता हूं कि आज यह मौका है कि इस सरकार के नंगेपन और जंगलीपन का व्यवहार जो सदस्यों के साथ किया जाता है, उसका एक सबूत आप के सामने है और अभी वह समय आ गया है कि इस माननीय सदन की एक समिति इस पूरे मामले की जांच करे।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की अवहेलना का जो प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस के लिए कोई समिति बनाने की जरूरत नहीं है। एक समिति बनी हुई है विशेषाधिकार समिति के नाम से। तो यदि कोई यहां पर किसी के ऊपर कोई आक्षेप करे तो उस के लिए आप खड़े होकर कह सकते हैं कि इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। (व्यवधान)।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जिस दारोगा ने यह कार्यवाही की है कि माननीय सदस्य सदन के अन्दर थे, तो क्या इस से इस सदन का अवमान नहीं हुआ है कि वे तो यहां सदन के अन्दर रहें और उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ?

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है इस सम्बन्ध में किसी ने और कहा और दूसरे व्यक्ति ने कुछ और कहा। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द इसे कर दिया जाय तो वहां इस की छान बीन हो जाय। क्योंकि मैं कमेटी को कह सकता हूं कि वह वहां जाकर इस की छान बीन करे।

गृह उपमन्त्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)---

मान्यवर, आप की अनुमति से मैं सदन के सामने घोषणा करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रश्न को मैं गम्भीरता से लेता हूं और समस्त तथ्यों को बड़ी गरहाई से छान बीन कराऊंगा कि कहां पर और कैसे इस प्रकार की घटना हुई। साथ ही मैं इस बात की भी घोषणा करता हूं कि प्रदेश के किसी भी अंचल में इस तरह के तत्वों को कोई प्रोत्साहित करेगा तो वह प्रशासन के चंगुल से बच नहीं सकेगा। लेकिन इस के लिए मैं इस माननीय सदन के सारे सदस्यों से सहयोग की अपील करता हूं और साथ साथ इस बात की भी अपील करता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर हमें और आप को---सभी साथियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर भय और पक्षपात से शून्य होकर एक निर्णय लेना चाहिये ताकि हम एक सही दिशा में आगे को बढ़ सकें।

श्री धर्मबीर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, यह मामला ऐसा है जिस पर इस प्रकार की सूचना भी दी गयी कि यह प्रिविलेज कमेटी का प्रश्न बनता है। लेकिन माननीय गृह उपमन्त्री जी तो इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, इन की हैसियति मंत्रिमण्डल में है ही क्या ? ऐसा लगता है जैसे माननीय चीफ मिनिस्टर ही घोषणा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में तत्काल कोई घोषणा करें। माननीय उप मन्त्री जी कौन होते हैं घोषणा करने वाले ? यह इतना संगीन मामला है कि एक विधायक यहां इस सदन में कार्य कर रहा है और एक दारोगा ने उसे ३०२ का मुल्जिम घोषित कर दिया। तो क्या उस थानेदार को तत्काल निलम्बित करने की घोषणा प्रशासन की तरफ से नहीं की जा सकती ? इस प्रकार की घोषणा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं समझता हूं कि इस पर एक वक्तव्य मुख्य मन्त्री या किसी वरिष्ठ मन्त्री का होना चाहिये। जब एक थानेदार ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है तो उसे अविलम्ब, तत्काल सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता ? (व्यवधान)।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने दिया जाय, क्योंकि यह कानपुर का मामला है। (व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन् के सामने उपमन्त्री जी ने जो निवदन किया है, उस के पूरक स्वरूप में आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा कोई विचार नहीं है कि किसी सम्मानित सदस्य के ऊपर सरकार के बतौर कोई आरोप लगाया जाय। सरकार कोई प्रतिपक्ष, कांग्रेस या विरोधी दल का प्रश्न बिलकुल नहीं,बनाना चाहती। मैं आग्रह करता हूं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है। सरकार को प्रसन्नता होगी यदि ये तथ्य आप के सामने आ जांय, जिस से इस सदन की महिमा और गरिमा बनी रह सके। तो मैं आश्वासन देता हूं कि पूरक के रूप में कि वास्तव में ऐसा कोई विचार नहीं है कि किसी सम्मानित सदस्य को खवामखवाह विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से आरोपित किया जाय। और श्रीमन्, इस के सम्बन्ध

में अगर किसी अधिकारी ने कोई बात की है जो कानून से परे है, तो उसकी अवश्य जांच करायी जायगी ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, इस में माननीय उप मन्त्री अपना बयान दे दें कि माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे और एक सब इन्स्पेक्टर ने उन के घर के ताले तोड़ कर उन के परिवार के लोगों को आतंकित किया है । माननीय उप मन्त्री जी इस बात का पता लगायें कि यह ज्यादती उन के साथ हुई है या नहीं ? उन के बच्चों को बेइज्जत किया गया है या नहीं ? (व्यवधान) ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि दारोगा ने सदन का अवमान किया है या नहीं ? जैसी कि माननीय सदस्य के खिलाफ एक दारोगा ने कार्यवाही की और वह सदन में उपस्थित थे । दारोगा ने उनके घर के ताले तोड़े तो इससे सदन का अवमान हुआ या नहीं ? माननीय मोती लाल जी ने उस दिन बजट के ऊपर आई० जी० के विरुद्ध भाषण दिया जिस दिन कटौती का प्रस्ताव था तो श्रीमन्, यह सदन के अवमान का प्रश्न है या नहीं ? (व्यवधान) ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, एक विधायक के नाते दरोगा को यह जरूरी था कि वह पहले एस० एस० पी० और डी० एम० को इस की सूचना देता । लेकिन उस ने ऐसा नहीं किया । इस में एस० एस० पी० का भी हाथ है । जिस तरह से इस चीज को बढ़ावा दिया गया है, वह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मोती लाल जी इस बात को कहें कि यह झूठा आरोप लगाया गया है और यह फैक्ट्स हैं । आप उन को मुझे दे दें । मैं उन पर विचार कर लूंगा । प्रतिवाद को करना है, यदि नहीं करते हैं और चुप रहते हैं तो लोग कहेंगे कि वे चुप क्यों बैठे रहे ?

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री राजितराम पांडेय ने जो कुछ सदन में वक्तव्य दिया है वह बिल्कुल नितांत असत्य, एक दम झूठा और एक दम गलत है । इस से ज्यादा झूठी और गलत बात और कोई नहीं हो सकती है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आरोप लगाया गया है वह एक दम झूठ और गलत है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोतीलाल जी ने एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर कही है और मैंने यह निवेदन किया था कि थानेदार ने एक रिपोर्ट उन के खिलाफ लिखी है । हो सकता है कि वह सही हों या गलत हो, मन गढ़न्त हो और एक जिम्मेदारी के साथ सदन के सामने रखी है । मैं चाहता हूं कि आप इस को अपने हाथ में लें । माननीय मोती लाल जी का पूर्ण विवरण के साथ आप बयान ले लें और गृह मन्त्री जी से कहें कि उन की पुलिस ने जो कुछ भी इन्क्वायरी की है उसकी रिपोर्ट क्या है । किस तरह से वह अपना मामला रखते हैं । आप उसको मंगवा लें और फिर आप उस में व्यवस्था दें कि क्या इस सदन के अन्दर एक माननीय सदस्य पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहता है और दूसरी तरफ पुलिस के थानेदार या सिपाही किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ किसी वजह से, सही तभी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इस तरह से करें तो क्या भविष्य में इस प्रथा का चलने देना ठीक है ? आप

को इस में पूरी जिम्मेदारी है इस लिए मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में इन्टरफियर करें और दोनों पक्षों को सुनकर किसी निर्णय पर पहुंचें कि क्या मामला है ?

*श्री मनोहर लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं कानपुर का हूं, मुझे इस की जानकारी है। आज सदन के सामने जो मामला पेश किया गया है वह एक बहुत ही शर्मनाक मामला है। पांडेय जी ने आरोप लगाया है वह बिलकुल बेबुनियाद और गलत है। यह मामला शुक्रवार का है। शुक्रवार को विधान सभा साढ़े ६ बजे तक चली थी। मोती लाल जी उस में मौजूद थे। कानपुर नहीं गये थे। वह तो दूसरे दिन झांसी मेल से कानपुर गये हैं। उन के साथ भारत सिंह चौहान, और राम कुमार शास्त्री भी गये थे, इस के अलावा २—३ मेम्बर और झांसी मेल से कानपुर गये। उसी दिन शाम को कत्ल होता है और उन की गैरमौजूदगी में पुलिस उन के घर पहुंचती है, उन के घर का ताला तोड़ा जाता है और माननीय सदस्य उस समय लखनऊ में ही मौजूद हैं। पीछे के पेड़ से पुलिस वहां पहुंची और उन के यहां की तलाशी ली। आप ही सोच सकते हैं कि कितना शर्मनाक काम पुलिस ने किया है। यह सब होता रहा और वहां का डी० एम० और एस० पी० यह सब गवारा करते रहे। वे लखनऊ की पुलिस के द्वारा पता लगा सकते थे मोतीलाल जी यहां लखनऊ में मौजूद हैं या नहीं हैं। दूसरे दिन जब वे कानपुर पहुंचे और १२ बजे जब वे कचहरी को जा रहे थे। एक दरोगा जो सादी वर्दी में था उस ने इन से कहा कि तुम को थाने चलना पड़ेगा। थाने में ले जाकर बैठा दिया गया। वहां पर एस० ओ० नहीं था। कोई इन्चार्ज भी नहीं था। ५ मिनट पीछे इन्होंने पूछा हमको कैसे यहां बुलाया गया है तो हेड कांस्टेबिल ने बताया कि एक कत्ल के मुकदमे में वान्टेड हो। इन्होंने कहा कि कल तो हम लखनऊ में थे, हम तो कल यहां थे भी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब सी० ओ० वहां पहुंचा, तो इन्होंने सी० ओ० को सारी बात बतायी कि मैं तो कल लखनऊ में था।

श्री अध्यक्ष—

वे सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप हैं, क्या वे इस बात को नहीं कह सकते हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी—

जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाये गये हैं वे सब असत्य और निराधार हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके इसकी डिटेल मुझे लिख कर दे दीजिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

२० तारीख को मैं सदन में मौजूद था। उस दिन मैं ३—३ बार बोला हूं। अनुदान पर बोला हूं, नियम ५१ का प्रस्ताव जो बिजली कर्मचारियों के सम्बन्ध में था, जो अस्वीकृत किया गया था, उस के विरोध में बोला हूं, और इस के पहले भी एक बार बोला हूं। मैं साढ़े ६ बजे व पौने सात बजे तक सदन में बैठा हूं। रात में लखनऊ में ही सोया हूं। रात में ८॥ बजे के करीब श्री शिव प्रसाद पांडेय से मेरी बातचीत हुई है। मैं कानपूर शुक्रवार को रात को नहीं गया हूं, आप जितने सबूत चाहें दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जायसवाल जी, आप कृपा करके बताइये। वे आप के मित्र हैं। उन से आप एक रिपोर्ट डिटेल में लिखवा कर मेरे पास भिवजा दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बारा बंकी)---

अध्यक्ष जी, हर चीज की एक सीमा होती है । एक सीमा ऐसी भी आती है, जब कि भलमन्साहत की बात उस के बाद नहीं होती । इधर देखने में आ रहा है, कि कोई भी आदमी उधर से खड़ा हो जाता है, जिम्मेदारी का तो कहीं नाम भी नहीं रह गया है, जो चाहता है बात कह देता है, चाहे वह कितनी ही अनर्गल हो, असत्य हो, जिस प्रकार के चाहे आरोप और आक्षेप वह लगा देता है । मैं यह देख रहा हूं कि आप सर्वशक्तिमान होते हुये भी इस को रोक नहीं पाते हैं और न उपाध्यक्ष जी ही रोक पाते हैं । कोई भी आदमी व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़ा हो जाता है और किसी पर भी लांछन लगा कर असत्य भाषण कर देता है । यह खाली एक दो आदमी का ही सवाल नहीं है । मुझे तो यहां तक जानकारी मिली है, इस को आप सुनेंगे तो आप को मालूम होगा कि किस हद तक मामला बिगड़ गया है । मिसाल के तौर पर यह सूचना मिली है ऐसा ये हमारे संगठन कांग्रेस के भाई लोग यहां पर बैठे हैं, आप भी जानते हैं कि रायबरेली में राजनारायण जी प्रधान मन्त्री के खिलाफ उम्मीदवार थे । वहां के इन्चार्ज राजेन्द्र प्रताप सिंह जी थे । अब यह योजना बनायी जा रही है कि चूंकि राजेन्द्र प्रताप सिंह जी की वजह से प्रधान मन्त्री के मुकाबिले राजनारायण जी को उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट मिल गये, इसलिए उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाय और ऐसा झूठा केस बनाने के लिए पहाड़ पर कोई दरोगा हैं, उन को लालच दिया गया है कि उन को राय बरेली का कोतवाल बना दिया जायगा । ("बड़े लज्जा की बात है" की आवाज ।)

दूसरी चीज मैं आप को यह बता दूं कि जैसे सभी मंत्रियों को गार्ड मिलता है मुख्य मन्त्री के साथ भी साधारणतया वही गार्ड रहता है लेकिन मुख्य मन्त्री की सुरक्षा और सुदृढ़ की गयी है जैसे कि उनको कोई बड़ा खतरा है । एक नीली पिक-अप में एक दरोगा, एक हवलदार और उसके साथ ३-४ कांस्टेबिल ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुख्य मंत्री को कोई बड़ा खतरा है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष---

यह रेलेवेन्ट इतना नहीं है । आप मोती लाल जी का केस लीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं जो कह रहा हूं वह आप सुन लें उसके बाद आप देखें कि रेलेवेन्ट है या नहीं । यह खबर भी यहां पर बहुत गरम है कि चौधरी चरण सिंह की भी सुरक्षा का इन्तजाम शायद कुछ बढ़ाया जाय । लेकिन उसके साथ साथ यह बताया जा रहा है कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना चौधरी साहब के साथ हो जाय तो कह दिया जायगा कि इनकी सुरक्षा का सारा इन्तजाम कर दिया था उसके बावजूद कोई घटना हो गई । इस तरह की निकृष्ट, नीच साजिशें इस वक्त चल रही हैं ।

इसी के साथ मोतीलाल का वाकिया हुआ है । आप सभी जानते हैं कि मोतीलाल जी उस दिन सदन में रहे और रात यहीं गुजारी । यह घटना रात ९ बजे की बतायी जाती है । अगर हैलीकाप्टर अवेलेबिल होता तो वे वहां पहुंच पाते, नहीं तो पहुंच नहीं सकते हैं । लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट में इनका नाम आया है अगर उसको आप देखें तो ऐसी रिपोर्ट लिखाना साधारण आदमी के बस की बात नहीं है । उसमें पूरी तरह से मोती लाल जी को फंसाने की कोशिश की गयी है । मैं रिपोर्ट का सिर्फ रेलेवेन्ट पोर्शन पढ़े देता हूं ।

"मोतीलाल देहलवी, एम० एल० ए० हाथ में डण्डा लिये खड़ मारने वालों से कह रहे थे कि जिन्दा न रहने पावें । हम सब निपट लेंगे ।" खाली इतना ही होता तब भी समझ में आता कि शायद उस आदमी ने लिखाया हो। लकिन आप देखें कि इसमें आगे लिखा है---

"और पिताजी चिल्ला रहे थे कि मोतीलाल देहलवी मरवाये डाल रहा है।" मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप से ज्यादा एविडेन्स ऐक्ट यहां कोई नहीं समझता होगा। उसके मुताबिक कोई कसर मोतीलाल को फंसाने की छोड़ी नहीं गई है। जिसके नाम पर यह रिपोर्ट लिखाई गई है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। जल्दी कोई भी वकील इस तरह की रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। यह तो जो बिल्कुल अभ्यस्त हो जाते हैं एफ० आई० आर० लिखाने में उसी का काम हो सकता है। फिर आगे आप देखें—

"मोतीलाल देहलवी सब मुलजिमानों के साथ भाग गये।"

मारने वालों में नहीं, खाली अबेट करने वालों में उनका नाम रखा है। उस तरफ के बैठने वालों को भी सौभाग्य मिला होगा वकील के नाते कचहरी में जाने का।

वह अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें यदि वहां के कांस्टेबिल या दूसरे अधिकारी इसमें शामिल न होते तो जिस तरह से रिपोर्ट है, उसमें वह जिक्र मोतीलाल जी के बारे में आ नहीं सकता है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं। यह बात मैं अपने अभी तक के अनुभव के आधार पर भी कहता हूं। यहां पर मोतीलाल जी के आवास पर टेलीफोन लगा हुआ है। इस बात को थाने के आदमी जानते हैं। मोतीलाल जी के आवास पर जब टेलीफोन लगा है तो जिस वक्त यह रिपोर्ट लिखाई गई तो उसकी जानकारी करने के लिये वह मोतीलाल जी के आवास से टेलीफोन करके मालूम कर सकते थे कि वह अपने आवास पर अपने बच्चों के साथ उस वक्त हैं या नहीं लेकिन कहीं कुछ नहीं किया गया। फिर उसके बाद वह अपने कानपुर वाले मकान पर भी नहीं मिले। फिर डी०वाई० एस० पी०, जिसको सी० ओ० कहते हैं वह भी मोतीलाल जी से पूछ तांछ करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। मोतीलाल जी २१ तारीख को यह घटना डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाते हैं। डिप्टी डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि आपको बिलकुल झूठा फांसा गया है। इस सब के बावजूद यह बात उठाई जाती है। जो इलजाम लगाते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी विचार कर लिया जाय कि क्या वह ऐसे उपयुक्त पात्र हैं कि जिनकी बात का यकीन किया जा सकता है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस आदमी को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होगा वही इस तरह से दूसरों को बेइज्जत करने में, दूसरे पर, झूठा आरोप लगाने में, जरा भी हिचक का अनुभव नहीं कर सकता है। मान्यवर, यहां अगर मैं राजितराम जी के बारे में सही जानकारी सदन को दे दूं.....

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से परस्पर नहीं होना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यहां पर सम्मानित सदस्य कहा जाता है लेकिन यदि इस प्रकार से उसका व्यवहार नहीं होगा तो फिर वह सम्मान के लायक नहीं होगा। यह हाल इस हाउस में हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह मामला इस हद तक बिगड़ गया है कि यदि आप मोतीलाल जी की और विपक्ष की रक्षा नहीं करेंगे तो और स्थिति बिगड़ जायगी। आप इस विधान सभा के अध्यक्ष ही नहीं हैं बल्कि आप हम सब के सम्मान के भी रक्षक हैं। अब समय आ गया कि आपके प्रोटेक्शन की विपक्ष को जरूरत है। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आपके संरक्षण की मोतीलाल जी को भी बहुत आवश्यकता है। इसमें आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे सारी चीजें आपके सामने आ जायं। मोतीलाल जी को जिन लोगों की सांजिश से फंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है उन फंसाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जरूरत है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, अभी जायसवाल जी ने हमारे दल के राजेंद्र प्रताप सिंह जी का जिक्र किया । वह हम आपको लिखकर भेज रहे हैं । हमको यह मालूम हुआ है कि अतिरिक्त डी०आई०जी० ने किसी हाड़ के सब इन्सपेक्टर से कहा है कि अगर तुम राजेंद्र प्रताप सिंह जी को किसी बलात्कार के केस में फंसाकर सजायाफ्ता करा दो तो तुमको परमोट कर दिया जायगा । इस विषय में हम आपके पास लिख रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि सदन का वातावरण ऐसा न हो जिसमें कोई किसी प्रकार की उत्तेजना पैदा हो । हमको यह भी पता चला है कि उस सब-इन्सवेक्टर ने उनसे कह दिया है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, इस काम को करने के लिये तैयार नहीं हूं । मुझे कल एक साहब ने बताया था कि एडीशनल डी०आई० जी० ने यह कहा कि तुम राजेन्द्र प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते ? हम आप के पास इस को लिख कर भेजेंगे और आप उस पर जो उचित कार्यवाही समझें वह करें, हम उस की कापी मुख्य मंत्री जी को भी भेज रहे हैं...(व्यवधान)

हम इस को उठाना नहीं चाहते थे, हम इस को आप के और मुख्य मंत्री जी के पास भेज देते लेकिन अब चूंकि यह प्रश्न इस सदन की प्रापर्टी हो चुका है और मामला यहां आ गया है इसलिये विवश होकर हमें यह कहना पड़ा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, अभी सम्मानित नेता सोशलिस्ट दल ने जो अपने विचार यहां व्यक्त किये उन से इस हद तक तो मैं सहमत हूं कि सदन में जो कुछ कहा जाय वह एक उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कहा जाय और यहां पर निराधार आरोप लगाना माननीय सदस्यों की और सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है चाहे वह किसी भी पक्ष के लोगों के खिलाफ लगाये जायं । जो कुछ यहां माननीय सदस्य, कानपुर के विषय में कहा गया वह बात सही हो सकती है लेकिन माननीय जायसवाल जी ने जो इस प्रश्न की परिधि को बढ़ाकर इस तरह की बात कहकर प्रभाव डाला कि बी०के०डी० के सम्मानित नेता चौधरी चरण सिंह की सुरक्षा की कोई अधिक व्यवस्था हो रही है और उनके लिये कोई खतरा है और कुछ हो जाय तो उसके लिये कहा जा सके ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उन की जिन्दगी को खतरा है, मैंने उन से निवेदन किया कि सतर्क रहें, इस तरह की सूचना है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं तो इतना ही कहूंगा कि माननीय चौधरी साहब का जीवन या किसी भी माननीय सदस्य का जीवन इस सरकार के लिये जितने महत्व का है उस का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता । इस तरह की अगर कोई बात किसी के विषय में कही जाती है तो यह हमारी कल्पना के परे बात है । ऐसी बात कहना कि उन की सुरक्षा का प्रबन्ध बढ़ाया जा रहा है यह बात सुनकर मुझे दुख हुआ ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अध्यक्ष महोदय, आप से मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषय में तीन बातों पर अधिक ध्यान दें और उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचें । इस में तीन व्यक्तियों पर हमला हुआ, एक राजेंद्र सिंह जी पर, एक श्री मोती लाल जी पर और एक चौधरी चरण सिंह जी पर और हो सकता है कि चौथा उसमें मैं भी आ जाऊं । जो पहले व्यक्ति हैं, श्री राजेंद्र सिंह उन के बारे में तो अभी माननीय शर्मा जी ने बताया कि उन को इसलिये चुना गया चूंकि उन्होंने प्रधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मंत्री के चुनाव में उनके खिलाफ अगवाई की थी और उनकी वजह से ही इतने वोट उन के खिलाफ पड़ गये और दूसरे सज्जन जो मोती लाल जी हैं उन के खिलाफ वह इसलिये हैं कि उन्होंने आई०जी० इस्लाम अहमद के खिलाफ दस्तखत कराये और इसका सबूत यह भी है कि जब वह उनसे मिलने गये तो उन्होने उन से बात तक करने से इनकार कर दिया। चौधरी साहब के बारे में वह कहते हैं कि वह गलत काम कराते थे वह मैंने नहीं किये इसलिये वह नाराज हैं। यह इस बात का उत्तर था कि बजट सेशन में उन्होंने उनके खिलाफ राय प्रकट की। मैंने भी उनकी आलोचना यहां की थी और मेरे खिलाफ भी सुसंगठित और सुनियोजित योजना है कि इन को भी शारीरिक या मानसिक नुक्सान पहुंचाया जाय, मारली डिग्रेड किया जाय और उन की पब्लिक लाइफ को समाप्त किया जाय। यह कारण है जिन की वजह से सारा नाटक रचा जा रहा है।

माननीय तिवारी जी का यह कहना कि सारे सदस्यों का जीवन हमारे लिये वर्णन से अधिक महत्व का है इतने से हमें संतोष नहीं होता वह जो यह कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है उससे जीवन की सुरक्षा कहां रह जाती है? माननीय पांडेय जी खुद नहीं जाने कि सारा क्या मामला है, उन को प्रेरित कर के कहला दिया गया और वह किसी तरह से आधा घंटे में वह सारी बात किसी तरह से कह पाये। इसलिये हमारी यह घोषणा है कि यह उनकी एक सुनिश्चित योजना है। लेकिन हमारा आलोचना करने का अधिकार है, यह विरोधी पक्ष का अधिकार है और उससे हमें रोका नहीं जा सकता। आप के पास आई० जी०, डी०आई०जी० और दारोगा हैं आप हमारे भाषण और आलोचना पर हमें उन से ठीक कराने की बात सोचेंगे तो यह स्थिति बहुत गम्भीर हो जायगी। आप जनतंत्र को अनेक चोट लगाये हैं और इस तरह से आप उस का बराबर हनन कर रहे हैं लेकिन इस तरह से हमारी जबान को बन्द नहीं किया जा सकता। आज इस तरह से हमें बदनाम करके शारीरिक दृष्टि से, मारल दृष्टि से और हर तरह से बदनाम करने की और समाप्त करने की उन की योजना है लेकिन उनकी यह योजना एक दिन उनको ही खा जायगी।

मान्यवर, मैं सच कहता हूं कि मैं बड़ा चिंतित हो गया हूं जो मैंने इन चारों व्यक्तियों के बारे मे सुना है। मैं आपकी नोटिस में यह बात लाये देता हूं और इसे आप इस संदर्भ में सोचें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, इसीलिये प्रैस की स्वतंत्रता समाप्त हो गयी है, फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया गया है और इंदिरा जी डिक्टेटर बन गयी है।

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहूंगा कि आप लोग माननीय मोतीलाल जी की मदद करें और वे एक सुनियोजित वक्तव्य मेरे पास भेज दें?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

भेज रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

जब आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी है सुरक्षा की और यहां पर ऐसी चीजें हो जाती हैं (श्री जगदम्बा प्रसाद के कुछ कहने पर) आप भी लिख कर दे दें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, माननीय रघुनाथ सिंह जी को भी दफा ३९५ और ३३२ में फंसाया गया है। यह मनोवृत्ति है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री शिव सिंह थानेदार ने भी मेरे खिलाफ फैजाबाद जिले में साजिश की थी लेकिन उसको भी हटाने की इनकी हिम्मत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप भी लिखकर भेज दें। मैं चाहता हूं कि इस विषय में हम लोग माननीय मुख्य मंत्री से चर्चा करें। पहले मैं दलों के नेताओं से चर्चा कर लूंगा और फिर जो स्टेटमेंट आयेंगे, गहराई से उस पर विचार करूंगा जिससे सब की सुरक्षा हो और खतरा बाकी न रहे।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी से एक निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके रायबरेली जायें और ठाकुर साहब श्री राजेंद्रप्रतापसिंह की नितनी भी कारगुजारी है, बलात्कार के सिलसिले में, उसे देखें और खुद ही जांच कर लें। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा लगता है कि अतिरिक्त आई० जी० का कश्मीरी खून बोल रहा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय सदस्य ने भाई राजेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जो चार्जेज लगाये हैं, बलात्कार करते हैं, कहा है उनको वे वापस ले लें और कार्यवाही से उनको आप निकाल दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर सदन में इस प्रकार से कहा जायगा तो ये माननीय मंत्रियों के विरुद्ध भी कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि यहां पर जितने भी अनपार्लियामेंटरी शब्द प्रयुक्त हुये हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ?

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को वापस लेने के प्रस्ताव पर विधान परिषद् की सहमति की सूचना

सचिव, विधान सभा—

आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३० जुलाई, १९७१ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है :

"यह सदन विधान सभा द्वारा दिनांक २२ जुलाई, १९७१ को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

२० जुलाई, १९७१ के तारांकित प्रश्न ६ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा के २रे मंगलवार, दिनांक २० जुलाई, १९७१ को श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के संबंध में श्री इन्द्र मणि बड़ोनी ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए सन् १९६१ से अभी तक कितनी डिस्पेंसरीज ऐसी हैं, जिसमें डाक्टर नहीं गये हैं और आपने जैसा कहा है वहां पर आने-जाने की दिक्कत है तथा कितनी कठिनाइयां हैं। तो क्या जो पहाड़ पर डाक्टर जायं उनको अलग से अलाउन्स देने की कृपा करेंगे ताकि डाक्टर वहां पर जा सकें।" उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "ऐसा प्राविधान किया गया है कि हम उस डाक्टर को सौ रुपये पेमेंट देने को तैयार हैं जो वहां जाय।" उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है "भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काम करने वाले डाक्टरों को १५० रु० प्रतिमास का विशेष वेतन दिया जाय। इसके लिये कुछ ही ब्लाक्स छांटे गये हैं, सभी क्षेत्रों में यह नहीं दिया जायगा।"

२---उपरोक्त तारांकित प्रश्न के ही संबंध में श्री शिव कुमार जी ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "अभी बताया गया कि बहुत सी कठिनाइयों के कारण डाक्टर लोग नहीं जाते हैं, तो क्या मंत्री जी इन कठिनाइयों को देखते हुए मेडिकल कालेज में भरती के लिये छात्रों पर जो प्रतिबन्ध है और जो कम्पटीशन होता है उस में पहाड़ी लड़कों को ऐसी सुविधा देने पर विचार करेंगी ताकि वह चुनाव में आ जायं और फिर पढ़ने के बाद पहाड़ी क्षेत्र में जाकर कार्य कर सकें।" उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "पहाड़ी लड़के भी इस में आयें यह तो ठीक है, लेकिन अभी तक कोई रिजरवेंशन वगैरह नहीं रखा जाता है।" वह उत्तर ठीक नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है "पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तराखंड के छात्रों के लिये क्रमशः तीन-तीन प्रतिशत सीटें एम०बी०बी०एस० कोर्स के प्रथम वर्ष में सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के लिये सुरक्षित सीटों पर प्रवेश पाने के लिये प्रवेश परीक्षा में कोई न्यूनतम अंक पाने की शर्त भी नहीं रखी गई है, जो सामान्य सीटों के लिये प्रत्येक विषय में २५ प्रतिशत तथा योग में ३३ प्रतिशत है। इस वर्ष अनुसूचित जन-जातियों (शिड्यूल ट्राइब्ज) के लिये भी एक प्रतिशत सीटें सुरक्षित की गई हैं और इनके लिये भी न्यूनतम अंकों की शर्त नहीं रखी गई है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०६३ पर)

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

इसमें जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते।

श्री इन्द्रमणि—

क्या माननीय मंत्री जी यह जानकारी देंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ ही ब्लाक्स छांटे गये हैं सभी क्षेत्रों के, तो पर्वतीय जिलों के कौन से ब्लाक्स हैं जो छोटे गये हैं। क्या पर्वतीय जिलों में बी ब्लाक्स है या नहीं ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के भी ब्लाक्स हैं।

इलाहाबाद जिला परिषद् की बी०टी०सी० के अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितता होने के सम्बन्ध में वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कार्यसूची के 8वें आइटम के वक्तव्य के लिये मंत्री जी ने लिखा है कि इसकी मोहलत और दे दीजिये। तब वक्तव्य देंगे। आज वे हैं भी नहीं।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९७१

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स १९७१ को (संशोधन) विधेयक १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे १०६४ पृष्ठ पर।)

इलाहाबाद जिला परिषद् के बी० टी० सी० के अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितता होने के सम्बन्ध में वक्तव्य के लिए आग्रह

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के .....

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप वित्तीय वर्ष के अनुदान पर चर्चा का विषय बनायें मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यह प्रश्न नं० ८ जो कार्यसूची में है इलाहाबाद जिला परिषद की बी०टी०सी० के अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितता होने के संबंध में शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य।

श्री धर्मवीर

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं, राज्य मंत्री जी भी नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है। एडमीशन्स हो रहे हैं। जिला परिषद द्वारा जो चयन किया गया है और जो सूची बनायी गई है, उसमें न तो मैरिट का कोई आधार है और न कोई अन्य आधार है, जैसे चाहा बना लिया। ऐसे महत्वपूर्ण मामले के लिये शिक्षा मंत्री जी का न होना ठीक नहीं है। वह नहीं थे तो राज्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री दे सकते थे ताकि जानकारी तो हो जाती। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अगर इस तरह से आनाकानी की जायेगी तो कैसे काम चलेगा? श्रीमन्, इस पर कल वक्तव्य करा दें।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि उनके पास इतनी सामग्री नहीं है कि वक्तव्य दे सकें। शिक्षा मंत्री तो यहां नहीं हैं लेकिन उन्होंने लिखकर भेजा है कि तीन दिन में मैं मंगवा सकता हूं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, यह प्रश्न मैंने दिया था और यह पंचायतराज मंत्री से संबंधित है क्योंकि जिला परिषद् उनके अन्तर्गत हैं। शिक्षा मंत्री जी से संबंधित नहीं हैं। इसमें जितनी देर होगी उतना ही अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष--

अधूरी सूचना देना तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। अगर दो-तीन विभागों से संबंधित हैं तो सब जगह से इकट्ठा करके ही वह देंगे।

श्री धर्मवीर--

श्रीमन्, प्रवेश का समय अगस्त तक होता है, इसका भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष--

आज २४ हैं। वह २७ को देंगे।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (क्रमागत)†

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से श्री धर्मवीर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आधुनिक युग की जो सबसे मुख्य आवश्यकता इस समय प्रतीत होती है वह विद्युत है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिये, गरीबी दूर करने के लिये जिस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है चाहे वह कृषि क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो और चाहे लघु उद्योग के क्षेत्र में हो, सबमें विद्युत की एक अपनी उपयोगिता है। हमारा प्रदेश जिसमें यदाकदा यह चर्चा होती है कि पिछड़ा प्रदेश है और हमारे सामने बैठने वाले लोग तो बराबर इस बात को कहते हैं कि हम गरीबी दूर करने के लिये एक अभियान चला रहे हैं। मैं इस सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि क्या गरीबी दूर करने का अभियान आप केवल शाब्दिक ही चलाना चाहते हैं? कैसे दूर होगी गरीबी? दिल्ली चलकर प्रदर्शन करने से गरीबी दूर नहीं होगी। युवकों का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२३ अगस्त, १९७१ की कार्यवाही से।

यहां प्रदर्शन कराके दूर नहीं होगी। जनता की मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपया बेकार में खराब करके गरीबी दूर करने का जो ढोंग कर रहें हैं इससे कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में गरीबी कैसे दूर होगी इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा। जहां तक गरीबी दूर करने का प्रश्न है उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ७५-८० फीसदी किसान रहते हैं और आर्थिक समृद्धि के लिये आवश्यक है कि आप उनकी हालत को अच्छा कर दें। अगर आप इस ओर कदम उठायेंगे तो गरीबी निश्चित रूप से दूर होगी। जब हम आपके कार्यों को देखते हैं और इस सरकार की योजनाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मूल प्रश्न से बिल्कुल अलग हो कर विचार कर रहे हैं। इस अनुदान के रखने में आपने खाली एक घोषणा की है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में और इस वर्ष की योजना में इतने ट्यूबवैल लगेंगे, इतने नलकूप बनेंगे और इतनी बिजली सप्लाई होगी। आपने गांवों के विद्युतीकरण की भी योजना बनायी है। इस समय क्या हो रहा है उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। किसान की क्या हालत है उसको आप नहीं देखते हैं। खेती की समृद्धि के लिये सबसे मूल आवश्यकता है पानी की। पानी देने में सिंचाई विभाग असमर्थ है। पानी देने के संबंध में एक नयी योजना यह हुयी कि धरती के गर्भ से पानी निकाल कर किसान खुद अपनी सिंचाई करे इसमें पावर का सब से अच्छा उपयोग होगा।

मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि इस दिशा में विद्युत विभाग से जितना सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता है और वह सहयोग करीब-करीब नहीं के बराबर है। किसान अगर विद्युत के कनेक्शन के लिये आवेदन-पत्र देता है तो उसे विद्युत विभाग के दफ्तर में और जिला स्तर के दफ्तरों में बहुत दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी बी० डी० ओ० का सर्टिफिकेट मांगते है तो कभी वोरिंग का सर्टिफिकेट मांगते हैं, आदि-आदि। उसको अनेक परेशानियां उठानी पड़ती है। वर्षों-बीत जाते हैं और किसान को कनेक्शन नहीं मिलता है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं ऐसे दसों उदाहरण दे सकता हूं जिनको कि एक-एक वर्ष हो चुका है आवेदन-पत्र दिये हुए और आजतक कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप वास्तव में चाहते है कि किसान को बिजली मिले तो आप इस सुविधा को दिलाने की व्यवस्था करें ताकि उनके आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र बिजली दी जा सके।

मान्यवर, एक आश्चर्यजनक बात है और वह है बिजली में कटौती की। आप कटौती उस समय करते हैं जबकि किसान को बिजली की सख्त आवश्यकता होती है। कटौती से किसान के सामने एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब किसान की फसल तैयार थी तब आपने कटौती कर दी। अगर उस समय बिजली की कटौती न की गयी होती तो किसान शेशर के जरिये अपनी फसल की मंडाई कर सकता था। आप कहते थे कि किसान को बिजली देंगे और उद्योग-धंधों के वास्ते बिजली देंगे। इस समय प्रदेश में भयंकर स्थिति व्याप्त है और करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गयी है। सीधे-सीधे यह सब बिजली विभाग की लापरवाही के कारण और इस विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और अकर्मण्यता के कारण हुआ। आपका ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि जिस समय किसान को बिजली की आवश्यकता हो उस समय उसे मिलनी चाहिये। किसान की बिजली में कटौती न हो इसकी आपको आज घोषणा करनी चाहिये। कभी आपने यह भी सोचा है कि १५-१५ दिन ब्रेक डाउन होते हैं और बिजली किसान को नहीं मिल पाती है। बिजली चली जाती है और किसान भगवान के सहारे रहता है। आपके लाइनमैन और यह विभाग कोई तब्ज्जह नहीं देता है और न ही ध्यान देने की चेष्टा करता है। आप यह व्यवस्था करें कि किसान को समय पर बिजली मिलती रहे। नहर विभाग से भी किसान को कोई सहूलियत नहीं मिलती है। किसान अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तब भी आप उसको सहयोग नहीं देते हैं। पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस दिन तक ब्रेक डाउन

[श्री रामकुमार दीक्षित]

रहता है और नतीजा यह है कि किसान की आई हुई फसल चली जाती है ,तो श्रीमन्, इसकी व्यवस्था करें। इनका विभाग गारन्टी करे कि ब्रेकडाउन्स नहीं होंगे। यदि हों तो जिन कर्मचारियों के कारण हुए हैं निश्चितरूप से उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाकर कार्यवाही करें। इस घोषणा को मंत्री जी को करना चाहिये।

श्रीमन्, इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं। आपने अपनी इस पुस्तिका में छपवाया है कि गान्धी शताब्दी में इतने हजार गांवों को बिजली दे दी। श्रीमन्, गांव में पोल लगा देने से बिजली नहीं दी जा सकती है। गांवों में आपने खम्बे और तार तो खिचवा दिये हैं लेकिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों को बिजली देने का दावा सही नहीं है। मेरे क्षेत्र में गान्धी शताब्दी में 5 गांवों को बिजली मिलने की बात थी। वहां के किसान बराबर विभाग का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिला है। इस तरह से आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहां एक लाख कुछ हजार गांव है। तो अगर आप देखें तो निजी नलकूपों का योग एक गांव पीछे एक आवेगा। इस उपलब्धि के संदर्भ में आपको सोचना चाहिये कि इस प्रदेश के किसानों की गरीबी दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं। आप का ध्यान तो केवल बड़े लोगों की ओर है। आप उनके कल कारखानों में ब्रेकडाउन्स नहीं होने देते हैं। वहां बिजली की सप्लाई रिगुलर की जाती है। इस तरहकी बात किसान के साथ नहीं की जाती है। आपको यह कहने का हक नहीं है कि आप उस वर्ग का नेतृत्व प्रदेश में करते हैं जिसका बहुमत है जबकि आप केवल बड़े-बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। इसको छोड़कर किसानों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये और घोषणा करना चाहिये कि हमारा विभाग किसानों को सस्ती दर पर बिजली देगा। किसान से जो एग्रीमेंट होता है वह उपहास की बात है। क्या किसी और से भी इस तरह का एग्रीमेन्ट आपने किया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा ने सारे प्रदेशों के आंकड़े बतलाये थे और कहा था कि उत्तर प्रदेश में मिनिमम गारन्टी का रेट सबसे अधिक है। श्रीमन्, क्या इसी तरह से आप गरीबों को उठाना चाहते हैं कि मिनिमम गारन्टी का रेट सबसे ज्यादा रक्खा जाय। पिछली सरकार ने मिनिमम गारन्टी में कमी की घोषणा की थी लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुई है। तो मंत्री जी इस सम्बन्ध में भी प्रकाश डालें कि पिछली सरकार ने मिनिमम गारन्टी में 10 रुपया प्रति हार्स पावर कमी करने की घोषणा की थी उस का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया है। जैसा कि उद्योग धंधों में नियम है कि जितनी बिजली खर्च होती है उसी का पैसा लिया जाता है वैसा ही किसान के साथ होना चाहिये। उससे हो सकता है कि आपकी आय अधिक हो क्योंकि जितनी बिजली खर्च होगी उसका आपको पैसा मिलेगा लेकिन जो मिनिमम गारन्टी का रक्खा गया है उससे किसानों को बड़ी पीड़ा है। यदि मिनिमम गारन्टी का नोटिस किसान को मिलता है और वह पैसा अदा नहीं कर पाता है तो विभाग के कर्मचारी उसका कनेक्शन काट देते हैं, भले ही उसकी फसल सूख रही हो, भले ही उसकी फसल खलिहान में सड़ रही हो, लेकिन कनेक्शन कट जाता है। श्रीमन्, क्या किसी पूंजीपति का कनेक्शन आपने काटा है।

३०–४० लाख रुपया कानपुर के पूंजीपतियों पर बिजली का बकाया है। यह एक वर्ष का नहीं है, दस वर्ष का है। उनके कनेक्शन क्यों नहीं काटे जाते, उनकी मिलों को क्यों नहीं बन्द किया जाता। किसान के साथ आपके हत्यारे हाथ बड़ी जल्दी चल जाते हैं लेकिन इन पूंजीपतियों के प्रति आपकी रहम की नीति रहती है। आपका यह भेदभाव का वर्ताव है। किसान के साथ अलग वर्ताव है और पूंजीपतियों के साथ अलग। किसान से तो उसको गिरफ्तार करके मिनिमम गारन्टी का पैसा वसूल कर लिया जाता है तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी घोषणा करें कि पूंजीपतियों से भी उनको सींक्चों में डालकर पैसा वसूल किया जायेगा। अगर आप

नहीं कर सकते तो किसानों की तरफ से, बिजली के उपोभोक्ताओं की तरफ से एक ऐसा विद्रोह होगा जिसका सामना करना मंत्री जी के लिए सम्भव नहीं होगा ।

इसी के साथ एक बात और कहनी है । विद्युत् परिषद् की तरफ से एक सरकूलर निकाला गया है कि यदि मार्च, ७०–७१ में किसी का मिनिमम गारन्टी का पैसा अदा न हो तो अगर जिलाधीश संतुष्ट हों तो स्टे कर दिया जाय । राजस्व मंत्री ने यह घोषणो की है कि सब तरह की वसूली १५ दिसम्बर तक स्थगित है । लेकिन विद्युत् परिषद् ने जो सरकूलर निकाला है उसमें किसान को जिलाधीश के अधिकार में फंसा दिया है । किसान तो पहले से ही परेशान था । उसके कनेक्शन कटे हुए हैं । एक महीने बाद उसको पानी की आवश्यकता होगी । आपने लिखा है कि जिलाधीश अगर संतुष्ट हो कि इस पीरियड में मिनीमम गारन्टी अदा न करने से कनेक्शन कट गया है तो जोड़ दिया जाय । मेरा यह निवेदन है कि एक सीधा-सादा आदेश करें कि चूंकि इस वर्ष असामयिक वर्षा हुई और फसल की बरबादी हुई इसलिये विद्युत् विभाग की जो वसूलयाबी की प्रक्रिया है वह १५ दिसम्बर तक रुकी रहेगी जैसे कि राजस्व की १५ दिसम्बर तक रुकी हुई है । इसलिये जो कनेक्शन इस डिफाल्ट की वजह से काट दिये गये हैं कि पैसा जमा नहीं किया, वे जोड़ दिये जायं । अगर आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो किसान को राहत मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)––

मान्यवर, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । विद्युत् के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह अनुदान बड़े महत्व का है क्योंकि जब तक बिजली का विकास नहीं होगा तब तक न तो उद्योग का और न ही कृषि का विकास हो सकता है । मान्यवर, चौथी योजना में ३७५ करोड़ रुपये का प्राविधान बिजली के लिये रखा गया है जो बहुत कम है । प्रदेश की जितनी बिजली की आवश्यकता है वह इस ३७५ करोड़ रुपये से पूरी नहीं हो सकती। अगर आप प्रदेश के हर कोने में बिजली देना चाहते हैं और चाहते हैं कि विद्युत् का फैलाव हो तो ३७५ करोड़ में नहीं हो सकता । बहुत से इलाके आज भी ऐसे हैं जहां विद्युत् का नामोनिशान नहीं है । कुछ इलाके पूर्व के हैं, कुछ बुन्देलखंड के हैं, कुछ पहाड़ के हैं और कुछ मध्य के इलाके हैं । अगर बिजली नहीं है तो वहां न तो उद्योग हो सकते हैं और न ही कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है ।

हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई फैक्टरी इसलिये नहीं लग सकती क्योंकि वहां बिजली की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि कोई बड़ा उद्योग चल सकें । अगर उद्योग धंधों का सर्वे किया जाता है और उद्योग विभाग से कोई कमीशन भेजा जाता है या एक्सपर्ट भेजा जाता है तो वह कह देते हैं कि इस इलाके में बिजली नहीं है इसलिये उद्योग नहीं लग सकता ।

(इस समय १ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

मेरे इलाके में बिजली नहीं है इस कारण कोई उद्योग भी नहीं लग पा रहा है । जितनी बिजली की आवश्यकता है वह नहीं मिल पा रही है । आज हर जगह से यह आवाज उठ रही है कि बिजली की लाइन तो पहुंच गयी है, मगर बिजली गायब है । ६ घंटे के लिये अगर बिजली की जरूरत है तो एक घंटा मुश्किल से बिजली मिल पाती है । इसका कारण एक यह भी है कि माननीय विद्युत मंत्री जी ने जितना बजट इसके लिये रखा है वह बहुत कम है । प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए ३७५ करोड़ की जगह ९७५ करोड़ का बजट होना चाहिये । तभी प्रदेश की बिजली की आवश्यकता पूरी हो सकेगी मैं विद्युत् मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी राय]

को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि ४–५ महीनों के अन्दर उन्होंने बिजली विभाग में सुधार के लिये काफी प्रयास किया है और उसमें सुधार का दृष्टिकोण अपनाया है। पिछड़े इलाकों की ओर भी बिजली देने का जो उन्होंने दृष्टिकोण अपनाया है वह भी सराहनीय है। मैं अनुरोध करूंगा कि बजट के अलावा कोई और एडीशनल बजट मंत्री महोदय यहां लायें और प्रदेश की आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करें ।

एक बात मैं किसानों से जो मिनिमम चार्ज लिया जाता है उसके विषय में कहना चाहता हूं । इस न्यूनतम चार्ज के कारण किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जितनी वे बिजली इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनको पैसा देना पड़ता है। यह किसानों के साथ बहुत अन्याय है । मेरा निवेदन है कि आप इस मिनिमम चार्ज को ५ परसेंट कम करके, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो बिजली देते हैं उन पर ५ परसेंट यदि बढ़ा दें तो यह समस्या हल हो जायेगी और बिजली बोर्ड जो कहता है कि मिनिमम चार्ज कम कर देने से बोर्ड को घाटा होगा, वह बात भी नहीं रहेगी ।

एक बात और कहना चाहता हूं । पिछड़े इलाकों में जब बिजली की लाइन देने की बात सोची जाती है तो बिजली बोर्ड पहले इस बात पर विचार करता है कि इस लाइन से कितना रिटर्न मिलेगा १० परसेंट या १५ परसेंट । अगर इन चीजों पर विचार करके लाइन दी जायेगी तो पिछड़े इलाकों का विकास होना संभव नहीं है।

मान्यवर, हमारे यहां ओवरा, रिहन्ड, हरदुआगंज, रामगंगा, मऊ आदि जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वे पूर्वी या पश्चिमी इलाकों की जरूरतों को पूरा कर सकें, जरूरत के अनुसार बिजली दे सकें । हमारे माननीय मंत्री जी के पास विद्युत् और वित्त दोनों विभाग हैं । आज विद्युतीकरण किसान, उद्योगपति और छोटी इंडस्ट्री वालों के लिये इतना आवश्यक है कि इससे अधिक महत्व उनके लिये किसी अन्य विभाग का नहीं है। यदि आज प्रदेश के कोने-कोने में विद्युतीकरण हो जाये तो हमारे प्रदेश की सारी उलझी हुई समस्यायें हमेशा के लिये दूर हो जायेंगी । यह एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसमें अजीब-अजीब तरह के रूल्स बने हुये हैं, जिससे गरीबों और कम पढ़े-लिखे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप रूल्स को रिलेक्स करें नियमों को सरल बनायें और ऐसा बनायें कि शीघ्र कार्यवाही हो सके ।

आज जब कोई इंडस्ट्री लगाने के लिये कर्ज की मांग करता है हमारे क्षेत्र में जब इसके लिये अप्लाई करता है तो उसको लिखकर मिल जाता है कि इस क्षेत्र में बिजली की कमी है, इंडस्ट्री नहीं लग सकती, इसलिये कर्ज नहीं मिल सकता है । हमारे जिले में जब कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसको लिख दिया जाता है कि आजमगढ़ जिले में कोई विद्युत् सब स्टेशन नहीं है, कोई बिजली का प्राविधान नहीं है कि आप उद्योग लगा सकें । खासकर यह दिक्कतें पूर्वी इलाके में हैं । मैं माननीय मंत्री को इसके लिये भी धन्यवाद देना चहता हूं कि नरौरा का प्लान जो उलझा हुआ था उसे हमारे विद्युत् मंत्री जी जोर लगाकर अपने प्रदेश में लाने में सफल हो गये हैं । उसको उत्तर प्रदेश में लगाने के लिये उन्होंने जोरदार शब्दों में मांग की थी और उनकी यह मांग मंजूर कर ली गई । नहीं तो वह हरियाना, पंजाब या राजस्थान में चली जाती इसलिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । लेकिन इस एक प्रोजेक्ट से इतने बड़े प्रदेश का भला नहीं होगा । यहां पर दूसरा नरौरा पूर्वी या बुन्देलखंड के इलाके में बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बिजली की आवश्यकता पूरी होगी इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का जोरदार समर्थन करता हूं ।

(श्री चन्द्रभान शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)––

मैं रोज कई-कई बार उठता बैठता रहा हूं, आज भी सवेरे से उठ बैठ रहा हूं। लेकिन आप हमको कोई मौका नहीं दे रहे हैं। जब से यह सदन चला तब से हमको किसी पर मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष––

वह खड़े हुये हैं, बोल रहे हैं आप उनको बोलने दें।

***श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का विरोध और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ बोलने का अवसर दिया। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो यह अनुदान पेश किया है, इसकी जो हालत चल रही है, उसको देखते हुए मैं यह कहूंगा कि आप सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट पर अवश्य पूरा ध्यान दें जो कि चोरों का डिपार्टमेंट हो गया है। विभाग के जितने भी सेल्स टैक्स अफसर हैं वे बड़े-बड़े लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे-छोटे दुकानदारों पर बढ़ा चढ़ा कर टैक्स लगा देते हैं और जब फिर वह अपील करते हैं तो उनसे बड़ी-बड़ी रिश्वतें लेकर उन पर उचित असेसमेंट कर दिया जाता है जो पहले वाले से कहीं कम होता है। यह चेक नहीं हो रहा है। आप अपने अधिकारियों को बाध्य करें कि वे पूरी तरह से सही और उचित असेसमेंट करें। एक दूसरी चीज उनके सुझाव के लिये मैं रखना चाहता हूं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल्स हैं वे बड़े पुराने और रिजिड हैं। इसलिये कामों में अत्यधिक देरी होती है और वक्त पर कोई चीज पूरी तरह नहीं होती है और विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उनके सहारे उलझाव में उलझाव पैदा करते चले जाते हैं, इसलिये भ्रष्टाचार पैदा हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। इस विभाग पर प्रदेश के पिछड़ेपन की पूरी जिम्मेदारी है।

कर्ज देने वाले जितने यूनिट्स हैं, उनके रूल्स भी बहुत गलत और दिक्कत तलब हैं। लैंड बैंक, फाइनेंस कारपोरेशन, कानपुर आदि संस्थायें छोटे-छोटे यूनिट्स को कर्ज देने का काम करती हैं। मैं मंत्री जी से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि फायनेंशल कारपोरेशन कानपुर के बारे में खास तौर से तवज्जह दें, इस वजह से यह लोगों का इस कदर हैरसमेंट करते हैं, एक आदमी को अगर २० हजार रुपया देते हैं तो पांच हजार रुपया रिश्वत देने में और भाग दौड़ में खर्च करना पड़ता है। अगर वह इसमें कुछ सुधार कर सकें तो जरूर करना चाहिये।

मान्यवर, जितनी बिजली इस प्रदेश में पैदा होती है, जितनी बिजली का लक्ष्य है, जितनी बिजली खर्च की जाती है और जितनी बिजली पर कैपिटा इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हैन्डबुक बटी है, उसी से प्रतीत होता है, उससे गर्दन शर्म से झुक जाती है, जिसकी तारीफ करके मिनिस्टर साहबान की जबान नहीं सूखती। भारतवर्ष के तीन प्रदेशों को छोड़ कर जितने १३ या १४ प्रदेश हैं, बिजली के कंजम्शन के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से, पर कैपिटा खर्च के हिसाब से बिल्कुल पिछड़े हुये हैं केवल जम्मू कश्मीर नागालैन्ड और आसाम ही हम से पिछड़े हैं। कल वीरेंद्र वर्मा जी पूरी पिक्चर हाउस के सामने रख चुके हैं। कल जेटली साहब ने एक रिमार्क किया था अपनी स्पीच के अन्दर। आदमी की आदत होती है कि अपनी आंख का शहतीर भी नहीं देख पाता दूसरे की आंख का बाल भी देख लेता है। उन्होंने गायत्री भवन, और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन एस० एन० सिंह के बारे में फरमाया और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

चार्जेज लगा दिये लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते हैं। अपने दामन को देखें वह कितना खून आलूदा है। पहले विद्युत डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जे० एन० तिवारी थे। उनके बारे में पिछली सरकार ने विजिलेंस कमीशन बैठाया। क्या उनके बारे में रिपोर्ट नहीं हुई थी कि उनका प्रासीक्यूशन किया जाय लेकिन यह सरकार उनको बचाने में लगी हुई है और उनके कागजात खुर्दबुर्द करने को तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अब यह बात रखना चाहता हूं। जब कभी इस डिपार्टमेन्ट का ट्रांसफार्मर चोरी जाता है तो इसका पूरा भार कल्टीवेटर पर आता है जो बहुत सताया हुआ होता है। एक तो चोरी की वजह से उसकी खेती नष्ट होती है फिर विद्युत डिपार्टमेन्ट उससे मुआविजा लेता है। यह बड़ा अनर्थ है। इसके ऊपर जरूर विचार होना चाहिये। विद्युत डिपार्टमेन्ट काश्तकारों को मारने वाला है। यह बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट को कम रेट्स पर बिजली देता है और काश्तकारों के लिये जो रेट मुकर्रर किया है वह हैरत अंगेज है। वीरेन्द्र वर्मा जी ने कल कहा था कि १५ पैसे यूनिट काश्तकार को देना पड़ता है। १५ नहीं वह १७ पैसे यूनिट है। दो पैसे रिबेट होता है। अगर विदिन टाइम जमा नहीं करते तो १७ पैसे दाखिल करना पड़ता है। इन्डस्ट्रियलिस्ट्स पांच-पांच, सात सात साल के एरियर रखे हुए हैं उससे वसूल करने की ये लोग हिम्मत नहीं करते। लेकिन अगर काश्तकार १५ दिन के लिये फेल हो जाता है तो दो पैसा पर यूनिट बढ़ जाता है। यहां कहा का न्याय है? काश्तकार रात दिन, गरमी, सर्दी, लू, बरसात में ट्युबवैल चलाता है उसके साथ कोई कंसेशन नहीं होता। लेकिन बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स जो रात को आफिस में बैठ कर पंखे में बिजली खर्च करते हैं उनको रिबेट दिया जाता है।

इस सूबे के अन्दर दो अरब रुपये का अनाज का नुकसान हो गया। इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और गवर्नमेन्ट की है। उन्होंने पूरे अप्रल, मई और जून में पूरी नहीं दी, दो-दो दिन तक बिजली बन्द रही और थ्रेशर बेकार पड़े रहे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस बात की आती है कि वह देश जो अनाज में बहुत कमी रखता हो उसके काश्तकार का पैदा किया हुआ अनाज खलिहान में सड़ जाय, और हमारा एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और गवनमेन्ट के इंचार्ज इस तरफ ध्यान न दें। जितना मिसमैनेजमेन्ट इस डिपार्टमेन्ट में इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। अगर एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बैठे हों तो उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं मंत्री जी से मैं इस बारे में कह चुका और उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह मेरे इस आइटम को खासतौर से नोट करेंगे कि मुजफ्फरनगर में दो डिवीजन्स बने हुए हैं। एक कांस्ट्रक्शन डिवीजन और दूसरा मैन्टिनेन्स डिवीजन। मैन्टिनेन्स डिवीजन के पास पूरा स्टाफ है पूरे जिले के लिये लेकिन यह जो कांस्ट्रक्शन डिवीजन बना दिया गया है वह सहारनपुर जिले का जितना कांस्ट्रक्शन होता है उसे भी करता है जिसके फलस्वरूप सहारनपुर के काश्तकार को मुजफ्फरनगर आकर दौड़ना होता है।

कांस्ट्रक्शन डिवीजन के जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके पास न लाइन इन्सपेक्टर्स हैं, न दूसरा स्टाफ है। पुराने मेनटिनेन्स डिजवीन ने मुजफ्फनगर में १,८०० ट्यूबवैल लगाये जबकि कांस्ट्रक्शन डिवीजन ने केवल २०० ट्यूबवैल ही लगाये। लिहाजा पुराना मेनटिनेस डिवीजन ही वहां इस काम को पूरा कर सकता है। अगर कांस्ट्रक्शन डिवीजन के वगैर काम नहीं चल सकता तो फिर मुजफ्फरनगर तो दो यूनिट्स में बाट देना चाहिये। एक तो मुजफ्फरनगर तथा जानसठ तहसील में और दूसरा कैराना तथा बुढ़ाना तहसीलों में। कान्स्ट्रक्शन डिवीजन जो मुजफ्फरनगर तथा जानसठ में इस्टेबलिश्ड है उसका अपना पावर हाउस हो, उसका अपना दफ्तर है, गोदाम है। लोग उनसे कान्टेक्ट करके, दूर न जाकर जल्दी से जल्दी कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से पुराना मेनटिनेन्स डिवीजन जो है केराना तथा बुढ़ाना में काम करे क्योंकि उसका स्टाफ वहां फैला हुआ है। दो तरह के

इन्तजाम की वजह से कल्टीवेटर को बहुत परेशानी होती है, उसे रिश्वत देनी पड़ती है। बस वफा मुजफ्फरनगर दौड़ना होता है और काम भी नहीं हो पाता है। लिहाजा मेरा जो सुझाव है उस पर मंत्री जी खासतौर से ध्यान दें।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि उद्योग धन्धों के संबंध में जो लोग बिजली के लिये एप्लाई करते हैं मंत्री जी ने बताया था कि २० हार्स पावर से ज्यादा का कनेक्शन वह नहीं देते हैं और उसके लिये वह जिलाधीश की रिपोर्ट मांगते हैं। छोटे उद्योग धन्धों के लिये यह सरकार ढिंढोरा पीटती है और बिजली का कनेक्शन देने लिये जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाती है और २० हार्स पावर का कनेक्शन देने के लिये जिलाधीश को बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० पर निर्भर रहना पड़ता है जो उसकी रिपोर्ट देते हैं और वे किस तरह से हेरेसमेन्ट करते हैं यह सभी जानते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संबंध में रूल्स को लिबरलाइज करें और छोटे उद्योग धन्धों को बिजली के कनेक्शन देने में कंजूसी न करें। इन शब्दों के साथ मैं धर्मवीर जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन सकता हूं।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि विद्युत का जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उस पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि इसी सदन में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने बजट भाषण के दौरान यह कहा था कि ४६ करोड़ ८० लाख रुपये बजट में घाटा है जिसे वह अतिरिक्त साधनों के जरिये पूरा करेंगे। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वह थोड़ा सा भी ध्यान विद्युत् परिषद् की ओर देंगे और जो उन्होंने यह सफेद हाथी पाल रखा है उसको निकाल दें और जो उसके दोषी अधिकारी हैं उनको उचित सजा दें तो एक पैसा भी घाटा नहीं होगा और उनको अतिरिक्त कर भी नहीं लगाना होगा। मैं मंत्री जी के समक्ष आपके माध्यम से कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। माननीय मंत्री जी को मैंने तथ्य लिख कर भी दिये हैं। इतने भ्रष्टाधिकारी इस विद्युत् परिषद् में जिनके कारनामों का हवाला मैंने लिख कर दिया है लेकिन अफसोस है कि कोई कार्यवाही उस पर अभी तक नहीं की गई।

बहुत से मामलों पर लोक लेखा समिति के सामने भी उन तथ्यों को विद्युत् परिषद् में स्वीकार भी किया गया है। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है और उन प्रोसीडिंग्स को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जहां तक समाजवाद का प्रश्न है, चार आदमियों के धनी हो जाने से समाजवाद नहीं आ सकता है साथ ही जब तक आप भ्रष्ट अधिकारियों को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक बिल्कुल समाजवाद नहीं आ सकता है चाहे माननीय प्रधान मंत्री जी लाख कोशिश करें। यह एक ऐसा विभाग है जिस पर कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और जो कि अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है। विद्युत् परिषद् के संगठन के बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विद्युत परिक्षण के जो चेयरमैन एस० एन० सिंह हैं इनके लिये कहा जाता है कि इनको कार्मशियल जानकारी है। राज्य सरकार का एक नियम भी है कि उसी व्यक्ति को विद्युत् परिषद् का चेयरमैन बनाया जायगा जिसको कि कुछ कार्मशियल जानकारी और उससे संबंधित टेक्निकल जानकारी भी हो। इस उत्तर प्रदेश भर में एस० एन० सिंह के अलावा कोई अन्य अधिकारी नहीं मिला कि रेलवे विभाग से छांट कर चीफ एकाउन्ट आफीसर किया गया है।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टेक्निकल और कार्मशियल जानकारी एस० एन० सिंह को है कि जिन्होंने विद्युत परिषद् को ३५ करोड़ रुपये के घाटे के अन्दर पहुंचा दिया है। हमारी सरकार की हालत यह है कि हम कर्जा लेते हैं और उसे विद्युत् परिषद् को देते हैं उसमें विद्युत परिषद् घाटा दिखाता है और उस रकम का ब्याज हमारी सरकार को भुगतान पड़ता है। आज हम बंगला देश के लिये धन मांगते हैं और गरीब जनता देती है और इधर लूट खसोट विद्युत्

[श्री राम लाल भाई]

परिषद् में हों तो क्या यह उचित नहीं है कि विद्युत परिषद् को आप अपने हाथ में लें और उसको खुद चलावें ? यह सर्वविदित है कि जब कोई भी आदमी अपने घर का मालिक बनाया जाता है तो उसमें वह लूट-खसोट नहीं कर सकता है और जब दूसरे के घर मालिक बनाया जाता है तो कितनी लूट-खसोट होती है । मैं इसी लूट-खसोट का उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं । हरदुवागंज पावर हाऊस में एक विदेशी संस्था के द्वारा एक ब्वायलर खरीदा गया । जिसकी लागत २ करोड़ रुपया थी । इस ब्वायलर के त्रुटिपूर्ण होने के कारण विद्युत परिषद् को एक करोड़ रुपये की वार्षिक हानि हुई । इस ब्वायलर को ठीक कराने में ९५ लाख रुपये का खर्च लगता जिसे कि उस विदेशी संस्था को वहन करना चाहिये था परन्तु चूंकि श्री एस० एन० सिंह का इसमें अपना स्वार्थनिहित था इसलिये संस्था को छमाही किश्तों में भुगतान करते रहे । श्री राम प्रसाद देशमुख भूतपूर्व उपमंत्री ने उक्त हानि का उत्तर-दायित्व श्री सिंह पर ही होना स्वीकार किया था । लगता है कि एस० एन० सिंह ने एक खाता भी खोल दिया है और उसमें वे धन एकत्रित कर रहे हैं । खैर, इस जानकारी को तो माननीय मंत्री जी देख लेंगे कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूं ।

दूसरी बात इसी संदर्भ में यह है कि हरदुवागंज पावर हाउस के लिये ए० ई० जी० मेगावाट टरवाइन रोटर खरीदा जाना था जिसके लिये लगभग ६ माह पूर्व सभी कार्यवाही पूरी करने के बाद डिप्टी चीफ इन्जीनियर हरदुवागंज ने एस० एन० सिंह को आर्डर देने के लिये भेज दिया । इस मशीन को विदेश से मंगाया जाना था परन्तु श्री सिंह किन्हीं विशेष कारणों से जिसका ज्ञान मात्र उन्हीं को होगा, मामल को ६ माह तक बनाय रखने के फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो गई और इस प्रकार परिषद् को ८ लाख रुपये की हानि हो गई और विदेशी मुद्रा की भी हानि हुई । इस प्रकार की चोरी व लापरवाही जुटते जुटते ३४ करोड़ तक घाटा पहुंच गया है और इसमें भी ८ लाख का घाटा एक हुआ इन भ्रष्ट अधिकारियों के कु-कृत्यों की वजह से । उत्तर प्रदेश की आबादी ९ करोड़ है और ४० करोड़ रुपये का घाटा है । इससे उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को साढ़े चार रुपये का कर्जदार का भागी बनना पड़ा । अमर स्टोर का सत्यापन कराया जाय तो करोड़ों की कमी मिलेगी ।

इसके अलावा श्री जी० के० आर० वर्मा चीफ इंजीनियर व सदस्य विद्युत परिषद् भी है । इन्होंने अपनी फेमली के नाम एक फर्म खोल रखी है । जब ये समिति के सामने प्रस्तुत हुए तो इनसे पूछा गया कि आपकी कोई इस प्रकार की फर्म है ? तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई फर्म नहीं है । किन्तु जब मैंने कहा उस फर्म का नाम नेशनल इन्जीनियरिंग वर्क, फैजाबाद है उसका संचालन कौन करता है तो वे कहने लगे कि इसमें मेरा भाई, मां और भाई की औरत है । मैंने इन तथ्यों को लेकर माननीय विद्युत मंत्री को सारी चीजें बता दी हैं किन्तु खेद है कि अभी तक उन तथ्यों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

इसके अलावा तीसरी बात यह है कि एक टी० राज एन्ड नाज कम्पनी है जिससे बल्लियां खरीदने की बात थी । इस संबंध में एस० एम० सिंह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है और मैं इसकी छानबीन करूंगा चूंकि यह फर्म फर्जी है । इस नाम का कोई फर्म इलाहाबाद में नहीं है । जब मैंने कहा कि टी० राज एन्ड नाज कम्पनी जिससे बल्ली खरीदी गयीं उसको आप जानते हैं तो कहने लगे कि इस तरह की कोई फर्म नहीं है । तब मैंने कहा कि सोच लीजिये । तब जाकर ओ० डी० पन्त डिपुटी चीफ इन्जीनियर ने जी० के० आर० वर्मा से पूछकर बताया कि इस तरह की फर्म है । उससे फारेस्ट डिपार्टमेन्ट से कांट्रेक्ट पर ४६ रुपये में बल्ली खरीदनी थी और ९४.९५ रुपये पर बल्ली के हिसाब से खरीदी गयीं । जे०एन० सक्सेना ने आर्डर दिया था । उसमें ४,८९,५०० रुपये का घपला किया है । अगर ४६ रुपये भी मान लेते तो ठीक था, क्योंकि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का मामला था, सरकार के द्वारा खरीद थी, हमें कोई आपत्ति नहीं थी । तो इस प्रकार से उस पर काफी चर्चा चली । उन्होंने खेद प्रकट करके मान लिया और जांच का आश्वासन दिया ।

जे० एन० सक्सेना की बात है। उनको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोपों के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया था। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि हो गई। सरकार का आदेश था कि 3 साल तक उनको कोई इन्क्रीमेन्ट न दिया जाय। कैरेक्टर रोल में एंट्री कर दी गई थी लेकिन उनको जी० के० आर० वर्मा ने पक्षपतापूर्ण ढंग से केवल 1 साल दस माह के अन्दर ही उनकी पदोन्नति कर दी और ऐसे प्रमुख कार्यस्थल पर नियुक्ति हुई जहां उन्होंने 7 महोने के अन्दर ही 39.08 लाख रुपये के सप्लाई आर्डर्स किये और ऐसी फर्मों को आर्डर दिये जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वर्मा जी की निजी फर्म नेशनल इन्जिनियरिंग फर्म को आर्डर दिया जब 10 हजार से अधिक आर्डर एक इन्जीनियर नहीं दे सकता।

सन् 1968 में फजाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री बोरा को आवश्यक सामान ढुलाई हेतु नेशनल इन्जीनियरिंग वर्क्स द्वारा प्रचलित मूल्यों की एक सूची (कोटेशन) प्राप्त हुई जिसके आधार पर साल भर के लिये फर्म को आर्डर दिया गया। हाईडिल कांस्ट्रक्शन डिवीजन फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता, श्री मारकन्डे सिंह ने नेशनल इन्जीनियरिंग वर्क्स को उसी आर्डर के आधार पर सामान ढुलाई हेतु आर्डर दिया। दो माह पश्चात् उन्होंने उसी कार्य के लिये नवीन प्रचलित मूल्यों की सूची (कोटेशन) मांगी जिसके रेट नेशनल इन्जीनियरिंग वर्क्स के रेट के अनुपात में अत्याधिक निम्न थे तथा इस निम्न रेट को ही आर्डर कर दिया गया। ए० जी० की एक पार्टी ने इस प्रश्न को उठाया और टिप्पणी करते हुए बताया कि इस आर्डर के कारण 38,000 रुपये की क्षति हुई है वह बचाई जा सकती थी। ए० जी० के द्वारा इसका उत्तर मांगा गया और जी० के० आर० वर्मा ने एडिशनल ए० जी० श्री माथुर से बातचीत की और उनको इस बात पर सहमत कर लिया कि यह सवाल दबाया जा सकता है कि यदि उत्तर में फर्म का नाम न अंतिम किया जाय। इलाहाबाद के अधीक्षण अभियन्ता, श्री बेंकटाचार्य, ने श्री मारकण्डे सिंह के द्वारा मांगे गये टेंडर्स को अपनी निजी अल्मारी में रखा। एक उत्तर श्री जी० डी० पन्त द्वारा चीफ एकाउन्टेन्ट आफीसर श्री सेन गुप्ता को भेजा गया है जिसमें उपरोक्त फर्म का नाम हटा दिया गया है। यह उत्तर दिनांक 21 अगस्त, 1971 को भेजा गया है। इस तरह से 38 हजार रुपये की हानि कांस्ट्रेक्शन डिवीजन, फैजाबाद में हुई और एक लाख रुपये की हाईडिल डिवीजन पूरे फैजाबाद में हुई। कुल योग इस प्रकार से 1,38,000 रुपया होता है जिसकी हानि हुई।

एज० जी० के अफिस पर मंत्री जी लाखों रुपया खर्च करते हैं वहां भी भ्रष्ट अधिकारी पहुंच जाते हैं। मैं कम से कम सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। इनकी १९६९ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो चुकी है। इसको देखें तो मालूम होगा कि इनके यहां परचेज तो सामान ही नहीं होता है बल्कि फर्जी बिल लगाकर, चोरी कर रहे है। कार्यवाही यह है कि जलविद्युत् संचरण निर्माण प्रभाग, गाजियाबाद में ८५,४०० रुपये की स्टोर में कमी पायी गई। रिहन्द जल विद्युत् रूपान्तरण प्रभाग, मिर्जापुर में १४,१०० रुपये की चोरी का पता लगा। जल विद्युत प्रभाग, कानपुर में १४,९०० रुपये की चोरी पकड़ी गई, अभी तक उसके विरुद्ध कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया गया, १९६९ की रिपोर्ट है और १९६४ का मामला है। जलविद्युत् प्रभाग, गोंडा में २६,६०० रुपये की कमी पकड़ी गई, स्टोरकीपर मुअत्तल कर दिया गया। अंतिम स्थिति ज्ञात नहीं है। जलविद्युत् प्रभाग बलिया में ६५,००० रुपये की कमी निश्चित की गई।

जल विद्युत् प्रभाग राम गंगा मण्डल रामपुर, से ६२,३०० रुपये, जल विद्युत् प्रभाग मुजफ्फनगर से २,०३,३०० रु० के सामनों की चोरी हुई। इस तरह से सन् ६५ में २४,१०० रुपये की, फिर ६५ में १७,५०० रुपये की, ऐसे कुल मिला कर करीब-करीब लाखों रुपये की चोरी

[श्री राम लाल भाई]

हुई। इस संबंध में एकाउन्टन्ट जनरल ने भी जिक्र किया लेकिन ६९ तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो कह दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति रिटायर हो गया, या चौकीदार को निकाल दिया गया। इसी तरह का ३ केस पब्लिक एकाउन्ट कमेटी में हमलोगों ने पकड़ा था तो पहले यह कहा गया कि संबंधित व्यक्ति पाकिस्तान चला गया लेकिन जब उसकी छानबीन की गई तो वह यहीं मिला और फिर उससे रकम वसूल की गयी क्योंकि वह पाकिस्तान नहीं गया था। जब हम कुछ पैसा देते हैं तो माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस मामले की ओर आकृष्ट करना चहता हूं कि आडिट का कम्पलाएन्स तो होना ही चाहिये लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। विभाग की ओर से कोई जवाब ही नहीं आता। श्री एस० एन० सिंह को माननीय श्री चरण सिंह ने कर्मशियल जानकारी की बिना पर विद्युत परिषद् में रख दिया तो उन्होंने यू० पी० का ६० करोड़ रुपये का नुकसान करा दिया।

मान लीजिये कल को श्री वर्मा ही रिटायर हो जाएं एक निश्चित रकम गलत खर्च करके तो उनसे वसूल करने का आपके पास क्या इन्तजाम है। इस तरह का आलीशान बंगला विद्युत् परिषद् का श्री एस० एन० सिंह न बनवाया, अपना बंगलाब नवाया। इसकेभ्रष्ट कार्यों के बावजूद भी छोड़ दिया जाय कोई कार्यवाही न की जाय तो एक दिन वे यू० पी० को भी बन्धक रख देंगे। श्री हरपाल सिंह सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर, गोरखपुर का ५ बार स्थानान्तरण हुआ लेकिन वह अभी तक अपने स्थान पर ही बने हुए हैं। उनका कहना है कि मेरे हाथ में तो चान्दी का जूता है, उसको जिसके ऊपर भी मैं चाहूं लगा कर अपना काम करा सकता हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मानीय मंत्री जी चाहें तो इसकी जांच करा लें। अगर किसी का ट्रांसफर हो जाय तो फिर उसको रुकना नहीं चाहिये। अगर किसी का ट्रांसफर न करना हो तो उसे छोड़ दीजिये। क्योंकि इसके लिये हम लोगों को अपशब्द सुनने को क्यों मिले? श्री जी० के० वर्मा के कोई रिश्तेदार हैं। श्री डी० पी० वर्मा जिनकी उम्र ६२ साल की है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के दबाव डालने पर भी इस तरह की चीजें नहीं रुक पातीं?

श्री रामलाल भाई—

माननीय जायसवाल जी, आप इत्मीनान रखें, हम इसको समझ लेंगे। विद्युत परिषद् में चोरी के सिलसिले में ४२० का मुकदमा चल रहा है श्री डी० पी० वर्मा की उम्र ४२ साल लिखकर पुनः हरपाल सिंह न नियुक्त कर दिया। श्री भोपाल सिंह सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर मेरठ ने वहां माननीय श्री चरण सिंह का एक मकान लगभग ६०० रुपये महीने किराये पर लिया और उस मकान में वायरिंग आदि, सारा अप टु डेट काम विद्युत परिषद् के खर्चे पर कराया। एक एस० डी० ओ० कोई गुप्ता है जिन्होंने मेरठ नगरपालिका से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया अपने नाम से उसका पैसा भी जमा कर दिया बिजली कनेक्शन के लिये। वहां मेरठ नगर-पालिका में रसीद मौजूद है। श्री एस० एन० सिंह को पता लगा तो उन्होंने श्री भोपाल सिंह को दौड़ाया और उन्होंने तुरन्त श्रीमती गायत्री देवी के नाम से नगरपालिका में रुपया जमा कर रसीद हासिल कर लिया।

तीसरी बात यह है कि एस० एन० सिंह को काश्मीर जाना था पर सड़क अवरुद्ध होने के कारण व दिल्ली में यासिन यूनूस इन्जीनियरिंग कम्पनी के प्रतिनीधि है उसके पास जाकर उन्होंने कहा कि ३ करोड़ रुपये का माल का गार्डर दूंगा और इसमें एक करोड़ रुपया तो हम एडवांस दे देंगे, आप २० लाख रुपया मुझे दीजिये। इस लालच में कम्पनी ने २० लाख रुपया दे दिया और एस० एन० सिंह ने लालच देकर २० लाख रुपये का चेक ले लिया। उससे लेकर स्वयं

श्री एस०एन० सिंह चकराता देहरादून गये। मैं नहीं कहता कि एक पार्टी के लिये उन्होंने चन्दा लिया और वहां चौधरी चरण सिंह जी से मिले। इसके बावजूद कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों से ट्रांसफार्मर्स लेकर बीसों हजार आज भी पड़ हुए हैं जिनमें थोड़ा-थोड़ा डिफेक्ट है जिनकी मरम्मत करा ली जाय तो कम से कम ३ करोड़ रुपय की बचत हो जाय। सामान की खरीद और बचत में काफी रुपया बचाया जा सकता है।

कहा गया कि रिहन्द के जल स्तर में कमी आ गई इसलिय २५ प्रतिशत बिजली की कटौती कर दी गई। अगर थर्मल पावर हाउस की बराबर सफाई होती रहे तो कम से कम जल का स्तर तो नहीं ही गिरेगा। जब थर्मल पावर स्टेशन की लगातर सफाई नहीं हुई और मरम्मत कराने के लिय कई महीने तक बन्द रखा जाय तो जल स्तर का गिरना स्वाभाविक है। इसीलिये इसका जल स्तर नीचा हो गया और करोड़ों रुपये का नुकसान विद्युत परिषद् को हुआ। छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे बन्द हुए। इसके जिम्मेदार जी० के० आर० वर्मा हैं। मिर्जापुर में बिड़ला को बिजली देने की बात है। छोटे-छोटे किसानों पर अगर एक रुपया भी बाकी रहे तो उसकी कुर्की करा ली जाती है और स्वदेशी काटन मिल पर ३० लाख रुपया बाकी है लेकिन कोई बात नहीं है। श्री मेहरोत्रा केसा, कानपुर के जनरल मैनजर हैं। उनके सुपुत्र श्री राधेश्याम जो बी० ए० फेल हैं स्वदेशी काटन मिल में ८०० रुपये मासिक पर नियुक्त हैं। इस फर्म पर विद्युत परिषद् का ३० लाख रुपया बाकी है जो किसी मेहरोत्रा के केसा में आने की तिथि से ही इकट्ठा होता रहा है तो फिर क्यों न फर्म भी इनके बदले का उपकार चुकाये। ३० लाख रुपये का यदि सूद जोड़ जाय तो १,८०,००० रुपये होता है जब कि स्वदेशी काटन मिल को ९,६०० रुपये साल उनके लड़के को नौकरी के रूप में देने पड़ रहे हैं। मंत्री जी को इसकी जांच करना चाहिये क्योंकि इससे विद्युत परिषद् का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इन सफेद हाथियों को प्रदेश के हित में जरूरी है कि ठिकाने लगा दिया जाय।

इसी बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने एक शेर पढ़ा था जो इस प्रकार है कि––

"हस्ती न अदम की अन्जुमन है मुझ में।
क्या जिक्रे चमन, रूहे चमन है मुझ में,
करनों से रवां है जो रगे आलम में,
वह खूने हयात मोअज्जन है मुझ में।"

इसके बावजूद मंत्री जी कुछ नहीं करते हैं तो इसको क्या माना जाय। क्या यही बात चरितार्थ कर रहे हैं कि "सर कट सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं"। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान क समर्थन करता हूं।

(श्री धर्मबीर को बुलाये जाने पर।)

श्री सुखपाल पांडेय––

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या आपने निश्चय कर लिया है कि आप हमको समय नहीं देंगे। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष––

य व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय––

आपने १२ तारीख से आज तक मुझे किसी प्रस्ताव पर बोलने का अवसर नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष––

यह जरूरी नहीं है कि हर सदस्य को मौका मिले। आप कल नहीं आयें और आये तो शाम को आये।

श्री सुखपाल पांडेय---

मैं बराबर खड़ा होता रहा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से आप कहेंगे तो समय नहीं दूंगा।

श्री सुखपाल पांडेय---

मैं जानता हूं कि आप मुझे समय नहीं देंगे। कारण क्या है? यह भी मैं जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस तरह करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। जो माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े होंगे उनको समय दिया जायगा और जो हल्ला करेगा उसको समय नहीं मिलेगा।

श्री सुखपाल पांडेय---

आप समय नहीं देंगे तो मत दीजिये। हमें अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। आपने कहा था कि अगर किसी को आप में विश्वास नहीं रहेगा, तो आप इस्तीफा दे देंगे। आप में मुझे अविश्वास है इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए।

श्री इन्द्रमणि---

श्रीमन्, मुझे ५ मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपने तय किया था। जो गम्भीर आरोप लगाये गये हैं उनका जवाब देने के लिए आप मन्त्री जी को मौका नहीं देना चाहते हैं।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मुझे केवल इतना ही कहना है कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि मुझे अविश्वास है आपको इस्तीफा देना चाहिये। वह इसको संशोधित कर लें और यह रिकार्ड में नहीं आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई असंतुलित बात कहता है और समय मांगने पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने की धमकी देता है तो वह क्या होता है। उपेक्षा ही उचित समझता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

हम लोग माननीय मन्त्री जी का जवाब नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप अनियमित काम कर रहे हैं। समय न मिलने पर आप अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते।

श्री सुखपाल पांडेय---

एक बार गलती से आपकी कुर्सी को लोगों ने बचा लिया। अगर इसी तरीके को आपने अपनाया....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें।

श्री सुखपाल पांडेय---

मैं तो आसन ग्रहण कर ही लूंगा लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष---

मार्शल माननीय सदस्य को सदन के बाहर निकाल दें।

श्री सुखपाल पांडेय---

आप मुझे क्या सदन को छुड़ायेंगे, मैं तो स्वयं ही आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप चले जायं।

श्री सुखपाल पांडेय---

आपके कहने से मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो स्वयं ही जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है तो आप स्वयं ही चले जाइये।

(श्री सुखलाल पांडेय स्वगं सदन के बाहर चले गये।)

माननीय सुखपाल पांडेय जिस दल से सम्बन्धित हैं उसमें तीन सदस्य हैं और उसके अनुपात से उनके दल को सबसे अधिक समय दिया गया है। ऐसी तथ्यहीन बात को कहना शोभा नहीं देता है।

श्री धर्मवीर---

उपाध्यक्ष महोदय, कल से सेल्स टैक्स और ब्याज वाले ऋण पर सदन में चर्चा हो रही है। मैंने तो जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके बारे में मैं माननीय विद्युत् मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने कल से आज तक सदन में देखा है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का अक्षरशः समर्थन सारे सदन ने किया है। आपको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। उस समर्थन को देखते हुए आपको यह ग्रान्ट तो अपने आप ही वापस ले लेना चाहिये। जितने भी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये वह अक्षरशः उन्हीं बातों को लेकर हैं जिन बातों को मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव के सिलसिले में उल्लेख किया था। सभी लोगों ने उन बातों का समर्थन किया। अभी अन्त में श्री रामलाल भाई और श्री रियासत हुसैन तो विभाग पर तीव्र प्रहार किया। इससे मारली तो यह अनुदान अस्वीकृत हो ही चुकी है और मेरा कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। माननीय मन्त्री जी अब क्या जवाब देंगे ?

[श्री धर्म वीर]

मैं माननीय मन्त्री जी के सामने कुछ सुझाव रख रहा हूं। माननीय मन्त्री जी अगर उन सुझावों को मान लेंगे और उसकी यहां घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापस ले लूंगा। और अगर वे उन सुझावों को अस्वीकार करते हैं तो भी मारली तो मेरा प्रस्ताव पास हो ही गया है।

मेरा पहला सुझाव यह है कि आप इस विभाग की जुडीशियरी को ईडिपेंडेंट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाय और सही रूप से विभाग की आमदनी बढ़े तो जुडीशिय ी को कमिश्नर के मातहत न कीजिये, एक्जीक्यूटिव के मातहत न कीजिये। जो भी न्याय मांगता है उसको अगर आप स्वतन्त्र रूप से सही न्याय दें तो आपके विभाग को काफी लाभ हो जायगा और लोगों को भी उससे राहत पहुंचेगी।

आपने बताया कि आपका बकाया 32 करोड़ रुपया है और आपने यह भी कहा कि आपका पूरा बजट घाटा 48.50 करोड़ रुपया है। तो बजाय इसके कि आप जनता पर नये टैक्स लगायें और उससे अपने साधनों को पूरा करे आप केवल बिजली विभाग और सेल्स टैक्स विभाग की बकाया को ही वसूल कर लीजिये, उसके घाटे की पूर्ति ही कर लीजिए तो आपका बजट बैलेंस हो जायेगा। लेकिन अगर आप उसकी बकाया की वसूली के लिए वही प्रक्रिया अपनाते रहे जो अपनाते आ रहे हैं तो आपकी वसूसयाबी कभी नहीं हो पाएगी। उसके लिए मैंने एक सुझाव दिया था कि आप अलग से एक कलेक्शन सेल बनायें जिसके जिम्मे केवल बकाया वसूल करने का कार्य हो। अगर आपने उसको रेवेन्यू की तरह से वसूल करना चाहा तो राजस्व मन्त्री ने यह घोषणा कर दी है कि वर्षा और बाढ़ की वजह से सारी वसूली रोक दी गई है। तो यह भी रुक जायगी। अगर पुलिस के जरिए से वसूल करेंगे तो वह भी नहीं कर पायेंगे। इसलिए आपको एक स्वतन्त्र सेल बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर आप जिम्मेदारी दे दें और एक निश्चित समय दे दें कि इतने समय के अन्दर वह बकाया बसूल हो जाय।

इसी तरह से आमदनी बढ़ाने के लिए मैंने सुझाव दिया था कि प्रदेश के अन्दर चेक-पोस्ट बनायें। इससे आपको यह जानकारी होगी कि प्रदेश के अन्दर कितना माल आया और कितना माल बाहर गया। उसी के आधार पर आप सेल्स टैक्स निश्चित कर सकते हैं।

अब मैं आपके माध्यम से दो, चार सुझाव ऋण के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। आपके जो आमदनी के साधन ऋण द्वारा हैं उनके आधार पर आपने सदन में ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि गरीब, हरिजन और पिछड़े हुए लोगों को भवन आदि के लिए सुविधा देंगे। अगर वह कृषि का कार्य करना चाहते हैं तो उनको किसी प्रकार की सहायता की घोषणा आपने नहीं की। किस आधार पर आप गरीबी दूर करेंगे? यह जो आप नारा लगाते हैं "गरीब हटाओ" का, तो जिनके पास कोई जरिया मात्र नहीं है उनको जरिया मात्र उपलब्ध कराने के लिए ऋण की व्यवस्था करें। लेकिन इसकी आपने कोई घोषणा नहीं की। इसके अलावा जहां आपने 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है पंचायतों के लिए आपने सिर्फ 16 लाख रुपये ही रखे हैं। 16 लाख से गांवों का क्या विकास होगा? न वहां सड़कें हैं, न रोशनी है न स्वास्थ्य का प्रबन्ध है। कम से कम प्रत्येक गांव के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा और रोशनी की व्यवस्था हो जाय। अगर आप प्रत्येक गांव को बिजली नहीं दे सकते तो कम से कम इतनी ही घोषणा कर देते कि 4 हजार की आबादी वाले प्रत्येक गांवों को अनिवार्यतः बिजली देंगे ताकि वह और विकास कार्य कर सकें। आपने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। दूसरी तरफ टाउन एरियाज और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में सदन में एक प्रश्न हुआ था कि हमारी पिछली सरकार ने जो अन्तरिम महंगाई भत्ता 10 रुपये के रूप में दिया था उसका क्या हुआ। जवाब में आपने भी स्वीकार किया लेकिन यह बोझ आपने उन पर ही लाद दिया कि वह अपने संसाधनों से उन कर्मचारियों को राहत दें। मैं चाहता हूं कि आप उनको अधिक से अधिक ऋण दें ताकि वे अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दे सकें।

इसी प्रकार से खेतिहर मजदूरों की जो दुर्दशा है, उनको ठीक से मजदूरी नहीं मिल पाती उनको छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के लिए ऋण देने की घोषणा करें। अगर आप प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, प्रगतिशील समाज की रचना करना चाहते हैं तो आपको प्रगतिशील कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिये केन्द्रीय सरकार से यह जहां कहीं से भी हो सके धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो छोटे छोटे उद्योग है शीशे के, चमड़े के, चूड़ी बनाने के, इनको अगर आप प्रोत्साहन देंगे तभी आप समाज को उठा सकेंगे।

आपके विद्युत् परिषद् पर कितना तीव्र प्रहार चारों तरफ से हुआ है अगर आप इसको तोड़ दीजिये और एक व्यक्ति के मातहत इसको रख कर संचालन कराइये तो जो घाटे की अर्थ व्यवस्था हो रही है वह समाप्त हो सकती है। नहीं तो आप इसका रिआर्गेनाईजेशन करें और इस पर अपना नियन्त्रण रखें। आप देखें कि जो इसके 7 सदस्य हैं वे सब उच्च श्रेणी के आफिशियल्स हैं जिनके एक-एक के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की। आप नान-आफिशियल्स भी उनमें रखें ताकि वे सदन की भावनाओं को देखते हुए उस पर नियन्त्रण कर सकें और एक सही तस्वीर सदन को और सरकार को दे सकें। तभी आप नियन्त्रित करके आगे बढ़ सकते हैं।

मैंने एक मांग की थी और यह सुझाव दिया था कि इस विभाग के अन्दर करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार होता है उसके लिए जांच कमीशन बिठाया जाय। अब तो जैसी रिपोर्ट आपके पास आती है उसको ही आप सदन के अन्दर पढ़ देते हैं। जो करोड़ों रुपये का गोलमाल इस विभाग के अन्दर होता है उसका पता नहीं हो पाता है। इस प्रदेश के गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा उस भ्रष्टाचार में चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप जानकारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक जांच कमीशन बिठा दें और उसकी रिपोर्ट इस सदन के समक्ष पेश करें। जब जांच होगी तो आप देखेंगे कि यह सब नियन्त्रित हो जायगा। अभी भी रामलाल भाई ने कहा और अपने सुझाव दिये। इन सुझावों पर चलकर आप इस परिषद् के अन्दर सुधार ला सकते हैं। जैसे एक सुझाव यह भी दिया गया था कि जनरेटर और डिस्ट्रीब्यूशन को आप अलग-अलग करके काम करें तो यह नियन्त्रण बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और इसका परिणाम अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने बार-बार यह कही है कि किसानों पर आपने मिनिमम गारन्टी फिक्स कर दी है। किसान लोग इससे बहुत पीड़ित हैं। गारन्टी तो आपने फिक्स कर दी है लेकिन वह उस बिजली का प्रयोग करते हैं या नहीं इस बात को नहीं देखा जाता है। सरकार तो उनसे निश्चित रकम ले लेती है मगर इसका परिणाम यह होता है कि आज प्रदेश में किसानों के अन्दर बहुत असन्तोष है। वह यह समझते हैं कि प्रदेशीय सरकार के द्वारा और इस बिजली विभाग के द्वारा हमारी कोई सहायता नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस सरकार का यह क्रांतिकारी कदम होगा यदि इस मिनिमम गारन्टी को यह समाप्त कर दे। यदि किसी तरह से सरकार इसको समाप्त नहीं करती तो 50, 60 रुपया ही कर दे। दूसरे प्रदेशों से सरकार आंकड़े मंगाकर देखें कि दूसरे प्रदेशों में किसानों के लिए क्या सुविधा दी गई है और क्या वहां पर भी कोई इस प्रकार की गारन्टी किसानों पर लादी गई है। वहां पर ऐसा नहीं है। यदि वहां से आंकड़े मंगाकर देखें तो मालूम होगा कि वहां पर किसानों की राहत पहुंचाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, कृषि में और विकास के लिए उनको काफी सहूलियत दी गई है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की जांच की जाय कि डैमेज और वारफेज का नुकसान यह विभाग कितना देता है और किसकी लापरवाही से यह नुकसान पड़ता है। इस विभाग की लापरवाही के कारण लाखों रुपया डैमेज के रूप में इस विभाग के द्वारा दिया जाता है। अगर इस पर नियन्त्रण किया जाय तो लाखों रुपये

[धर्मवीर]

का जो यह घाटा होता है उस पर नियन्त्रण हो सकता है। इसके बाद आप देखें कि थर्मल पावर स्टेशन की लागत क्या है और उस लागत के आधार पर आप यह देखें कितनी पावर जनरेट हुई और कितना उस पर खर्च हुआ। इन सब बातों की अगर कम्पेरेटिव स्टेडी की जाय तो आपको मालूम होगा कि कहां पर गड़बड़ी है। जब आपको यह सब बातें मालूम होंगी तभी आप इसको अच्छी तरह से नियन्त्रित कर सकते हैं।

अभी आपके सामने रामलाल भाई ने चोरी का जिक्र किया है जिसके कारण करोड़ों रुपये का घाटा दिखाया जाता है। यह देखने की बात है कि किस कारण से यह चोरी होती है। इसको केन्द्रित किया जाय। लोक लेखा समिति में इस बात पर बहुत विचार हुआ है कि इस प्रकार की चोरी जो होती है उसमें बहुत घपलेबाजी होती है। यह ऐसी चोरी नहीं है जो हो जाती हो। वह ऐसी चोरी है जो कराई जाती है। जानबूझकर इस प्रकार की चोरी और भ्रष्टाचार फैलाकर करोड़ों रुपये का घाटा इस विभाग को होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन सुझावों पर विचार किया जाय और अमल किया जाय जो माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखे हैं तो बहुत सुधार हो सकता है। मैं आपको यह भी जानकारी कराऊं कि मेरी यह जानकारी है कि इलाहाबाद के अन्दर जी० ई० सी० फैक्टरी में लाक अप होने वाला है। हजारों मजदूर बेकार होने वाले हैं। इस कम्पनी को जो ट्रान्सफारमर्स परिषद् द्वारा दिया जाने वाला था वह इसे न देकर दूसरी एक क्राम्पटन कम्पनी है उसको दिया जा रहा है क्यों? इस वजह से वह कम्पनी अब बन्द होने जा रही है और वहां के मजदूर बेकार होने जा रहे हैं। इसकी जांच मन्त्री जी करा लें ताकि बात साफ हो जाय। विभाग के लोगों ने क्राम्पटन को अधिक कम रेट पर क्यों दिया और जी० ई० सी० जो प्रदेश की ही कम्पनी है उन को न देकर दूसरे प्रदेश वालों को दिया।

दूसरी बात यह है कि परिषद् ने कुछ अतिरिक्त इंजीनियर्स का प्रोमोशन किया है, इस की जानकारी कृपा कर के मन्त्री जी अपने उत्तर में दें और इस की जांच वह करा रहे हैं या नहीं यह बतायें कि कितने भ्रष्ट इंजीनियर्स को वह प्रोमोट करने जा रहे हैं और किया है। आप जांच करायेंगे कि किन-किन इंजीनियर्स को प्रोमोट किया गया है। जिन की बैड एन्ट्रीज थीं जिन के कैरेक्टर रोल खिलाफ थे और जिन पर चार्जेज थे आप ने उन को प्रोमोट किया है। कानपुर में केसा...

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब तो आप को अपने पहले भाषण में उस 1 घंटे में कहना चाहिये था। इस समय तो आप का उत्तर भाषण है जो माननीय सदस्यों ने आप के कटौती के प्रस्ताव पर कहा है उसके सम्बन्ध में आप कहें।

श्री धर्मवीर—

मैं वही कह रहा हूं कि केसा में जो...

श्री उपाध्यक्ष—

यह अवसर तो आप को जो बहस हुई है उसका उत्तर देने के लिए है। उसी तक आप सीमित रखें।

श्री धर्मवीर—

मैं उसी का उत्तर दे रहा हुं। मैंने जितने भी सुझाव दिये हैं और जो मैंने आरोप लगाये हैं उन का सारे माननीय सदस्यों ने अक्षशः समर्थन किया है और उसके ही आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी अब सदन में घोषणा करें कि कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और आप भी अब अनुदान को मतदान के लिए न रखें

क्योंकि सारे सदन ने हमारे प्रस्ताव का यहां पूर्ण समर्थन किया है। चाहे आप नियमानुसार यहां मतदान करा लें लेकिन वह पारित ही समझा जाना चाहिये। मैं एक सेकिंड में एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं कि केसा में जिन 5 लोगों को फाइनेन्स इन्टेलीजेंस ने पकड़ा और उन्हीं आरोपों पर निलम्बित किया गया उन को आप ने रिइन्सटेट किया है। इसका क्या कारण है? यहां पर किसी भी माननीय सदस्य ने मेरे कटौती के प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि यह जितने आरोप हम ने लगाये हैं और जो सुझाव हम ने दिये हैं उन को अगर वह स्वीकार करते हैं तो मैं अपने कटमोशन को वापस कर लूंगा वर्ना वह मेरी बातों का उत्तर दें। वह उत्तर न दे सकें तो आप मेरे प्रस्ताव को पारित घोषित करें।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष––

आप बार-बार स्पष्टीकरण कराते हैं। अब समय नहीं है आप कहेंगे फिर वह उत्तर दें, इतना समय नहीं है और समय देने के अर्थ यह होंगे कि सदन मन्त्री जी के उत्तर से वंचित हो जायगा।

श्री राज मंगल पांडेय––

मैं इस पर कह रहा था कि उन्होंने जो कहा कि उन के प्रस्ताव का सरकारी बेंचेज से भी समर्थन हुआ...

श्री उपाध्यक्ष––

वह अब सब हो चुका, आप अब बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

उपाध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य इलाहाबाद का बहुत आभारी हूं...

श्री धर्मवीर––

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप ने अक्सर इस चीज को देखा होगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी किसी सदस्य का नाम लेकर उनके जिले का नाम ले देते हैं लेकिन ,इग्लैन्ड की सन्सद में यह व्यवस्था है कि या तो सदस्य का नाम लिया जाय या उस की कांस्टीटुएंसी का नाम लेकर सम्बोधित करें। परन्तु यहां इस तरह से कैसे पता लग सकता है कि इलाहाबाद के किस सदस्य को वह कह रहे हैं, उस जिले में कई सदस्य हैं। इसमें मैं समझता हूं कि उनका कोई दोष नहीं है, जिस तरह से कि भारतीय संस्कृति में पत्नियां पति का नाम नहीं लेतीं इसी तरह से वह हमारा नाम नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूं कि वह कृपा कर नाम लिया करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मैं क्षमा चाहता हूं माननीय सदस्य से, मेरा उनका पति पत्नी का रिश्ता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप दोनों ही जानें कि आप का क्या रिश्ता है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

औरत मर्द के बीच में एक अन्य श्रेणी भी होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि वृटिश पार्लियामेंट में तथा अन्य देशों में भी ऐसी पद्धति है कि सदस्यों का नाम नहीं लिया जाता..

श्री धर्मवीर—

वहां पर कांस्टीट्एंसी का नाम लेते हैं, एक जिले में तो कई सदस्य हो सकते हैं, इलाहाबाद में तो 14 सदस्य हैं। कांस्टीट्एंसी का नम्बर भी नहीं कहते तो कैसे पता लगेगा कि किस सदस्य के बारे में कह रहे हैं ?

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे आप शुभनाम लेने के लिए विवश नहीं कर सकते। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं या सदन के सम्मानित सदस्यों ने दिए हैं, उनके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। बहुत सुझाव बड़े रचनात्मक हैं और मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इन रचनात्मक सुझावों, चाहे वे किसी भी पक्ष से दिये गये हों, पर शासन विचार करेगा।

बिक्री-कर के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं कि जो 32 करोड़ रुपये बाकी हैं उसकी वसूली के बारे में क्या व्यवस्था हो रही है। श्री मन, जब से बिक्री कर लगा तब से आज तक 430 करोड़ रुपया लगभग बिक्री-कर का एसेस हुआ है। इसमें से यह 32 करोड़ रुपया बाकी है। इस प्रकार कुल बिक्री-कर जो एसेस किया गया है 7.4 प्रतिशत है। 22 करोड़ 55 लाख रुपये के प्रमाण-पत्र, लगान की तरह वसूली के लिए जारी कर दिये जा चुके हैं। और लगभग 1 करोड़ रुपये के जारी किये जा रहे हैं। 7 करोड़ 39 लाख की ऐसी धनराशि है जिसके बारे में हाई कोर्ट से या जज रिवीजन से स्टे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि लगभग 22 1/2 करोड़ की धनराशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि बिक्री-कर की वसूली के लिए जो रेवेन्यू स्टाफ है जिलाधीश के अधीन, इसके अलावा विभागीयढंग से कार्यवाही करनी चाहिये। यह सुझाव अवश्य ही शासन के विचाराणीय है और हम विचार कर रहे हैं। कहा गया है कि जुडिशियरी के जो जज रिवीजन हैं, वे सेल्सटैक्स के मातहत नहीं रहने चाहिये, ये स्वतन्त्र रहने चाहिये। यदि उन्होंने सम्बन्धित अधिनियम का अध्ययन किया होगा तो उसमें देखेंगे कि न्यायिक कार्यों का जहां तक प्रश्न है जज रिवीजन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है यानी जज रिवीजन जो न्यायिक दृष्टिकोण से अपना निर्णय करता है, उसमें प्रशासकीय हस्तक्षेप नहीं होता है लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से उनका सम्बन्ध बिक्री-कर आयुक्त से रहता है और इसी लिए सामान्यतः वे बिक्री-कर के आयुक्त के अन्तर्गत रहते हैं। मगर उनको हाई कोर्ट के अन्तर्गत कर दें तो बहुत कठिनाई आयेगी, जैसा कि माननीय सदस्य भी अवगत होंगे और कर की वसूली और स्टे वगैरह में दिक्कत आयेगी। यह कार्य किसी भी हालत में उचित नहीं है। इस प्रकार की अगर कोई मशीनरी गठित हो जाय कि जिससे स्टे इतने ज्यादा हो जायं जिससे सेल्स टैक्स की वसूली ही असम्भव हो जाय उचित नहीं है। इसलिए यह किया गया है कि न्याय कार्य में हस्तक्षेप न हो लेकिन जहां तक जज रिवीजन के कैडर का सम्बन्ध है, वह सेल्स टैक्स कमिश्नर के साथ रहता है।

चेक पोस्ट्स के संबंध में भूतपूर्व मंत्री और अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा हम बनाने की चेष्टा तो करें लेकिन इस बात की शंका हुई कि कहीं कोट के माध्यम से रुकावट या अन्दर राज्यीय व्यापार में रुकावट तो नहीं डालेंगी और फिर संविधान को लेकर अपील वगैरह न हों। तो इसलिये कोशिश की जा रही है कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के अन्तर्गत जिसमें अन्तर राज्यीय व्यापार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को रोकने की बात न हो, चैक पोस्ट्स हों और हम चेष्टा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिक्री कर को सरल करने के लिये और प्रभावी रूप से इस की आमदनी बढ़ाने के लिये हमें सम्मानित सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मैं यह भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि इस सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि जो बड़े-बड़े उद्योग हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको करा-पवंचन करने दी जाय। इस संबंध में सख्ती से आदेश दिये गये हैं। मैंने स्वंय दौरा किया है, मेरे राज्य मत्री और उपमंत्री दौरा कर रहे हैं और जो सेल्स टैक्स अधिकारियों को निर्देश थे कि महीने में 50 जगह उनको एसेसमेन्ट करना चाहिये उसमें जो छोटे व्यापारी हैं और बड़े उद्योगपति हैं उनका एक माप दण्ड था। उनको बदला जा रहा है। अगर सेल्स टैक्स आफिसर बड़े कारखानों की बहियों को देखता है और महीने में दस केस को करता है तो उसके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री नहीं होगी। महीं तो पचास में छोटे बड़े के लिये एक पैमाना था। उसको बदला जा रहा है।

श्रीमन, विद्युत् बोर्ड के बारे में अधिकांशतः सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये। विद्युत बोर्ड आज का गठित बोर्ड नहीं है। सारे देश में एक इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अन्तर्गत एक मान्य व्यवस्था यह हो गई है कि स्वायत्तता सम्पन्न आटोनामस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहे। यह आज की व्यवस्था नहीं है। दसियों वर्षों से यह व्यवस्था चली आ रही है। जब से केन्द्र ने इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट पास किया और उसका नोटिफिकेशन निकला तब से विद्युतबोर्ड बना हुआ है और वह विद्युत बोर्ड आज इस प्रदेश का सबसे बड़ा अन्डरटेकिंग हो गया है। मैंने तो ऐक्ट का अध्ययन भी किया। ऐसे हमें कोई शक्ति नहीं है जब तक हम कानून निरस्त नहीं कर देते हैं, बोर्ड को बिल्कुल भंग नहीं कर दें, बोर्ड को पुनर्गठित कर सकते हैं, बोर्ड की सदस्यता को बदल सकते हैं, बोर्ड को घटा-बढ़ा सकते हैं, बोर्ड का निर्वाचन नहीं हो सकता है लेकिन बोर्ड बिल्कुल खत्म हो जाय ऐसी व्यवस्था जब तक कि ऐक्ट को निरस्त न किया जाय और ऐक्ट को निरस्त करने के लिये केन्द्र से भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। क्योंकि यह कानकरेन्ट लेजिस्लेशन है एक सर्वदेशीय नीत हो जायेगी कि बोड को रखना चाहिये या नहीं।

दूसरी बात यह है कि आज वित्तीय स्थिति ऐसी है कि जो आटोनामस संगठन होते हैं उनको बैंकों से कर्ज मिल जाता है। जो वर्ल्ड बैंक है या जो और कार्मशियल बैंक है उनसे ऐसी संस्थाओं को ऋण मिल जाते हैं सरकार को सीधे नहीं मिल सकते। बहुत अंशों में नहीं दे सकते हैं। इसलिये भी विद्युत बोर्ड जैसे इन्स्टीट्यूशन्स बनाने पड़ते हैं। वे बाजार से अलग ऋण ले सकते हैं। फाइनान्शयल इन्स्टीट्यूशन्स से ले सकते हैं, वे व्यावसायिक आधार पर चला सकें इसलिये बोर्ड का गठन किया जाता है। और भी दूसरे बोड का गठन किया गया है। हमा यहां विद्युत बोर्ड रहेगा इसको मानकर चलना है। अब इसमें सुधार का प्रश्न है। बहुत से आलोचकों ने बहुत विस्तार के साथ इसमें आरोप लगाये। चीफ इन्जीनियर पर और दूसरे इन्जीनियरों पर तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों पर भी। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का भी उल्लेख हुआ। यह सरकार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के निर्णय का कितना आदर करती है उस दृष्टिकोंण से उस पर कायवाही हो रही है और उस पर शीघ्र निणय लिये जायेंगे कि क्या हो और भी कितने दूसरे आरोप हैं जो विद्युत विभाग के संबंध में आते हैं उनकी जांच करने का जो काम है वह सगठन उतना सशक्त नहीं है जितना होना चाहिये। हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्युत बोड के अन्दर ऐसा सेल बने जो शिकायतें आते हैं उनपर प्रभाव-कारी जांच हो सके। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो शिकायतों की जांच करने वाली मशीनरी है बोर्ड के अन्दर वह कमजोर है। इसलिये जो शिकायतें बड़े पैमाने पर आती हैं उनकी जांच ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। उसकी मैशीनरी किस प्रकार बनाई जाय उस पर विचार हो रहा है।

श्रीमन्, जो विद्युत बोर्ड का इस समय ढांचा है या जो श्रीमन् इसमें मेम्बर हैं वे हमने नियुक्त नहीं किये हैं जो चीफ इन्जीनियर वगैरह हैं, मैं दलीय बात नहीं कहता, सन् 67 में जब

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एस०बी०डी० की सरकार थी उस समय की ये नियुक्तियां हुई हैं। मैं यह नहीं कहता कि सही हुई या गलत हुई, और जो विवाद उस समय चला वह आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है, दो चीफ इन्जीनियरों के बीच में हाई कोर्ट में चल रहा है, स्पेशल अपील में चल रहा है। दूसरी तरफ जो चेयरमैन है वह भी पिछले वर्ष नियुक्त किये गये। आज वही बोर्ड है जो दो-तीन सरकारों के समय से चलता रहा है। अगर हम बोड को बदलते तो वह आलोचना होती कि सरकार ने पहले के लोगों को बदल दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमें सदन से यह मैन्डेट मिला है कि बोड को सुधारा जाय, उसका पुनगठन किया जाय। तो मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सदन के इस मैन्डेट को स्वीकार करूं और हमने यह निणय लिया है कि आने वाले महीनों में हम बोर्ड की सारी प्रणाली को,सारे विभागों को पुनर्गठित करने का प्रभावकारी प्रयास करेंगे और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हों उन पर निष्पक्ष वृत्ति से कार्यवाही करेंगे।

श्रीमन्, बहुत सी दूसरी बातें कही गयीं। मिनीमम गारन्टी की बात कही गयी, करप्शन की बात कही गई। समय कम होने के कारण मैं सारे विवरण में नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि किसानों को जो फी लाइन की सुविधा इस प्रदेश में दी जा रही है, दो फरलांग, चार फरलांग, एक फर्लांग वह किसी दूसरे प्रदेश में नहीं दी जाती.....

एक सदस्य—

आप छूट न दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

433 रु० फी ट्यूबवैल का घाटा छूट देने से है और सालाना नुकसान जो बोड को हो रहा है वह साढ़े पांच करोड़ रुपये का है। किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की फ्री लाइन की सुविधा नहीं दी जाती।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

किसान को जो देते हैं वह तो आपने बताया लेकिन उससे भी बहुत कम दर पर जो बिड़ला को देते हैं, उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी —

इस सरकार ने कोई छूट बिड़ला जी को नहीं दी। सन् 59 से यह चली आ रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस सरकार के पुरखों ने बिड़ला जी को छूट दी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आज तो आप घोषणा कर दीजिए कि सस्ते दर पर बिड़ला को बिजली नहीं देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस संबंध में पहले सदन को सूचित किया जा चुका है कि जो हिन्डैलको को कंसेशन दिया जा रहा है वह किस प्रकार से रिव्यू हो सकता है इसके बारे में कानूनवेत्ताओं से पूछतांछ की जा रही है कि क्या हो सकता है..

श्री इन्द्र मणि—

बिड़ला को सस्ती बिजली देने में कितना घाटा होता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जहां तक ट्रांसफार्मर्स की चोरी का प्रश्न है, यह आदेश दे दिए गए है कि ट्रांसफार्मर्स भविष्य में गांव की आबादी में ही लगाए जाएं...

एक सदस्य---

उद्योग पतियों को बिजली किस रेट पर दी जाती है और किसानों को किस रेट पर दी जाती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सम्मानित सदस्य सरकार के सदस्य रह चुके हैं, उन्हें भलीभांति जानकारी है। जब कभी उद्योग विभाग के बजट पर बहस होती है तो यह कहा जाता है कि औद्योगीकरण के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब उद्योग दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके लिये जमीन, बिजली, पानी नहीं मिलता। और अब यह कहा जा रहा है...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

छोटे लोगों को पानी बिजली नहीं मिलता। बड़ों के बारे में हम नहीं कहते।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

हमने अपने बजट में सारी विद्युत प्रणाली को बदलने का निश्चय किया है। हमने यह निणय किया है कि सन् 79 तक, पंचम पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचे और उसके लिये.....

श्री बंशीधर पांडेय---

यह बात इनकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

1,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मंत्री जी अपनी हैसियत से बाहर बोल गये। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप सन् 1985 तक, इस बजट के अन्तर्गत, प्रत्येक गांव में बिजली नहीं पहुंचा पायेंगे। आपके पास क्या है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह भी चुनौती है कि तब तक आप नहीं रहेंगे।

श्री त्रिवेणी राय---

पांडेय जी आप क्या कहते हैं.....

श्री बंशीधर पांडेय---

आप इनको बात करने दें, आप न मंत्री हुए हैं और न होंगे।

श्री नारायणदत्त निवारी---

मुझे बड़ा खेद है कि सम्मानित सदस्य उल्टी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें तो सुल्टी चुनौती स्वीकार करनी चाहिये। उन्हें तो हमारे साथ मिल कर यह प्रयास करना चाहिये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि हम प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचायेंगे। अगर हम सब मिल कर प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं कि 5–6 साल में प्रत्येक गांव में बिजली न पहुंच जाये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इसको चुनाव घोषणा-पत्र रखिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन शब्दों के साथ में सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो यह प्रस्ताव किया है कि मांग की धनराशि घटाकर 1रुपया कर दी जाय तो 1 रु० में तो काम नहीं हो सकता है।

श्री धर्मवीर—

अगर इनकी क्षमता नहीं है तो इनको वहां से बर्खास्त कराइए ताकि हम वहां पहुंचे और प्रदेश का विद्युतीकरण करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 4 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्य 4—बिकी-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,53,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 54 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,19,56,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण–कार्य, अनुदान संख्या ३२––सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संस्था ४८––बहु–प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष––

सिंचाई मंत्री ।

*सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)––

यान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,५७,९९,००० रुपये से अनधिक प्रनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की शिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,००,०१,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या ४८–बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४, ३२,८४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्यययों को चुकाने के लिये आवश्यक धराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,७२,३४,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, यह हमारा प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेशों में आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से है और यहां की जनता ८० प्रतिशत खेती पर निर्भर करती है और गांव में बसती है। इसका विकास जबतक नहीं किया जायेगा , मारे प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है । आज हम तीन योजनायें पूरी कर चौथी योजना में चल रहे हैं। इस प्रदेश के कृषि कार्य को बढ़ाने के लिये बहुत प्रयास किया गया है लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद भी हम अभी २५, ३० प्रतिशत से अधिक सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाये है। प्रयास हमारा जारी है कि हम सिंचाई की पूरी व्यवस्था करें। हर खेत को पानी, हर किसान को पानी दें ताकि वह अपनी उपज बढ़ा सके और अपने को समुन्नत कर सके लेकिन हम अपने प्रयास में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बराबंकी)—

मान्यवर, जनसंघ का नारा ले लिया है। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह भूत तो प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक चढ़ा है।

श्री रामलखन—

हमारा प्रदेश किसानों का है इसलिये इनके बारे में कोई भी बात कर सकता है। जो भी राजनीति में है वह किसानों को उठाने की बात करेगा इसलिये माननीय सदस्य को घबड़ाने की बात नहीं है। यह हमारा नारा है कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नारा ढपोरशंखी न लें निश्चित लें।

श्री राम लखन—

मैं निवेदन कर रहा था कि बराबर प्रयास हो रहा है कि हमारे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था हो सके लेकिन जो हम करना चाहते हैं वह सीमित साधनों के कारण हो नहीं पा रहा है। पिछली तीन योजनाओं में जितनी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी है। हमारे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था पहले ७४.९९ लाख एकड़ की थी वह अब ७१ में १४१.४० लाख एकड़ होने का लक्ष्य है। इन योजनाओं के चलने से पहले हमारे प्रदेश में २३०५ नलकूप थे, पिछले वर्ष १०२६८ थे, ७१–७२ में ११०६८ करने का लक्ष्य है। ७०–७१ में चैनल ४७४२० किलोमीटर थी, ७१:७२ में ४७७०० किलोमीटर का लक्ष्य है। इससे यह स्पष्ट है कि हमने सफलता प्राप्त की है लेकिन पूर्ति के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। हमारे प्रदेश में कुछ योजनायें चल रही हैं ताकि उनसे पानी लेकर हम किसानों की सहायता कर सके। सबसे बड़ी योजना हमारी रामगंगा की है, जो पहले से चल रही है। इसके बारे में पिछले वर्षों में भी आप लोग सुन चुके हैं। उसके बन जाने से १६.२८ लाख एकड़ की सिंचाई की सुविधा हमारे प्रदेश को प्राप्त होगी।

इस साल के बजट में १२ करोड़ रुपये का प्राविधान है लेकिन चौथी योजना के अन्तर्गत इस स्कीम को पूरा करने के लिए भारत सरकार से ३३ करोड़ की मांग की गयी है। हम चाहते हैं कि समय के अन्दर इस योजना को पूरा कर सकें। लेकिन इसमें पक्के कार्यों को पूरा करने के लिए इस्पात की कठिनाई है। दूसरी बड़ी योजना गंडक योजना है। इस योजना का कच्चा कार्य ९० प्रतिशत तक पूरा हो चुका है और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक पूक्के कार्य को भी ६० प्रतिशत तक पूरा कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा पक्के कार्यों को पूरा करने के लिये इस्पात की कठिनाई है। इसके लिए हम भारत सरकार से प्रयत्नशील हैं कि हमें प्राथमिकता के आधार पर इस्पात मिल जाय। तीसरी योजना शारदा सहायक योजना है। इससे हम प्रदेश की २९ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध कर सकेंगे। इससे हमें गंगा दुआबा, मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी। इन तीनों योजनाओं से हम करीब ६६.९ लाख एकड़ भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था कर सकेंगे। संक्षेप में हम ३५ फीसदी सिंचाई की व्यवस्था कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि यह कम है और हमें आगे और भी व्यवस्था करनी है।

हमारे प्रदेश में धरती पर जितनी नदियां थी वहां बांध बनाकर और नहरें निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। अब हमारे प्रदेश में यह क्षमता नहीं रह गयी है कि नदियों पर और बांध बनाये जा सकें। अब पहाड़ों में जो बड़ी घाटियां हैं और जहां पानी है वही स्थान बचा है। लेकिन बांध वहां पर कार्य करने में काफी समय और धन लगेगा जो कि आज हमारी परिस्थिति नहीं है। अभी हमारी यही योजना है कि हम धरती पर बहती नदियों पर बांध बनाकर और धरती के नीचे जो पानी है उसको निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था करें। बजट साहित्य में

आपने पढ़ा होगा कि नदियों से पानी उठाने की हमारी लिफ्ट योजना भी है। पिछले वर्षों में करीब ९२ लिफ्ट योजनाए चलाई गयीं और इस वर्ष भी ९५ लिफ्ट सिंचाई योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में २ करोड़ ४१ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने निवेदन किया धरती के नीचे जो अथाह पानी है उसको भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसी पर हमारी आगे की सिंचाई निर्भर करती है। यह तभी सम्भव होगा जब कि नलकूपों को बनाने की व्यवस्था कर सकें। इस काम में हमारे यहां प्रगति हुई है लेकिन जिस हिसाब से प्रगति हुई है उसी हिसाब से घाटा भी बढ़ता जा रहा है। जिन क्षेत्रों में नलकूप नहीं है वहां भी नलकूप बनाने की मांग हमारे पास आ रही है।

श्री रामसागर (जिला जौनपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रामलखन––

आप सुन लें। आज और कल का समय है। स्पष्टीकरण फिर हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रामसागर––

मैं यह जानना चाहता हूं कि नहरों से एक तो सीधे खेत को पानी जाता है, और एक दूसरे तरीके से किसान उछाल कर पानी अपने खेत तक पहुंचाता है जिसमें उसका काफी श्रम व्यय होता है, मगर पानी का जो टैक्स किसान को देना पड़ता है वह दोनों पर एकसा देना पड़ता है। तो क्या मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे।

श्री रामलखन––

इस पर भी विचार किया जा रहा है कि कैसे दोनों के रेट्स में समन्वय किया जा सकता है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जैसे जैसे नलकूप बनते जा रहे हैं उनमें घाटा होता जा रहा है। उसका कारण यह है कि जितनी उनकी क्षमता है चलने की उतने वे नहीं चलते हैं, उससे काफी कम चलते हैं। हमें, सभी माननीय सदस्यों को किसानों को यह समझाना चाहिये कि वे साल में, जहां जहां नलकूप हों, वहां पर दो तीन फसलें पैदा करें। और नलकूपों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जब उसकी क्षमता के अनुसार किसान उसका उपयोग करेगा तो जो नलकूपों में घाटा होता है वह नहीं होगा और फिर नलकूप भी अधिक मात्रा में लगाये जा सकेंगे। उसका उतना तो उपयोग होना ही चाहिये ताकि जितना खर्च आये वह पूरा हो सके।

बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पुराने प्रतिबन्धों के कारण नलकूप नहीं लग पा रहे हैं। हम उन प्रतिबन्धों को ढीला करने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है वह समाप्त हो। जहां बरसों से नलकूप नहीं लग पा रहे हैं, वहां भी लग सकें। लोगों का रोष और द्वेष दूर हो।

हम अपनी क्षमता के अनुसार नलकूप लगाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य ८४० नलकूप लगाने का है। अगर हमें इसमें घाटा नहीं होता तो हम और भी अधिक नलकूप लगा पाते।

[श्री रामलखन]

जहां सिचाई की हमारे प्रदेश में अत्यन्त आवश्यकता हैं ,वहीं बाढ सुरक्षा तथा जहां पानी रुका रहता है उस रुकावट से भी सुरक्षा की बहुत जरूरत है। बाढ़ के कारण भी प्रदेश की लाखों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है। हमने बाढ़ से सुरक्षा के लिये भी प्रबन्ध किया है और इस मद में भी काफी बड़ी धनराशि बजट में रखी है। इस वर्ष बजट में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये भी हमने करीब २ करोड़ के ऊपर धनराशि रखी है। इसमें ८० लाख के करीब बंधों के बनाने पर खर्च होगा, ६४ लाख के करीब जल निकासी योजना पर खर्च होगा, और करीब ४० लाख ६५ हजार रुपया नगर की सुरक्षा आदि पर खर्च होगा। अभी इस साल आपने देखा कि गंडक नदी में भयंकर बाढ़ आयी जिसके कारण छितौनी बांध तथा अन्य सहायक बांधों को काफी आघात पहुंचा। इनकी सुरक्षा के लिये भी बजट में व्यवस्था की गयी है। छितौनी बांध की सुरक्षा के लिये ८८ लाख ६६ हजार का प्राविधान किया गया है।

यह छितौनी बांध भी है, बांध से जो जन धन की क्षति हो रही है उसके लिए केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने सेन्ट्रल पावर कमीशन की एक समिति बनायी है। यह इसके कार्य का निरीक्षण करेगी और टेक्निकल सुझाव देगी कि कैसे इस बांध की रक्षा की जाय, कैसे जलमग्न भूमि की रक्षा की जाय। राप्ती और घाघरा नदियों कैसे जो कटाव हो रहा है, उसके लिये हम एक टेक्निकल कमेटी बनाने का विचार कर रहे हैं, ताकि हम इन जिलों की रक्षा कर सकें, जिन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रदेश के तीन क्षेत्र सब से पिछड़े हुए माने जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड का क्षेत्र और तीसरा पूर्वी जिलों का इलाका। पूर्वी इलाके में जैसा मैंने बताया है थोड़ी सी सिंचाई व्यवस्था हुई है और वह व्यवस्था जो योजना काल से पूर्व थी उससे काफी आगे बढ़ी है। लेकिन जो बुन्देल खंड का एरिया है, उसमें जितना करना चाहिए, उतना हम नहीं कर पाए हैं। क्योंकि वह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें जो नदियां बहती हैं उनकी निकास मध्य प्रदेश में है और नदियों का कुछ हिस्सा हमारे प्रदेश में बहता है। उन नदियों से जितनी सिंचाई सुविधा लेनी चाहिए थी, हम ले चुके हैं, आगे की योजना के लिए जब तक हमें मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृति नहीं मिलती तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है।

(बिजली फेल होने से व्यवधान)

बुन्देलखण्ड की सिंचाई व्यवस्था को पूरी करने के लिए, उसमें सहायता प्रदान करने के लिए जामनी बांध परियोजना और जमनिया बांध योजना पर विचार किया जा रहा है, इन बांध परियोजनाओं को हम शीघ्र लागू करना चाहते हैं। राजघाट बांध बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह उसका सर्वेक्षण करे और उसे कार्यान्वित करे जिससे बुन्देलखंड और मध्य प्रदेश दोनों के हिस्सों का लाभ हो सके। इसके अलावा मिर्जापुर एक बहुत बड़ा पठारी इलाका है जिसमें सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहां जमीन उपजाऊ है उसको पानी की सहायता पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं ताकि किसान खेती में प्रगति कर सकें। इसके लिए मिर्जापुर का अड़वा बांध बनाने की व्यवस्था है। बुन्देलखण्ड इलाके में नलकूप नहीं बन सकते थे, लेकिन अब जालौन, मिर्जापुर व बांदा--इन इलाकों में भूगर्भ सर्वेक्षण के जरिये से यह पता लगा है कि इन जिलों में भी नलकूप बन सकते हैं। लेकिन उनको बनाने के लिए भारी भारी रिग मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी हमारे यहां काफी कमी है। बुन्देलखंड एरिया या अन्य ऐसे ही क्षेत्रों के लिए जहां जमीन कठोर है और पानी का तल काफी नीचे है नलकूप बनाने के लिए देश और विदेश से हम रिग मशीनें मंगवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन

जिलों में सिंचाई की सहूलियतें प्रदान की जा सकें। बांदा और जालौन जिलों के क्षेत्र के लिये कई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं, इसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

उस पहाड़ी क्षेत्र में छोटी-छोटी नहरों से सिंचाई होती है। उस पहाड़ी क्षेत्र में नहरों के जरिये, लिफ्ट सिंचाई या पम्प के जरिये से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। जितनी अधिक सहूलियत प्रदान कर सकें उतनी प्रदेश के हित में होगी। इस प्रकार आप देखेंगे कि सिंचाई की तरफ हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रदेश में शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, हम नलकूप की बिजली की कमी को पूरा करने के लिए टेहरी बांध परियोजना जिस पर पिछले साल से काम शुरू हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। टेहरी बांध बन जाता है तो प्रथम चरण में ६ सौ मेगावाट बिजली और दूसरा चरण होने पर १२ सौ मेगावाट बिजली प्राप्त होगी और साढ़े १६ सौ एकड़ की सिंचाई प्रदेश में बढ़ेगी। इस योजना पर २०० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और केन्द्रीय सिंचाई विद्युत् आयोग के टेक्निकल सलाहकारों के अनुसार यह योजना १९८० में जाकर पूरी होगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि नलकूप के क्षेत्र में, लिफ्ट सिंचाई के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य बहुत जोर से बोल रहे हैं।

श्री रामलखन––

जितना हम प्रयास कर सकते हैं उसकी तरफ हम जागरूक हैं। विभाग के बारे में निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। हमारे विभाग में बहुत से कर्मचारी वर्क चार्ज में कार्य कर रहे थे। सरकार ने निर्णय किया है कि वह कर्मचारी जो तीन वर्ष तक सेवा में कार्य कर रहे हैं चाहे मेंटिनेंस में रहे हों, चाहे कांस्ट्रक्शन साइड में रहे हों, और उन जगहों की बराबर रहने की सम्भावना है तो उनको स्थायी कैडर में ले लिया जाय। इसके अलावा निर्माण कार्य पर काम कर रहे इंजीनियर्स के बारे में भी विचार कर रहे हैं। निर्माण कार्य पर निरन्तर चल रहे ६६ प्रतिशत अस्थायी पदों तथा परिकल्प, अनुसंधान एवं नियोजन, अन्वेषण तथा रखरखाव के शतप्रतिशत वर्तमान पदों को स्थायी करने पर विचार किया जाय, प्रतिबन्ध यह हो कि केवल वे पद स्थायी किये जायें जो तीन वर्ष से अधिक समय से चल रहे हों। इस प्रकार सर्विसेज में भी अपने कर्मचारियों को सुरक्षा की भावना पैदा हो उसका प्रयास कर रहे हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)––

भ्रष्टाचार के लिए कुछ कर रहे हैं?

श्री रामलखन––

हमारे एक सदस्य ने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। भ्रष्टचार कोई नई बात नहीं है। यह शिष्टाचार हो गया है। हम भ्रष्टाचार की ही बात करते रहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

यह नयी डेफिनीशन है भ्रष्टाचार की, इस सरकार की भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, भ्रष्टाचार को नार्मलाइज किया जाय, लीगलाइज किया जाय।

श्री रामलखन--

आपको सर्वत्र भ्रष्टाचार छाया दिखायी देता है, सब जगह भ्रष्टाचार दिखायी देता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कितने इंजीनियर्स, ओवरसियर्स सस्पेंड हुए, निकाले गये ?

श्री रामलखन--

कार्यों की तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, खाली भ्रष्टाचार की तरफ दृष्टि है। भ्रष्टाचार के बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा। जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा भ्रष्टाचार के बारे में क्या हो हा है, मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को विभाग से दूर करने के लिए, इर्रेगुलैरिटीज को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस साल विभाग के विभिन्न श्रेणियों में ३१ आदमी, असिस्टेंट इंजीनियर्स से लेकर उनसे ऊपर तक सस्पेंड हैं और उनके ऊपर कार्यवाही चल रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जिलों में सिंचाई कमेटी बनायी गयी थी। वह भंग हो गयी। क्या आप उसको पुनर्गठित करने के लिए विचार कर रहे हैं ?

श्री रामलखन--

उस पर भी आता हूं। जैसा मैंने निवेदन किया जहां भी भ्रष्टाचार है उसको हम कड़ाई से रोकना चाहते हैं। इसके लिये विभाग में एक सेल बनाया गया है और मुख्य अभियन्ता के यहां यह सेल कार्य कर रहा था। इसकी एक शाखा सेक्रेटेरियट में भी खोलने का प्रयास है। जहां शिकायत होती है अथवा अनियमितता होती है वहां इस सेल के अधिकारी जांच करते हैं और इतने जो अधिकारी इस विभाग के सस्पेंड हैं वे इसी सेल की रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड किये गये हैं। जो विजिलेंस विभाग है उसके जरिये भी जांच कराई जाती है। जहां पर सेल के जरिये इंक्वायरी कराना ठीक नहीं समझा जाता वहां पर विजिलेंस से रिपोर्ट ली जाती और कई अधिकारी उसकी रिपोर्ट पर भी निलम्बित हैं और जो ट्रिब्युनल है उसमें कई केसेज चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि करप्शन का उन्मूलन हो लेकिन वह केवल कहने मात्र से दूर नहीं होगा। हम आपका इसमें सहयोग चाहेंगे जहां जहां आपको करप्शन नजर आये आप हमें गाइड करें। यह कह देना तो बहुत आसान है कि सब बेईमान हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

टेलीफोन पर एक पी० ए० से मैंने यह कहा कि अपने विभाग में आप देखें किस कारण से फाइल एक टेबिल से दूसरी टेबिल पर नहीं पहुंचती। उन्होंने उत्तर में कहा कि सारे एम० एल० एज० भ्रष्ट हैं और इस प्रकार उसने सारे एम० एल० एज० को ही बेइज्जत किया। उनको कैसे ईमानदार कह सकते हैं। हम हर एक को बेईमान नहीं कहते। उनमें कुछ अच्छे हैं लेकिन जो बेईमान हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करना ही चाहिये।

श्री रामलखन--

मैं यही कह रहा था कि जो अच्छे हैं उनको अच्छा कहिये और जो बुरे हैं उनको बुरा कहिये। जो अच्छे हैं उनके कार्यों की हम प्रशंसा करें, उनमें दोष न देखें। आप बतलायें कि अमुक कर्मचारी बेईमान है तो हम उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे और कोई कसर उठा रखेंगे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मंत्रियों को लीजिये। आप बतायेंगे उनमें कौन-कौन ईमानदार हैं ?

श्री रामलखन---

यह तो आप स्वयं देख सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

सरकार के अनेक सदस्य भ्रष्ट हैं इसे तो आपको मानना चाहिये।

श्री रामलखन---

आप भी सरकार में रह चुके हैं। शायद आप अपना अनुभव बतला रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं बिलकुल बुरा नहीं मानता लेकिन मंत्री महोदय को देखना होगा कि वास्तविकता क्या है ?

श्री रामलखन---

हम भ्रष्टाचार को कठोरता से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि विभाग के जो नियम हैं उनका पालन किया जाय। मैंने देखा कि चार पांच वर्ष से आदमी सस्पेंड है लेकिन न उसके खिलाफ जांच हो रही है और न उसे चार्ज शीट मिली है। मैंने आदेश दिये हैं कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने के जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाय और किसी भी सूरत में किसी कर्मचारी को ६ महीने से अधिक सस्पेंड न किया जाय। उसके मामले की जांच होनी चाहिये और उस पर फैसला होना चाहिये कि वह विभाग में रखने के काबिल है या नहीं। अगर काबिल है तो रखा जाय और अगर काबिल नहीं है तो न रखा जाय, निकाल दिया जाय सस्पेंशन के पीरियड में भी सरकार का पैसा खर्च होता है लिहाजा ६ महीने के अन्दर निर्णय अवश्य हो जाय।

त्रिपाठी जी ने सिंचाई समितियों के बारे में पूछा। मौजूदा समितियां जो हैं उनको फिलहाल भंग कर दिया गया है लेकिन उनको फिर से सक्रिय बनाने के उद्देश्य से उन्हें पुनर्गठित करने का फैसला किया गया है। और जल्दी से जल्दी पुनर्संगठन करने की कोशिश करेंगे विभाग में सर्वेक्षण और अनुसंधान का कार्य भी होता है और उसकी ही वजह से प्रस्तावित जल विद्युत और सिंचाई प्रायोजनायें चल रहीं हैं। वे सर्वेक्षण करके ही बनाई गई हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने और उसे मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि ये योजनायें ठीक ढंग से चल सकें....

एक सदस्य---

सिंचाई के लिये जिस कमेटी के गठन के बारे में कहा गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें विधायकों के अलावा और लोग भी होंगे ?

श्री रामलखन---

इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार बराबर हम प्रयास कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाय और जो अधिकारी या कर्मचारी आदि लोगों में शिथिलता आ गई है और जहां उनमें इरेगुलैरिटी की भावना बढ़ती जा रही है, उसको दूर किया जाय। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये यह बहुत ही जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और यह आशा करता हूं कि यह सदन प्रदेश के हित में इस मांग को पास करेंगे ताकि उसका काम आगे बढ़ाया जा सके। मैं अपने माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे मुझे अच्छे सुझाव दें। मैं उनका आदर करूंगा और उनको जहां अमल में लाना होगा, उसे लाने का प्रयास करूंगा।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो अनुदान संख्या ३१,३२,४८ और ४९ माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं उनके संबंध में यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३१, ३२,४८ और ४९ के अधीन मांग की राशियां घटाकर एक एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य सरकार की विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी को बहुत ध्यान से सुना । मैं चाहता था कि कि माननीय मंत्री जो पिछले लोक सभा के चुनाव में प्रदेश की गरीबी हटाने का नारा उनकी पार्टी ने दिया था और गरीबी हटाने के जो सिद्धांत हैं या उद्देश्य हैं उसी के अनुरूप वे अपना बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे और उन्हीं नीतियों की घोषणा करेंगे जिससे प्रदेश की गरीबी दूर हो जाय । किन्तु मुझे माननीय मंत्री जी के भाषण सुनने के बाद बहुत निराशा हुई । अपने भाषण में उन्होंने कोई नई बात नहीं कही केवल विभाग द्वारा जो एक पुस्तक बंटी है उसी के बारे में उन्होंने यहां पर जिक्र कर दिया । उसमें जो कुछ लिखा है वह तो सभी माननीय सदस्यों को मालूम ही है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की ८० फीसदी जनता कृषि कार्य में लगी हुई है और सारे लोगों का जन-जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है । शहरों के लोग भी परोक्ष रूप से उन्हीं लोगों पर निर्भर करते हैं । मान्यवर, मुझे यह बात सुनकर बड़ी निराशा हुई कि अभी तक सिंचाई विभाग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो साधन उपलब्ध हो सके हैं, उसी पर हमारे माननीय मंत्री जी अपना संतोष व्यक्त किये हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह बताना चाहता हूं कि यदि आप पिछले सालों के तरीकों को देखें और इस साल के तरीकों को देखें तो बहुत निराशा होगी । आखिरकार प्रदेश में जो सिंचाई की सुविधायें हैं वह अन्य प्रदेशों से बहुत कम हैं ।

मैं आपके सामने कुछ डेटा भी रखना चाहता हूं । प्लान शुरू होने के पहले जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा इस समय हमारे यहां ७४ लाख एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधाएं दी गई और पहली पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने पर ९२.०८ लाख एकड़ की सिंचाई की सुविधायें बढी ।

दूसरी योजना में यह बढ़ कर ११०.२०० हो गयी और तीसरी योजना में १२६.६९ हो गई। और अभी १९६९-७० का जो हमारे सामने रिजल्ट आया है सिंचाई विभाग का उसके अनुसार १३४ के आस-पास है और टोटल मिला कर जैसा कि मन्त्री जी ने कहा २४-२५ परसेंट है। लेकिन यह क्या उस अनुरूप में है जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, प्लानिंग शुरू होने के बाद प्रदेश में तरक्की की ? इसकी तुलना करें तो आश्चर्य होगा। मद्रास को ले लें तो वहां जहां सिंचन सुविधा ५४.६ प्रतिशत बढ़ी, महाराष्ट्र में १७ प्रतिशत बढ़ी, गुजरात में १६ पंजाब में २६ प्रतिशत बढ़ी, हमारी स्थिति, उत्तर प्रदेश की है ४.३ प्रतिशत । इससे पता लग सकता है कि वह प्रदेश जहां कि ८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती हो वहां की सिंचन सुविधाएं कितनी बढ़ीं और अब इस प्रदेश का क्या होगा ?

मान्यवर, यही कारण है कि जहां कृषकों की आमदनी दूसरे प्रदेशों में बढ़ी है, हमारे प्रदेश में--मैं कुछ सालों के आंकड़े रखना चाहता हूं--हमारे प्रदेश में घटी है। १९६० ६१. में जहां कृषि से हमारी आमदनी ७.९ प्रतिशत थी वहां ६८-६९ में ५६.३ हो गई और ६९-७० में वह .३ भी खत्म हो गई और ५६ प्रतिशत रह गई तो यह हालत है हमारे सिंचाई विभाग की। जिन बातों को लेकर आज हमें सिंचाई विभाग में चलना चाहिए वह नीति सरकार की कतई नहीं है--खासकर वर्तमान सरकार की जो समाजवाद लाना चाहती है, जो गरीबी हटाना चाहती है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति का सरकार को पता नहीं है। प्लानिंग शुरू होने के पहले यहां की पर-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कैपिटा आमदनी 260 थी। आज हम कहां पहुंच गये? जहां हिन्दुस्तान की आमदनी 31 2 हो गयी, उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वह केवल 246––245 पर आ गई है।

(इस समय 3 बजकर 13 मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जे० एन० सिन्हा पीठासीन हुए।)

यही नहीं आगे बढ़ें जिलवार ले लीजिये। बुन्देलखन्ड के 4 जिले हैं, पहाड़ के 8 जिले और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 जिले हैं। अगर इन जिलों की पर-कैपिटा इनकम देखें तो दुख होगा। आपको मालूम होगा, एक रिसर्च टेक्नोग्राफिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जबकि सारे देश के 52 जिले लिये गये थे, अपने यहां के 22.28 जिले हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 27 पर कैपिटा है। इस हालत में आपकी सिंचन सुविधाओं को देखते हुए बड़ी तकलीफ होती 27। मान्यवर, मन्त्री जी ने केवल रिक्तता का पार्ट अदा किया है। मैं आशा करता था कि जो आगे बढ़ेंगे, इन्दिराजी के यहां जायेंगे और केन्द्रीय सरकार से कहेंगे कि आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, उसके अनुरूप बजट दो ताकि हम पिड़ड़े इलाकों में बिजली की सुविधाएं बढ़ायें, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई नयी योजना नहीं दी गई है जिससे हम आशा रखें कि कुछ हमारी तरक्की होगी। वह पुरानी योजनायें जो चली आ रही हैं वह चली आ रही हैं, इसलिए कि हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की आकर्मण्यता की वजह से कुछ नहीं हो रहा है।

नहर विभाग में क्या हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। गांव का किसान खाद की व्यवस्था किये हुए है, बीज की व्यवस्था किये हुए हैं और इस आशा में बैठता है कि हमारे यहां नहर आई हुई है, हमको पानी पूर्ण मिल जायगा, लेकिन नहरों से पानी नहीं आता।

उसका कारण क्या है? आज नहरों की सफाई नहीं होती है। आज वहां जो नहरों के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वे मौके पर नहीं पहुंच पाते और सफाई न होने के कारण ही पानी वहां पर नहीं पहुंच पाता। गूलों की हालत भी यही है। नहरों के बारे में दूसरी शिकायत यह है कि नहर विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको कृषि के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि कैनाल विभाग में जो इंजीनियर्स हैं कम से कम उनको आप इस बात का प्रशिक्षण दें कि वे कृषि के बारे में भी जानें। आखिर-कर इस प्रदेश का नागरिक और इस सदन का सदस्य––कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में वर्षा की क्या स्थिति है। कभी जून में वर्षा शुरू होती है, कभी जुलाई में वर्षा शुरू होती है और कभी जुलाई भी खाली जाती है। जो सिंचाई के अधिकारी हैं वे कलेंडर के हिसाब से चलते हैं। उनके यहां एक तारीख निश्चित है कि फलां तारीख को नहर खुलना चाहिए यही कारण है कि इस प्रकार की गड़बड़ी होती है जिससे किसानों को समय पर और पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। मैं चाहूंगा कि माननीय उप मन्त्री जी इसमें भी कुछ सुधार करें।

आज नहरों में गड़बड़ी है उसका कारण यह है कि हमारे इंजीनियर लोगों की उसमें तवज्जह नहीं होती, उनके दौरे नहीं हो पाते। आज किसानों को नहरों से जो परेशानियां हैं उनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज गांवों की हालत यह है कि सिंचाई किसी खेत की हुई नहीं, किसी खेत में पानी जाय या न जाय, लेकिन पतरौल ने लिख दिया तो उसके नाम सिंचाई लिख दी तो वह देनी ही पड़ेगी। उसकी कहीं कोई सुनवाई तक नहीं है। इसका कारण केवल यही है कि हमारा जो ऐक्ट है, जो मैनुअल

[श्री रामप्यारे]

है वह इतना पुराना है और उसमें इतनी खराबी है कि बिना गवाही लिये, बिना किसी को सुने, बिना लोगों को उचित मौका दिये, उनका फैसला हो जाता है। कैनाल ऐक्ट में व्यवस्था है कि केवल जिलेदार और पतरौल की रिपोर्ट के अनुसार डी० आर० ओ० फैसला कर दे। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है।

मैं बतला देना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार का रवैया रहा तो मैं पिछले कई वर्ष से जितने भी मन्त्री रहे उनसे कहता आ रहा हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक बात कह देना चाहता हूं कि जब वे उप मुख्य मन्त्री थे तब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि नये नियमों में, नये कानून में परिवर्तन किया जायगा। जिससे जनता का कल्याण नहीं होता, जनता का शोषण होता है और जनता को सुविधा मिलने में दिक्कत होती है। जब वे उप मुख्य मन्त्री थे और सिंचाई मन्त्री थे, इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा था वह मैं पढ़ देता हूं। "मैं अभी निवेदन कर रहा था कि कैनाल कानून का तौर तरीका इर्रीगेशन मैनुअल सभी पचास, सौ वर्ष पुराने कानून बने हुए हैं अगर एक खेत में वर्षा का पानी पहुंच जाय और उसी में नहर का पानी भी पहुंच जाता है और दूसरे खेत में चला गया तो यह कहा जाता है कि तुमने नहर से पानी लिया है। अजीब-अजीब कानून बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि अंग्रेजों ने व्यवसायिक दृष्टिकोण से उनको बनाया होगा। पर आज तो हमारा दृष्टिकोण दूसरा है। इसलिए हम इर्रीगेशन कमीशन कायम करना चाहते हैं जो सारे कानूनों को देखकर आजकल की आवश्यकता के अनुसार उसमें सुधार कर सकें।"

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि केवल यही नहीं जब कि पिछली गवर्नमेंट में वर्मा जी थे तो उन्होंने भी इस हाउस में घोषणा की थी कि एक इर्रीगेशन कमीशन बैठेगा तो अपने सुझाव देगा और उसी के अनुसार ऐक्ट और मैनुअल में सुधार किया जायगा। लेकिन आखिरकार जनता कैसे विश्वास कर ले? प्रदेश की जनता इस सरकार पर कैसे विश्वास करे। आज भी माननीय मन्त्री जी ने कई बातें कहीं, लेकिन इस बात का हम कैसे विश्वास करें कि आज जो सरकार कहती है वह पूरा होगा ही। क्योंकि आज एक सरकार है जो कल चली जाती है और फिर दूसरी सरकार आ जाती है। फिर वे सारी बातों को भूल जाती है कि जनता का हित किसमें निहित है। इसलिये आपके माध्यम से मैं सिंचाई मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक इर्रीगेशन कमीशन को बैठाने की बात है, उसको वे तुरन्त बैठावें। और वह जो भी सुझाव दे सके, जो अनियमितता हैं। जिनसे जनता को परेशानियां हैं वह दूर हो सकें।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां बड़ी-बड़ी सिंचाई योजना चल रही है। मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। रामगंगा की दुहाई दी गई। उसकी स्थिति क्या है। अगर आप देखे तो मालूम होगा कि अधिकारियों ने किस तरह से इसके प्राक्कलन को बढ़ाया। यह प्रारम्भ में ६५ करोड़ की योजना थी जिसको आज बढ़ाते-बढ़ाते अधिकारियों ने ११९ करोड़ ५ लाख की बना दी है। आपके यहां एक प्राक्कलन करने वाला एक विभाग है, अन्वेषण करने वाला विभाग है। किस तरह से प्रदेश की इकोनोमी चलेगी अगर इस तरह से प्राक्कलनों की स्थिति खराब होती चली जायगी। यह रामगंगा की ही बात नहीं है। बल्कि शारदा सागर और टेहरी प्रोजेक्ट की भी यही हालत होने वाली है। यह १९७ लाख की योजना है। यही नहीं, आपके हर प्रोजेक्ट की यही हालत है। रिहन्द और ओबरा की भी यही हालत है। एक तरफ आप कहते हैं कि महंगाई के कारण, चीजों के दाम बढ़ जाने के कारण उपकरणों की तेजी के कारण, श्रमिकों को अधिक पैसा देने के कारण प्राक्कलन बढ़ता है लेकिन इसका महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार है जो नीचे से लेकर ऊपर तक फैला हुआ है। प्रदेश में जितने भी विभाग हैं चाहे पी० डब्लू० डी० हो या एल० एस० जी० डी० ही, चाहे इर्रीगेशन विभाग हो इसमें तो भ्रष्टाचार आसमान को छू रहा है।

यहां पर २० परसेन्ट घूस कोई घूस नहीं है। जैसी चर्चा हो रही थी वह शिष्टाचार माना जाता है। इस कारण प्रोजेक्ट का काम पिछड़ता है क्योंकि ठेकेदार अधिकारियो को ओबलाइज करता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी अकर्मण्यता के कारण, उनकी अदूरदर्शिता के कारण करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है। लोक लेखा समिति की 1969 की रिपोर्ट है। उसके पृष्ठ 54 पर देखें कि बम्बई से कुछ पाइप मंगाने थे। पहले यह रेल से आने थे फिर न जाने अधिकारियों में क्या साठगांठ हुई कि यह निश्चित हुआ कि बजाय रेल के ट्रकों द्वारा यह पाइप आने चाहिये क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी कोई खास जरूरत नहीं थी। प्रत्येक ट्रक पर हजारों रुपया चार्ज किया और ओबरा प्रोजेक्ट को 46 लाख रुपया वहन करना पड़ा।

मान्यवर, सीमेंट की बोरियों में बड़ी गड़बड़ी हुई है। जो चाहे चार रुपये बोरी ले सकता था। यह हालत हमारे इर्रीगेशन विभाग के उच्चाधिकारियों की है। मैं आशा करता था कि माननीय मन्त्री जी इन चीजों पर विस्तार से कहेंगे। आज आवश्यकता उस बात की थी कि जो हमारी दिक्कतें थीं, जो गड़बड़ियां थीं, जो घोटाले थे, उनकी ओर मन्त्री जी प्रकाश डालते और बतलाते कि वे क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन उन चीजों पर उन्होंने जरा भी प्रकाश नहीं डाला। इसके फलस्वरूप अधिकारियों का प्रोत्साहन बढ़ता जाता है मैं नहीं कहता कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। लेकिन क्या सिंचाई मन्त्री कह सकते हैं कि इनका एक भी प्रोजेक्ट समय पर बना है। रिहन्द डैम, ओबरा, प्रोजेक्ट, और राम गंगा आदि के बारे में उन्हें कहना चाहिये था। १५ जिलों को उससे लाभ होगा। गण्डक से लाभ होगा, शारदा सागर से लाभ होगा। सन् ६२ में उसके लिए आर्डर हुआ था सन् ६४ में इसको शरू किया गया और इसके पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था सन् ६८-६९। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि १९७१-७२ तो क्या वह ७५ तक पूरा होने वाला नहीं है? ७५ में आप इसको पूरा कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। लेकिन नहीं होगा।

सरकारी योजनाओं का काम जितना खराब हो गया वह बड़ा कष्ट प्रद है। कोई आफोसर अपनी रेस्पांसिबिलिटी ही नहीं अनुभव करता। सब एक दूसरे पर टालते हैं। और आप पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अगर यही स्थिति रही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को यह धन्धा ही बन्द कर देना चाहिये। एक तरफ तो आप ब्लिक सेक्टर की बात करते हैं और दूसरी ओर आप ठेकेदारी प्रथा को कायम किये हुए हैं। इस प्रथा को बन्द कीजिये न। यह ठेकेदार लोग ही तो आफिसरों को ओब्लाइज करते रहते हैं। अधिकारी ही नहीं यह इनकी बीबियों तक पहुंच जाते हैं। और यह हम और सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि प्रदेश की सभी स्कीमों के लिए-चाहे वे कैनाल की स्कीम हों, चाहे नदी की स्कीम हो, चाहे हायडल का प्रोजेक्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि वह काम समय से समाप्त हो जाय तो आपको इस काम करने के तरीके में परिवर्तन करना होगा। आपको इस ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करना होगा।

आज यह सब को विदित है कि हमारे प्रदेश में जो नालियां बनती हैं, जिनमें १/४ का सीमट लगना चाहिये उनमें १-८ का सीमेंट लगता है। लखनऊ में बैठी आपकी यह सेल क्या करती है? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मामलों में इस सेल ने जांच की और कितने लोगों को इसके द्वारा सजा दी गई? कालागढ़ में इसने क्या किया ओबरा में क्या किया? इस विभाग में जो भी मैटीरियल का चेक करते हैं उनसे मिलकर मामले को दबा दिया जाता

[श्री रामप्यारे---]

है। आज मैं ही नहीं प्रदेश की सारी जनता इस बात को जानती है कि प्रदेश में इर्रीगेशन विभाग में जो भी पक्के काम होते हैं, उनमें सीमेंट की वह मात्रा नहीं लगती जो लगनी चाहिए। यहां का तो हिसाब यह है कि जो इंजीनियर मुकर्रर होते हैं उनमें इस बात की बहस होती है पहले कार कौन लेगा। मैं इस बात की मांग करता हूं कि आप उच्च अधिकारियों को रखें और अच्छी तनख्वाह पर रखें लेकिन उन्हीं को रखें जिनको इन्ट्रीग्रिटी डाउटफुल न हो, उनको नियुक्त करें और ईमानदारी से चीजों को देखें।

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जहां पर केनाल नहीं जा सकती है वहां के लिए और साधनों को हम उपलब्ध कर रहे हैं और जहां नीचे पानी है वहां के लिए दूसरे प्रकार का सिस्टम हम बना रहे हैं। उन्होंने नलकूप और पाम्पिंग कैनाल की बात की। आपके नलकूपों की क्या हालत है? जब नलकूप शुरू हुए तो इनमें कुछ लाभ हुआ था लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया किसी वर्ष ४ करोड़, का किसी वर्ष ५ करोड़ का, किसी वर्ष ६ करोड़ का नुकसान हो रहा है। मैं ख्याल करता हूं इस वर्ष १० करोड़ का नुकसान होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि नलकूपों से घाटा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? माननीय मन्त्री जी भी ऐसे क्षेत्र के हैं जो हमारे क्षेत्र की ही भांति है। क्या उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आपका यह आपरेटर क्या करता है? जब किसान को पानी की आवश्यकता होती है तो वह गायब हो जाता है अथवा कह देता है कि नलकूप गड़बड़ है। कभी बिजली ही फेल हो जाती है। यह आपरेटर किसान को तरह तरह से परेशान करता है। इसको आपको देखना चाहिये। आपको इसके लिए मैकेनिक्स की एक मोबाइल यूनिट रखनी चाहिये जो उस समय तुरन्त जाय जहां किसी ट्यूबवेल में खराबी उत्पन्न हो गई है और वह जाकर तुरन्त उस खराबी को दूर करे। लेकिन ऐसी आपकी व्यवस्था कहीं नहीं है सरकार ने जहां पर ट्यूबवेल लगाये हैं उसका उद्देश्य यह है कि सघन खेती की जाय और किसानों को पानी उपलब्ध हो सके। साल में ८,७६० घंटे होते हैं लेकिन आपके ट्यूबवेल डेढ़, दो हजार घंटे ही चलते हैं। आपके ४० परसेंट ट्यूबवेल बेकार पड़े रहते हैं। मैं मानता हूं कि पश्चिमी जिलों में ट्यूबवेल्स कुछ अच्छी हालत में हैं लेकिन पूर्वी जिलों का क्या हाल है? वहां जितना फायदा किसानों को पहुंचना चाहिये वह नहीं मिल रहा है और आज ऊंचे अधिकारियों को खुश करने में ही वे व्यस्त हैं।

जैसी कि अभी चर्चा चल रही थी, हम विद्युत् विभाग को सिंचाई विभाग से अलग नहीं कर सकते। दोनों विभागों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये। इसी सदन में कई बार चर्चा हुई कि इन दोनों दिमागों का एक ही मन्त्री हो। लेकिन यदि ये परिस्थितियां नहीं हैं तो मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह माननीय नारायण दत्त तिवारी के विभाग से या विद्युत् बोर्ड से कोआर्डिनेशन रखें जिससे सिंचाई में दिक्कत न पड़े। आज सिंचाई के लिए बिजली का रेट क्या है? हालांकि बिजली की बात है लेकिन सिंचाई मन्त्री जी आपको यह करना पड़ेगा कि आप कैबिनेट में इस चीज को उठायें। हमारे यहां सिंचाई के लिए बिजली की दर १५ पैसे है और अगर किसान देर कर दे तो आप १७ पैसे भी ले लेते हैं।

श्री रामलखन---

जो बजट पास हो गया उसके बारे में क्यों कहते हैं?

श्री राम प्यारे---

वह सिंचाई से सम्बन्ध रखता है। आप दूसरे प्रदेशों में, गुजरात में, मद्रास में, पंजाब में देख लें कि इन प्रदेशों में किसानों को सस्ते दर पर बिजली मिलती है। कहीं १३ पैसे, कहीं ९ पैसे और कहीं ८ पैसे में वहां बिजली मिलती है। आप भी सस्ते दर पर बिजली

देते हैं, लेकिन वह बिड़ला को देते हैं। आप कैबिनेट मन्त्री हैं। वहां आप यह प्रश्न उठायें कि जिस तरह से बड़े उद्योग धन्धों को चलने के लिए पूंजीपतियों को सस्ते दर पर बिजली देते है उसी प्रकार हम लोगों को भी दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ट्यूबवेल का घाटा कैसे पूरा होगा। जब हम साढ़े ७ पैसे में बिजली पैदा कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि ८ पैसे, ९ पैसे और १० पैसे में हमको बिजली उपलब्ध न हो। अगर हम कृषि का विकास चाहते हैं तो यह करना पड़ेगा। आप उद्योगपतियों को तो ४ पैसे और २ पैसे में बिजली देते हैं लेकिन किसान को १५ और १७ पैसे में देते हैं। बड़े लोगों पर अगर बिजली का बकाया हो तो उनका कनेक्शन नहीं कटेगा लेकिन अगर किसान थोड़ी सी देर कर दे, अगर वह मोहलत भी चाहता है तो नहीं मिलती। आपका अमीन जाता है और सख्त कार्यवाही होती है और अगर नहीं देता है तो कुर्की की कार्यवाही की जाती है।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपने को सिंचाई के विषय तक सीमित रखें क्योंकि बिजली का अनुमान तो हो चुका है।

श्री राम प्यारे---

सिंचाई पर ही बोल रहा हूं कि किस तरह से इसमें सुधार किया जा सकता है। प्रदेश में सिंचाई की जो सुविधा है यह अन्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह नहीं है। आज जहां सिंचाई की सुविधायें हैं, जहां पर नहरें और ट्यूबवेल हैं वहां के किसानों को आप सुविधा देते हैं और उसके कारण जो करोड़ों रुपये की हानि होती है। वह प्रदेश के उन लोगों पर जाकर भार के रूप में पड़ती है जो उससे लाभ नहीं उठाते है। मिर्जापुर बुन्देलखंड और पहाड़ के लोगों पर भी उसका भार जाकर पड़ता है। जो इस सुविधा को नहीं उठाते हैं। और इस सहूलियत को प्राप्त नहीं करते हैं। आखिर सिंचाई के साधन बनाने में हमारी कैनाल से यह घाटा क्यों हो रहा है? नहरों में हर साल ८,१० करोड़ का घाटा हो रहा है।

मैं एक और मौलिक बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू। आज इस सिंचाई के कारण किसानों की क्या हालत हो गई है। आज गांव का किसान यदि इनकी कैनाल से पानी लेना चाहता है तो उसको परेशान किया जाता है। अगर जरूरत के कारण लोग वहां पर पटरी काट देते हैं और कैनाल को खराब कर देते हैं तो फिर भी उनको पानी नही मिल पाता है। उलटे यह होता है कि अगर किसी एक ने कोई गलती की तो सारे गांव को परेशान किया जाता है और जुरमाना बसूल किया जाता है। आखिर क्यों उन सब किसानों को परेशान किया जाता है? किसी पर यदि कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उसकी जांच होती है लेकिन सिंचाई बिभाग में ऐसा नहीं होता है। मैं मांग करता हूं कि इसको समाप्त किया जाय और गांव की जरूरत को देखते हुये कैनाल बनाई जाय। लोगों को दो-दो मील का चक्कर काटना पड़ता है। उनके खेत का जो नुकसान होता है उस पर ख्याल नहीं किया जाता है। इसलिये जो नहरों की आवश्यकता है उसको देखतें हुए किसानों को सुविधा देने का प्रयास सरकार को करना चाहिये। आज सिंचाई विभाग के जरिये से जो जमीन ली जाती है उसका मुआविजा नहीं दिया जाता है।

अभी बडौनी जी ने बताया कि उनको खुशी है टेहरी में बांध बनाया जायगा लेकिन साथ इस बात की चिन्ता है कि टेहरी में जो बांध बनाया जायगा उससे जो लोग निकलने

[श्री राम प्यारे]

वाले हैं उनकी हालत क्या होगी। मैं सिंचाई मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों को रिहन्ड का कटु अनुभव है। रिहन्द डाम से लोगों को उजाड कर फेंक दिया गया है उनकी जमीन को ले लिया गया है लेकिन मुअविजा उनको आज तक नहीं दिया गया है। १९६० का जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट बना हुआ है उसमें सुधार किया जाय और बाजार भाव पर किसानों को जमीन का मुआविजा देने का प्रयास किया जाय। अभी तक गोरखपुर में नारायणी का मुआविजा नहीं दिया गवा है। ८, १०, साल जमीन को लिये हो गये हैं लेकिन मुआविजा नहीं दिया गया है ओबरा में जो जमीन ली गई है उन गरीब आदिवासियों को अभी तक मुआविजा नहीं दिया गया है। अपने उनकी कमर को तोड़ कर रख दिया है। उनको कहीं पर बसाया भी नहीं है। मैं मांग करता हूं कि जहां पर भी आप बड़ी-बड़ी योजनायें बनाते हैं और वहां पर उन किसानों की जमीन को लेते हैं। तो कम से कस उनकी हालत को बदतर तो न बानाया जाय। जिस हालत में वह हैं कम से कम उसी हालत में उनको रखने का का प्रयास किया जाय। उनकी जमीन बदले में दे दी जाय और मकान के बदले में मकान दिया जाय। तभी आप का यह कन्तिकारी कदम सफल हो सकता है।

मन्त्री जी ने बताया कि हम नदियों के पानी को उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे प्रयास किया जा रहे हैं। अगर कहीं पर कैनाल से पानी नहीं मिलता है, जहां पर नदी नीची है और किसान किसी तरह से अपनी सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो उनकी सुविधा के लिये यह प्रयास अच्छा है और उन नदियों में पानी उठाकर उनको देना बहुत अच्छा है लेकिन मौकलि बात यह है कि यह प्रोजक्ट बहुत ही खर्चीले है। यदि इसमें कोई रास्ता निकल सके तो अच्छा होगा। किसानों के लिये यह पानी उठाकर जो देते हैं बहुत मंहगा पड़ता है। हो सकता है आगे चलकर किसान इसको लेंने से मना कर दे। आपने रायबरेली में कैनाल पानी उठाकर बनाई है लेकिन वह बहुत मंहगा पड़ता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह जो पम्प कैनाल बन रही है उसकी कोई योजना नहीं है, नारायणपुर में बन रही है, ठीक है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है आप बनारस को पानी ले जाइये, मैं भी चाहता हूं कि आप ले जांय लेकिन जो पहले से पानी ले रहे हैं जैसे अहरौरा है या जगरो है उसको आप डाइवर्ट करें, वहां न लगायें वहां पर साइट ठीक नहीं थो वहां वहां पर पम्पिग सेट तथा नलकूप पहले से लगे हुये थे। मेरा मौलिक सुझाव है कि आपकी जो नई योजना बने वह ऐसी जगह बनें कि एक दूसरे से क्लेश न हों। जहां पहले से पंपिंग मेंट्स हैं और नलकूपों की सुविधा है वहीं न बनें। ऐसी जगह पर ही और सुविधा देनें से व्यवधान और अपव्यय दोनों होते हैं। यह जो आप लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम बना रहे हैं उसमें आप यह कोशिश करें कि वह खर्चीली योजना न हो। जो नुकसान हमारे प्रदेश को लिफ्ट योजना से होने वाला है उससे आप बचने की कोशिश करें। आप इसके लिये एक कमीशन बिठायें जो इनमें एक रूपता लाने की बात सोचे, किस तरह से इन तमाम तरीके के सिंचाई साधनों में एकरूपता लाई जा सकती है। इसकी आप व्यवस्था करेंगे तो आपका व्यय भी कम होगा और कुशलता भी बढ़ेगी।

इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सूखे से प्रभावित इलाकों के लिये, नौगढ़ जो मंत्री जी का क्षेत्र है, उस के लिये, इलाहाबाद की करछना और मेजा तहसील के लिये और बुन्देलखंड के लिये, शाजमगढ़, जौनपुर और बलिया के लिये आप अलग से कुछ स्कीम बनायें। उसका कारण यह है कि वहां आये दिन सूखा आता है और वह हमेशा ही एक अभावग्रस्त क्षेत्र रहता है, वहां अभाव की स्थिति सदा ही बनी रहती है, वहां के लिये सिंचाई विभाग को विशेष तत्परता से काम करना चाहिये था लेकिन वह नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि वहां की सारी योजना अभी तक कागज पर ही पड़ी हुई है। हमारे मिर्जापुर में ही 4 योजनायें--रघुनाथपुर की, झारोखास परकच्छा और पंछादवा की थीं लेकिन उस पर अभी कोई काम आरम्भ नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि उस अभावग्रस्त इलाके के लिये जो योजनायें हैं उनको युद्ध स्तर पर फौरन आरम्भ किया

जाय। जहां पर बराबर सूखे की स्थिति बनी रहती है केवल इस वर्ष वहां अधिक वर्षा हुई है उससे वहां के लोग परेशान हो गये हैं, वह बाढ़ से तबाह हैं, सारी फसल नष्ट हो गई है। मैं मन्त्री जी से मांग करूंगा कि यह योजनाएं जो उस क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली हैं, उनको जल्द से जल्द कार्यान्वित करें और उनके घाटे की बात सोचकर उनको न रोकें। यह ठीक है कि समतल क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में कुछ व्यय अधिक होता है लेकिन सूखे की स्थिति का ध्यान करके वहां व्यय करना ही श्रेयस्कर होगा।

सन् 1966-67 में मिर्जापुर पर ही चार साढ़े चार करोड़ रुपया व्यय किया गया। आप वहां पर स्थायी इलाज के लिये पैसा यह कह कर नहीं लगाते कि वहां की प्रोजक्ट एकानामी न होंगी लेकिन वहां की इस विशेष स्थिति में क्योंकि आप को हर वर्ष अतिवृष्टि और अनावृष्टि में और अकाल की दशा में लगाना पड़ता है वह सब आप का बच जायगा और वहां के लोगों का भी कल्याण हो जायगा। आप ने हमारे उन इलाकों के लिए पंम्प कैनाल बनायी हैं और ऐसी ऐसी 15 योजनायें बनायी हैं लेकिन और क्षेत्रों में जहां पर नहरें हैं, वहां पर सिंचाई सस्ती पड़ती है लेकिन अगर यहां पर ऐसी ही योजनायें और कार्यान्वित कर दीं तो सिंचाई मंहगी ही होगी सस्ती नहीं पढ़ सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कोई रास्ता निकालें जिससे इन इलाकों में सिंचाई सस्ती हो सके और इनके निवासियों को बिजली मिल सके।

श्रीमन्, हमारे यहां पर एक सोन नदी है, हमारे केन्द्र के सिंचाई मंत्री वहां पर जून, 1969 में गये थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस योजना को कार्यान्वित करेंगे लेकिन इतनी ढिलाई से काम हो रहा है कि न तो उसका प्राक्कलन ही बन सका है और न सर्वेक्षण ही हो सका है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इर्रीगेशन विभाग में जो सर्वेक्षण विभाग है या अनुसंधान विभाग है, उसकी कार्यक्षमता, जो इस समय ठीक नहीं है, को बढ़ायें। वे पूरे प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए काम नहीं कर रहे हैं। इस समय 1 या 1 1/2 हजार आदमी लगे हुए हैं लेकिन यदि आप पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराना चाहें तो इस विभाग का विस्तार करें। हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारे प्रदेश में ऐसी नदिया नहीं रह गयीं जिन पर बड़े-बड़े बांध बनाकर, पानी उठाकर कैनाल से सिंचाई की जा सके। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, मिर्जापुर के दक्षिणी अंचल में ऐसा क्षेत्र हैं जहां पर मनुष्यों की नसों के समान नदी और नाले हैं लेकिन उनका सर्वेक्षण नहीं किया गया है, उनको टेप नहीं किया गया है। जहां पर नदी नाले हैं, जैसे बुन्देलखंड, में नौगढ़ में, मिर्जापुर के इलाके हैं और पहाड़ी इलाके में भी जो 8 जिले हैं, बहुत से छोट मोटे नदी नाले हैं जहां पर सर्वेक्षण और अनुसन्धान की आवश्यकता है और मैं मांग करता हूं कि इसमें तेजी लावें और बिभाग को तुरन्त आदेश दें कि वे मिर्जापुर में जितनी नदियां और नाले हैं, उनका सर्वेक्षण कराकर उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान करें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं, खास कर भ्रष्टाचार के बारे में। प्रोजेक्ट का 120 परसेन्ट रुपया लूट लिया जाता है। आज आपके ओवरसियर की क्या हालत है? उसकी हालत यह है कि 4-5 साल में, अगर आप देखें, उसको कोई नौकर नहीं देता, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, लेकिन उस को 2-2 आदमी मिल जाते हैं, कोई उनके बच्चों को खिलाता है, और कोई उनका खाना बनाता है। ऐसिस्टेन्ट इंजीनियर को 5-5 आदमी मिल जाते हैं। एक्जीयूटिव

[श्री रामप्यारे]

इंजीनियर का तो कहना ही क्या है। अब रिहंड के और ओबरा के प्रोजेक्ट में देखें, आप तनख्वाह न बढ़ायें लेकिन इनमें ओवर स्टाफ इस प्रकार से कर दिया जाता है।

आज जो प्रोजेक्ट्स में खर्चा बढ़ रहा है इन योजना में खर्चा बढ़ रहा है वह आपके अधिकारियों के अपव्यय करने के कारण बढ़ रहा है, वे आज सुख सुविधा का जीवन बिता रहे हैं। आपके जो प्राइवेट फार्म्स के लोग हैं चाहे उनको 10-10 हजार रुपया वेतन मिलता हो लेकिन एक भी नौकर उनको नहीं दिया जाता है। आपका सर्कुलर गया कि कोई भी आदमी घर का काम न लें लेकिन होता क्या है कि फोर्थ क्लास के कर्मचारी कोई खाना बनाता है, कोई अफसर की बीबी के कपड़े धोता है और जब तक आप इन आदेशों का सख्ती से पालन नहीं करायेंगे तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। यदि आप ने सख्ती से पालन करा दिया तभी चौथी क्लास के कर्मचारियों को आप कुछ राहत पहुंचा सकेंगे और दूसरे जो आप के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी खर्च कम आयेगा। यही नहीं मानवता के नाते भी आपको इस ओर कदम उठाना चाहिए। आज जो छोटा कर्मचारी होता है वह उससे कर्मचारी के द्वारा दबाया जाता है। जैसे ओवरसियर द्वारा चौथी श्रेणी का कर्मचारी और ओवरसियर इंजीनियर द्वारा दबाया जाता है। इस तरह से यह अब ऊपर से नीचे तक तमाशा बना हुआ है। मान्यवर, इस तरह का भ्रष्टाचार इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में है।

मान्यवर, हालात क्या है? क्या आप ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया है? जो सस्पेंन्शन की बात कही गई कि 31 सहायक इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? सस्पेंड हैं, हो सकता है कि कोई उच्चाधिकारी नाराज हो। लेकिन जिन सहायक इंजीनियरों से अधिकारी नाराज नहीं हैं जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेज हैं, जिनके खिलाफ विजिलैन्स की कार्यवाही चल रही है वे आज काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी इसको आप को देखना होगा। आप को कर्मचारियों के स्तर को बढ़ाना होगा। ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन देना होगा और इस तरह के गड़बड़ घोटाला करने वाले कर्मचारियों को दंड देना होगा। आप उनके एफीशियेन्सी बार रोक दें। इतना ही कर दें, सस्पैन्ड हो जाय, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप को मौलिक रीति से इसमें परिवर्तन करना होगा। प्रदेश का यह वह विभाग है जिससे जन जीवन सम्बन्धित है उसमें से भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा इसको सोचना होगा। वह तभी मिट सकता है जब अनुचित काम करने वाले को दंड दें। ओवरसीयर्स जो हैं वे किसानों से पैसा लेते हैं। वर्क आर्डर पर जो काम हो रहा है उसमें वे पैसा लेते हैं।

आज अगर ओवरसियर पश्चिम जिलों के रहने वाले वहां काम कर रहे हैं तो वे अपने रिश्तेदारों को ले जाकर काम देते हैं। उसके पास पूंजी नहीं है वे हिस्सा लेते हैं और जब काम पूरा हो जाता है,सौदा तय हो जाता है तो वर्क आर्डर के हिसाब से दिया जाता है जिस हिसाब से सौदा तय होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन छोटी-छोटी चीजों को देखेंगे और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में यह जो धांधली और गड़बड़ी चल रही है उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा हमारे क्षेत्र में कई बंधे हैं। इंजीनियरों का भ्रष्टाचार देखिये। खेतों में पानी नहीं होगा लेकिन किसानों की एक पर्ची कट गई दिखाने के लिये कि बंधे से लाभ हुआ है। एक सुखरा नाम का ग्राम है। एक इंच भी जमीन की वहां सिंचाई नहीं हुई लेकिन जिस इंजीनियर ने उसको बनाया था, जो मैन्टीनेन्स में हजारों रुपये महीना खर्च करते हैं उन्होंने उस ग्राम में भी पानी दिखाया है। बुढ्ढी क्षेत्र में भी इस वास्ते बनाया था कि वहां सिंचाई होगी लेकिन वहां नहीं हुई। एक दिन सिंचाई नहीं हुई परन्तु वहां के सहायक इंजीनियर एस० ई० हो गये हैं। आप ऐसे काम करने वालों को यह पुरस्कार देते हैं।

जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब किताब चल रहा है जिस तरह से आप एडीशनल इंजीनियर है, एस० ईज० हैं अगर उनका कन्ट्रोल देखें तो कुछ नहीं है मैं ऐसा मानता हूं। जो नीचे से अधिकारी कर दें उसी पर मोहर लग जाती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने क्रोकोडाइल्स टीयर्स बहाने का प्रयत्न किया है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है।

16–16 साल से जो वर्क चार्ज्ड कर्मचारी थे वे आज तक टैम्पोरेरी बने हुए हैं रिहन्द प्रोजेक्ट में । यह प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है । तब से हाईडिल के डर के मारे हड़ताल की तो कहा कि हम रैंगुलर कर देंगे । इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के इन छोटे कर्मचारियों ने क्या गुनाह किया है । आज इनकी गलत नीतियों के कारण जो सबार्डिनेट इन्जीनियर्स हैं सदन के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लाइज में असन्तोष है वह इसलिये है कि बड़े कर्मचारी उन पर अत्याचार कर रहे हैं । उनकी उम्र रिटायर होने की है, कुछ नौजवान हैं । वे कहां जायें । मैं आपसे मांग करता हूं कि आप यहां से इस बजट के बाद एक पखवारे के अन्दर आदेश करें कि जो वर्क चार्ड हैं उनको रैंगुलर कर दिया जाय । उनकी सर्विसेज परमानेन्ट कर दी जायं जिससे उनका अस्थायित्व दूर हो सके । इंजीनियर्स की आज बड़ी मीटिंग हो रही हैं । किस तरह से बड़ा अधिकारी उनको सताता है, आप इस बात को देखें । कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा । जिन कर्मचारियों ने अपना काम छोड़कर आप को वोट दिलवाने में मदद की है उनकी तकलीफों को आप दूर कीजिये ।

पहले भी जब रामगंगा की बात हो रही थी तो मैंने कहा था, जो प्राक्कलन प्रोजेक्ट्स के बनते हैं वह ठीक नहीं बनते हैं । आप कहते हैं कि प्राकलन विभाग बहुत सोच समझ कर बनाता है तो फिर कौन सी बात आ जाती है कि दिन पर दिन कीमत बढ़ती जाती है ? इसका कारण उच्च स्तर की गड़बड़ियां हैं । श्रीमन, आडिट रिपोर्ट में साफ लिखा है कि किस तरह से जिस चीज की जरूरत नहीं थी उस मशीन को मंगवाया गया । सस्ते टेंडर वालों को नहीं बल्कि मंहगे टेंडर वालों को आर्डर देते हैं यह कहकर कि उनका अनुभव है । तो इन सब चीजों को देखे । यही कारण है कि करोड़ों रुपये का नुकसान होता है । रामगंगा में जो मशीनें बाढ़ में बहने की बात कही गई पता नहीं बही कि नहीं, लेकिन लाखों का घाटा हुआ । ओबरा में कन्टीनेन्टल कम्पनी को ठेका दिया गया कह दिया गया कि मशीन बह गई । वह बही नहीं, लेकिन उसको रुपया दिया गया । तो इन सब चीजों को देखें ।

कुछ हमारे किसानों की ओर कठिनाइयां हैं जहां नहर हैं जहां सरकारी ट्यूबवेल हैं, आप कहते हैं कि ६०० एकड़ तक कोई ट्यूबवेल या पम्पिंग सेट नहीं लग सकता है । आज जब किसान आगे बढ़ना चाहता है, हाई ईल्डिंग वैराटीज पैदा करना चाहता है तो उसे जो पानी की जरूरत है वह मिलना चाहिए उसमें कोई रोक नहीं लगनी चाहिए ।

कर्मचारियों के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं । रिहन्ड में हार्डशिप होने के कारण हाइडिल वाले २० प्रतिशत एलाउन्स देते हैं जिसको रिहन्ड कम्पनशेटरी एलाउन्स कहते हैं मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि जो हायडिल का कर्मचारी है उसको तो विशेष भत्ता दिया जाय ओर सिंचाई विभाग के कर्मचारी को न दिया जाय । यह कहां का न्याय है ? आज दो साल से वह बन्द है । इसी तरह से होम डिपार्टमेंट का जो आदमी है वह तो पाता है लेकिन सिंचाई विभाग का नहीं पाता, बड़ा भेदभाव है । इसी तरह से जो होम डिपार्टमट का सीक्योरिटी आफिसर है उसको तो आप उस दिन से देते है जिस दिन से काम कर रहा है लेकिन जो कांस्टेबिल और हैडकांस्टेबिल हैं उनके लिए कहते हैं कि जब तुम आए हो तब से देंगे । तो इन सब अनियमितताओं को देखिए ।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

यही नहीं, ओबा को भी देखिये । आप उन कर्मचारियों को उनके सब एलाउन्सेज क्यों नहीं देते हैं ? आपके इस कहने में क्या तर्क है कि अगर हम इन कर्मचारियों को देंगे तो और कर्मचारी भी मांग करने लगेंगे ? सब कर्मचारी क्यों मांग करने लगेंगे ? यह तो

[श्री रामध्यारे]

एक परियोजना है और इसका अलग बजट है । आप उसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लिये हुये हैं । बोर्ड देना चाहता है मगर इर्रीगेशन वाले नहीं देना चाहते हैं और यहां का बिजली विभाग नहीं देना चाहता है । मंत्री जी फाइल मंगाकर आप देखें और अध्ययन करें । आज बैकवर्ड एरियाज की बात कही जाती है । आप गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं । आपके दिल में गरीबों के प्रति आह है, ऐसा मैं मानता हूं और अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जब तक आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक पैदावार में वृद्धि नहीं होगी । गांवों में लोग ट्यूबवेल और पंपिंग सेट लगाना चाहते हैं । इन सुविधाओं को आप सुनियोजित ढंग से दिलाने की कृपा करें और सिंचाई की सुविधाओं का इस ढंग से फैलाव करें ताकि रीजनल बेकवर्डनेस, जिसकी कि बात कही जाती है, न रहे । रीजनल बैकवर्डनेस एक खतरनाक चीज है । मैं पूरब और पच्छिम की कोई बात नहीं कहता । जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिये आप कोई योजना बनायें ।

मान्यवर, आपने कृपा करके दुद्धी, जिला मिर्जापुर में बंधी डिवीजन खोला । डिवीजन तो आपने खोल दिया, परन्तु वहां पर इंजीनियर के रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । आज कल इंजीनियर कच्चे मकान में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिये आप उसके लिये पक्के मकान की व्यवस्था करें, ताकि वे काम तो कर सकें । कृपा करके बैकवर्ड इलाकों के लिये आप एक प्लान बनायें और वहां पर अधिकारियों, कर्मचारियों और आपरेटरों के लिये रहने की व्यवस्था करें । आपरेटर कहते हैं कि उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और वे देहात में रहते हैं । कर्मचारियों की यह भी शिकायत है कि उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती है । उनके लिये छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिये (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, हमें और बोलने दें, मैं सुझाव देना चाहता हूं । आप बंधी डिवीजन को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करें और वहां पर एक एस० डी० ओ० का हेड क्वार्टर बना दें । आप उस इलाके का सर्वेक्षण करायें और विकसित करने की चेष्टा करें । मेरी आप से प्रार्थना है कि जब पिछड़े इलाकों की मांग आये तब आप उनको टेक-अप करें, चाहे वे पहाड़ी जिलों की हों, बुन्देलखंड की हों या सूखाग्रस्त इलाके की हों ।

अब मैं माइनर इर्रीगेशन की बात कहता चाहता हूं । जो निजी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें हैं उनको आपको देखना होगा । आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह दूसरे विभाग का काम है । पंपिंग सेट्स तो लगा देते हैं, मगर बिजली की लाइन का कनेक्शन नहीं मिलता है । हमारे बहुत से साथियों ने कल गारंटी स्कीम के बारे में कहा था । रहट और मैसोनरी वैल्स की ओर भी ध्यान दें । किसान आगे बढ़ना चाहता है । सिंचाई विभाग को भी उसको सहयोग देने के लिये तत्पर रहना चाहिये । अगर आप ऐसा करेंगे तो सिंचाई विभाग की भी कृपा होगी और हमारे सिंचाई मंत्री जी की भी कृपा होगी ।

इसके अलावा मैं एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं । जब जवाब देने का मौका आयेगा तब और बातें कहूंगा । मान्यवर, जहां तक अच्छी इर्रीगेशन का प्रश्न है उसको दो तीन बातों, जैसा कि मैंने कहा है मौलिक रूप से यह है कि आप एक आयोग तत्काल गठित करें । यह आयोग इसलिये बैठेगा कि केनाल ऐक्ट में जो गड़बड़ी है सुधारेगा और यह देखेगा कि इन तीनों विभागों में किस तरह एकरूपता लावें । सिंचाई पर किस प्रकार भार कम हो, ठेकेदारी सिस्टम और भ्रष्टाचार को दूर करना है । विभाग में एक विजिलेंस विभाग को खोलें जो भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश करे । इसकी व्यवस्था हो और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जैसे अनुसंधान और सर्वेक्षण विभाग हैं, उनकी मशीनरी तेज करें जिससे प्रदेश में कौन-कौन सुविधायें दी जा सकती हैं, उसका पता लग सके । इसको अगर मंत्री जी क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं तो प्रदेश में २४,२५ प्रतिशत जो सिंचाई की सुविधा है वह बढ़ाई जानी चाहिये । इससे प्रदेश का रहन-सहन ऊंचा उठेगा और आपका

जो नारा है गरीबी मिटाने का वह पूरा हो सकता है । जो विभागीय योजनायें हैं, आपने पास की हैं, उसमें मौलिक परिवर्तन करना है कि किस तरह से अधिक से अधिक सुविधायें दें । इर्रीगेशन की सुविधायें बढ़ावें और नये डिवीजन खोलें, कैनाल्स बनावें । मंत्री जी इन योजनाओं को परिश्रम से पूरी करायें । मैं जानता हूं कि प्रदेश की चारों बड़ी-बड़ी परियोजनायें जब पूरी हो जावेंगी, रामगंगा की है, शारदा की है, टेहरी की है और दूसरे प्रोजेक्टस हैं, जब पूरे हो जावेंगे तो सिंचाई की कठिनाइयां दूर हो जायेंगी लेकिन इन पर जो कर्मचारी लगे हैं उन पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है । इन शब्दों के साथ मैं इस समय अपनी बात समाप्त करता हूं और जब उत्तर देने की बात आयेगी तब कुछ और कहूंगा ।

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी (जिला अलीगढ़)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । क्रांति काम है बुनियादी तब्दीलियों का । यह अलग बात है कि वह अहिंसा के जरिये हो या हिन्सा के जरिये, सिंचाई मंत्री जी बुनियादी तब्दीलियों के बारे में ध्यान रक्खें और जिन बातों के द्वारा श्रीमती गांधी ने कांग्रेस को नई जिन्दगी दी है जिनसे क्रांति आवेगी, उन पर अमल कराया जावेगा । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके कटौती के संबंध में मैं भाषण सुन रहा था, जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं, मुझे अफसोस है विरोधी दल की ओर से भी कोई बुनियादी परिवर्तन की बात नहीं आई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने उनको स्टडी कर लिया है ?

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी—

मैं अपनी स्टडी के आधार पर अपोजीशन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केवल भ्रष्टाचार की बात कह देने से तब्दीली नहीं आयेगी ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाय दो बुनियादी बात हो जायेगी ।

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी—

इसके संबंध में भी मैं अर्ज करूंगा । माननीय मंत्री जी आपको किसी "ईजम" की तरफ देखने की जरूरत नहीं है । आप स्वतः ही कांग्रेस की परम्पराओं और कांग्रेस के प्रस्तावों को उठा कर देख लें और उन पर अमल कर लें तो बुनियादी तब्दीली आ जायेगी । जैसे नमक आन्दोलन चला कि नमक पर से दो पैसे का टैक्स हटे । इससे गरीब लोगों और उनके चूल्हे की ओर ध्यान गया । इसी तरह सवा छः एकड़ की लगान माफी का प्रस्ताव करांची में पास हुआ । कैसे और क्यों कार्यान्वित हुआ, उसमें नहीं जाना चाहता । ये दोनों प्रस्ताव बुनियादी परिवर्तन की ओर इंगित करते हैं । आपके विभाग में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है । मैं आपको वे नारे याद दिलाना चाहता हूं और प्रस्ताव पढ़वाना चाहता हूं जो कांग्रेस के जमाने के हमने पढ़े और देखे हैं । मैं तो उस समय कम उम्र का लेकिन हमारे और बहुत साथी हैं जिन्होंने यह सब किया । उस समय का नारा था "गंगा हमारी, जमुना हमारी," इनसे जो नहरें निकलीं उस पर कोई आबपाशी नहीं लगनी चाहिये।

[श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी]

सवा छः एकड़ की लगान माफी के बाद आप आबपाशी माफ करते हैं तो यकीनन एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा । इससे किसान के अन्दर उत्सुकता जागेगी और उत्तर प्रदेश के अन्दर एक अपनी हैसियत और एक अपना मकाम पैदा होगा । मैं यह नहीं मानता कि अगर आबपाशी माफ कर दी तो काम कैसे चलेगा । सवाया लगान वसूली वाली गुप्ता सरकार जा सकती है और सवा छः एकड़ माफ करने वाली त्रिपाठी जी की सरकार चल सकती है तो आबपाशी माफ करने के बाद आपकी सरकार यकीनन अच्छी चलेगी । इससे किसान के अन्दर विश्वास पैदा होगा और हम उस नारे को साकार रूप में देखेंगे जो नारा राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में लगाया गया था । इससे यह भी होगा कि आप किसान को उस नौकरशाही से छुटकारा दिलायेंगे जो सन् ४७ से आज भी चली आ रही है । आज यह है कि राजबाहा कोई काटता है और जुर्माना किसी दूसरे को देना पड़ता है, किसी को पानी कम मिलता है तो किसी को ज्यादा। इसलिये भी आपको आबपाशी की माफी की घोषणा कर देनी चाहिये क्योंकि जमुना और गंगा से जो नहरें निकली हैं उनकी लागत और खर्चा आपने वसूल कर लिया है। उसी आधार पर नलकूपों की भी लागत और खर्चे को निकाल कर पंचायतों को दे दें ।

माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि आपके नलकूपों के ज्यादातर चालक घरों पर रहते हैं, ट्यूबवैल पर नहीं रहते । वे तो स्वतः ही गांव वालों को कुंजी दे जाते हैं । इसलिये इन नलकूपों को उनका खर्चा और लागत निकाल कर आपही मुस्तकिल तौर पर गांव वालों को दे दें । इससे उनमें आत्म-सम्मान पैदा होगा और वे उनकी देखभाल सही ढंग से कर सकेंगे । जब मेरे दिमाग में राष्ट्रीय आन्दोलन की बात आती है तो सन् ४५ की बात भी ध्यान में रखता हूं। जब अंग्रेजों ने ट्यूबवैल बनाने की योजना लागू की तो उसी समय एक योजना थी कि जितनी नलकूप की सड़कें हैं उन सब को पक्की कर दिया जायेगा और वे यातायात के लिये खोल दी जायेंगी । लेकिन अफसोस है कि ट्यूववैल आपरेटर के हाथ में आपने कमान दे रखी है और वह गाड़ी वालों का चालान कर देता है । अगर आप उन सड़कों को पी० डब्लू० डी० मंत्री जी से पक्की करवा दें और यातायात के लिये खोल दें तो भी एक बुनियादी परिवर्तन का रास्ता पड़ेगा। हम अंग्रेजी में ज्वाइंट रेस्पांसीबिलिटी शब्द सुनते आये हैं । अगर सामूहिक जिम्मेदारी है तो मैं बिजली मंत्री से आपके द्वारा निवेदन कराना चाहूंगा कि बिजली देने की जो प्रथा है उसमें पंजाब की प्रणाली अपना लें और भीतर की व्यवस्था खत्म कर दें जिससे अधिक सिंचाई की व्यवस्था हो सके ।

उत्तर प्रदेश के अन्दर ७ पैसे यूनिट बनने वाली बिजली बिड़ला को २ पैसे यूनिट मिल सकती है तो मेरे गंगेरी क्षेत्र के किसानों को भी क्यों न कम पैसे पर बिजली मिले और उसके लिये आपको बिजली मंत्री से मिलना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि वे कोई न कोई स्कीम निकालें । अगर नलकूपों को ठीक-ठीक बिजली आप दिला सकें तो निश्चय ही वे पानी अधिक दे सकेंगे और आप सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सकेंगे । आपके आंकड़ों के ही अनुसार ८०० लाख एकड भूमि ऐसी है जिसको पानी की जरूरत है । आप ६०० लाख एकड़ को पानी देना चाहते हैं । मान्यवर, योजनाकाल शुरू होने के पहले ७४.९९ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी । १७ वर्ष की योजना पूरी होने के बाद १४२ लाख एकड़ में सिंचाई हो पायी है । यानी यह तादाद दुगुनी हो पायी है । अभी ८०० लाख एकड़ में सिंचाई का प्रबन्ध करना शेष है । अगर आपकी वही गति रही तो इस हिसाब से ५० वर्षों में आप पूरे प्रदेश को पानी दे पायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश ही आपके सारे हिन्दुस्तान क्या एशिया को गेहूं दे सके, पी०एल०४८० गेहूं की अमरीकी राजनीति की आपको आवश्यकता ही न पड़े, तो

आपको सिंचाई का ऐसा प्रबन्ध करना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश को पानी मिल सके । अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आप श्रीमती इंद्रा गांधी के हाथ मजबूत करेंगे । मगर वह तभी जब एक-एक इंच भूमि को आप पानी दे सकेंगे । तभी 'एशिया' का खाद्य भंडार देश को बना सकेंगे ।

भ्रष्टाचार की बात जो आप कहते हैं, मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों को कम किया जाय और उनकी जो मध्यम गति तथा अर्ध मन से कार्य करने की नीति है उस पर कड़ी नजर रखी जाय तो भ्रष्टाचार समाप्त हो। मेरे जिले के हरदुआगंज का जहां तक मामला है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी क्षमता उसी अनुपात में बढ़ी है जिस अनुपात में आपने पानी दिया है। या वहां एटामिक पावर स्टेशन (Atomic Power Station) बनेगा ? (लाल बत्ती होने पर) मैं अभी समाप्त करता हूं ।

एक निवेदन और बाढ़ के संबंध में करना चाहता हूं । बाढ़ हमारे यहां हर साल आया करती है। आज प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका बाढ़ ग्रस्त है । अमेरिका की 'मिसीसीपी' नदी और चीन की "यालू" नदी योजना का यदि हमारे यहां के आफिसर्स को अध्ययन करायें और फिर उसी प्रकार की योजना हमारे यहां की गंगा और जमुना जैसी नदियों के लिये बनायें तो मुझे यकीन है उससे बड़ा लाभ होगा और ऐसी योजना कार्यान्वित करने वालों का नाम इतिहास में अमर होगा । आप फिर अपने उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बिहार और बंगाल को भी बाढ़ से बचा पायेंगे । बाढ़ साल भर बाद आती है। यदि हमारी सारी ताकत समय आने पर ही लगेगी तो कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपको अपनी ताकत लगानी है तो उसके लिये पहले से कोई लम्बी योजना अथवा प्रोग्राम पर अमल करें । आखिर में आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां चांदपुर मिरजा के पास से एक माइनर निकलती है, जिसके लिये हमें महीनों लिखते हुए हो गया है, ग्राम गोपी के पास वाली माईनर जो कुलाबे लगाये जाते हैं, वे परमानेंट नहीं किये गये हैं । मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर साल वहां तावान पड़ता है मगर इसे ठीक करने के लिये (Permanent) विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया है । मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर ध्यान करते हुए माननीय मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि जो बुनियादी परिवर्तन की तरफ ध्यान दिलाया है, उन्हें शीघ्र से शीघ्र कार्य रूप में परिणत करने का कष्ट करेंगे । अतः इस आशय के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सिंचाई अनुदानों पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये हमें समय दिया है । मान्यवर, हिन्दुस्तान खेतिहर प्रदेश है और यहां की 80-85 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है । खेती के लिये खाद, बीज और पानी की बड़ी आवश्यकता पड़ती है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 430 लाख एकड़ भूमि पर खेती होती है और उसमें से केवल 30 प्रतिशत खेतों की सिंचाई हो पाती है । पूर्व वक्ता श्री अनीसुर्रहमान जी ने अपनी पार्टी संबंधी नीतियों के विषय में कुछ चर्चा की है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे समाचार पत्रों से समाचार मिला है, जिसमें लिखा है कि त्रिपाठी जी की सरकार के भ्रष्टाचार का बोलता नमूना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इस विषय वस्तु की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । बरेली कार्यशाला के श्री रमेश चन्द्र आगीश जो वहां के कार्य-

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

प्रबन्धक थे, उनके विषय में अनेक भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें शासन को समय-समय पर मिलती रही हैं और उनके संबंध में 4-7-71 को माननीय उप सिंचाई मंत्री जगन्नाथ चौधरी ने एकाएक निरीक्षण किया था और अपने निरीक्षण में उन्होंने उनको गलत और भ्रष्टाचारी बताया था, जिसके दंडस्वरूप उनको सेवा मुक्त कर दिया गया था। लेकिन यह सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है इसने अपने राज्यादेश विज्ञप्ति संख्या 1041-1-डी/23/आई0ए0/3(3) दिनांक 22-6-71 के द्वारा पुनः सेवा में रख लिया है। इन अधिकारी के खिलाफ अनेक भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। इधर उप मंत्री जाते हैं, उनके पीछे तत्कालीन जो सचिव थे सिंचाई विभाग के वह डिप्टी सेक्रेटरी को लगा देते हैं और मंत्री जी की निरीक्षण रिपोर्ट के खिलाफ दूसरी जांच रिपोर्ट ले आते हैं। यही नहीं, कहां तक कहा जाये, तत्कालीन जो सहायक अभियंता थे, उनके प्रति भी अनेक शिकायतें भ्रष्टाचार की थी, उनके भी विषय में कुछ नहीं किया गया।

मैं विभाग की एक और कमी की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक सरकुलर प्रत्येक जनपद को दिनांक 4 मार्च, 58 को उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रसारित किया गया था जिसके अनुसार बाढ नियत्रंण के लिये जो 1957 में तटबन्ध बने थे, उनके संबध में यह कार्य संबंधित गांव-सभाओं का होगा कि वह उनका निरीक्षण करें इसके बारे में मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि उन गांव-सभाओं पर यदि इसकी जिम्मेदारी आप छोड़ेंगे तो अनुचित होगा, क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है। और जब कभी भी ऐसे स्थानों की बात शासन के सामने आती है तो वह दबा कर के ऊपर में उस सर्कुलर को दिखा दिया जाता है। यह सर्कुलर प्रत्येक जनपद में गया है जो प्रदेश के लिये बहुत घातक सिद्ध हुआ है। एक बार मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन सिंचाई मंत्री वीरेंद्र वर्मा जी से मिला था। उसके संबंध में सिंचाई मंत्री ने मुख्य अभियंता आदि को बुलाया था। इस पर विचार विनिमय भी हुआ था उस समय तय हुआ था कि सर्कुलर को बदला जायगा। लेकिन दुख है कि आज तक ध्यान नहीं दिया गया।

यह बड़े महत्व का विषय है। इससे प्रदेश की एक चौथाई आबादी वाले स्थान जो बाढ़ में आते हैं उनको अगर यह बदल दिया जाता है तो बहुत बड़ा फायदा हो जायगा। मान्यवर, इसी संबंधित हमारे यहां बाढ़ क्षेत्र पड़ते हैं जिनमें न बंधा है न कुछ है। मुझे भली भांति मालूम है कि 1955 के आसपास जब श्री कमलापति त्रिपाठी प्रदेश के सिंचाई मंत्री थे उस समय हमारे क्षेत्र की जनता ने एक-एक दिन का भोजन काट कर के उनके स्वागत के लिये धन इकट्ठा किया गया। राप्ती, गोर्रा बाढ पीड़ित सम्मेलन हुआ। उसमें कई मंत्री गये थे। माननीय त्रिपाठी ने उस समय घोषणा की कि इस दोआवा के लिये सिंचाई विभाग या अन्य विभाग से बंधा बंधवायेंगे। लेकिन खेद है कि इतने वर्षों के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं इसके लिये अपने जिले के उप सिंचाई मंत्री बाबू वीर बहादुर सिंह से बराबर निवेदन करता चला आता हूं लेकिन उनका उत्तर हंसी के रूप में दे दिया जाता है। उनको चाहिये उस क्षेत्र की परेशानी के विषय में सोचें। इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता पड़ी कि आप डिप्टी मिनिस्टर, पी० डब्लू० डी० भी थे। लेकिन तब भी उत्तर न दे कर हंस देते थे। आपकी हंसी का उत्तर उस क्षेत्र के लिये क्या लाभप्रद होगा। आपको चल कर देखना चाहिये।

मान्यवर, मैं निम्नांकित बांध जो उस क्षेत्र में छोटे-छोटे खंडों में टेस्ट वर्कस के द्वारा बनाया गया है, माननीय मंत्री इसको नोट कर लें, उस क्षेत्र के करीब 60 गांवों के हित के

लिये निर्माण करवा दें । माननीय तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने केवल अपने एक रिश्तेदार के गांव मलांवा को बचाने के लिये सिंचाई विभाग से बंधा बनवाया था लेकिन 60 गांवों की समस्या को बिल्कुल आंखों से ओझल कर दिया । जो सरकार इस तरह से अपने विचारों को रखती है वह जनप्रिय सरकार नहीं कही जा सकती है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बरही पाथ पड़ता है । उसका कुछ हिस्सा राप्ती, गोर्रा नदी के किनारे दोआबा में पड़ा हुआ है । राप्ती के किनारे मदना रनहा नाला पड़ता है । उसका (बांध का) बहुत सा हिस्सा भंग हो चुका है । 1970–71 में सिंचाई अभियंता, मुख्य अभियन्ता एग्जिक्यूटिव इंजीनियर उसको देख चुके हैं लेकिन वह कहते हैं कि हम बंधा कैसे बनायें वहां के लोग मारने दौड़ते हैं । यह उनका हीला हावाला है । जनता चाहती है कि वहां बंधा बांधा जाय । इसमें बरही पाथ से गोर्रा नदी के किनारे भगने, कटसिकरा, कैथवलिया होते देवरिया जनपद की सीमा तक जाता है । दूसरे बरही पाथ से आगे खरखूटा डुमरैला, गोपालपुर होते हुए टमठा तक जाता है । इसके ये बड़े अंग हैं । इसी के साथ गोर्रा नदी के बांयें किनारे पर भी बंधे की बड़ी आवश्यकता है । इसके साथ इन नालों के पास रेगुलेटर बना दिये जाय ताकि समय-समय पर पानी बाहर की ओर निकाला जा सके और इससे उस क्षेत्र में सिंचाई की भी सुविधा हो सके ।

मान्यवर, मैं बार-बार पत्र भेजता रहा और इन बंधों के विषय में मुझे जो सरकार से सूचना मिली है वह यही कि कार्यवाही की जा रही है और यह सूचना मुझे २४–६–६६, ४–४–७०, ५–१–७०, ६–१–७१, १३–५–७१, १८–५–७१ तथा ३–८–७१ को मिली । शासन के अनेक मंत्रियों की तरफ से सिंचाई मंत्री, मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री की तरफ से । लेकिन इतने समय के अन्दर भी आज तक वहां कुछ हो नहीं पाया । यह वहां के लिये कोढ़-सा बना हुआ है । इसके साथ मुझे यह निवेदन करना है कि मेरे क्षेत्र में ट्यूबवैल्स की बहुत कम संख्या है । रामगढ़ पूर्वी नहर के अन्तर्गत जो कमांड एरिया है उसमें पूरी नहर में पानी नहीं जाता, न बिजली की लाइन वहां है न सरकारी ट्यूबवैल की व्यवस्था है जिससे उस क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग असिंचित रह जाता है । इसके अलावा मेरी जनपद तथा देवरिया में अनेक ठेकेदारों का रुपया बगैर २० प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को दिये हुए नहीं मिल पाया है । सिंचाई मंत्री के बंगले पर गोरखपुर का ठेकेदार लाल बिहारी अपने पैसे के लिये अनशन भी कर रहा है । इसके साथ एक सूचना और मुझे डाक से प्राप्त हुई कि राम सकल ठेकेदार द्वारा जो काम किया गया उसको उसके लिये पैसा नहीं प्राप्त हुआ । यह ठेका गंडक से सम्बन्धित था । उसने लिखा है कि मुझे फलां वर्क आर्डर के जरिये ठेका दिया गया है लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया । उसके साथ उसका कुछ हिस्सा दूसरे ठेकेदार को दे दिया गया है जब कि उसने काम कुछ नहीं किया है ।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ के लिये ट्यूबवैल आपरेटर्स की परीक्षा मार्च, ७१ में हुई थी लेकिन इस समाजवादी सरकार ने उनका परीक्षा फल घोषित होने से रोक दिया है । इस प्रकार वहां बहुत से ट्यूबवैल बिना आपरेटरों के पड़े हुए हैं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र का जो बंधा है उसे सरकार अपने हाथ में ले ले और उसका निर्माण सिंचाई विभाग से कराये तभी उस क्षेत्र को लाभ होगा । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

माननीय, मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हमारे प्रदेश में ८० प्रतिशत लोग खेती पर अवलम्बित हैं और यह प्रदेश खेती प्रधान प्रदेश है। इसलिये यहां सिंचाई की अधिक सुविधा होनी चाहिये और उसकी क्षमता इतनी बढ़नी चाहिये जिससे सिंचाई के साधन सदैव उपलब्ध हो सकें।

हमारे प्रदेश में ५२३ लाख एकड़ भूमि है जिसमें से कृषि योग्य भूमि ४३० लाख एकड़ है। इस ५२३ लाख एकड़ भूमि में १२० लाख भूमि ऐसी है जहां पर दो बार फसलें पैदा की जा सकती है। हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम अधिक अन्न उत्पादन करें और इस अधिक अन्न उत्पादन के लिये हमें अधिक से अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध करनी चाहिये। यदि हम बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार सधन कृषि का कार्यक्रम अपनायें तो परिणाम यह होगा कि ६०० लाख एकड़ भूमि को हमें व्यवस्था करनी होगी लेकिन जो व्यवस्था अब तक हम कर पायें है उसके क्षेत्रफल को देखते हुए वह एक प्रकार से नगण्य है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अनुसार जितनी भूमि पर सिंचाई होगी अब तक उसके आंकड़ों को देखा जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सन् ७३–७४ तक केवल १७० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की हम व्यवस्था कर सकेंगे। जो कि सारे क्षेत्रफल का ३४ प्रतिशत होगा। इस प्रकार हमारे यहां ६६ प्रतिशत भूमि अभी भी ऐसी है जिसके लिये हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी है और इसके लिये हमें साधन उपलब्ध कराने हैं।

जो हमारे सिंचाई के साधन हैं उसमें स्टेट ट्यूबवैल, लिफ्ट इरीगेशन, पंपिग सेट, प्राइवेट ट्यूबवैल, केनाल और नहरें वगैरह आती है। राजकीय नलकूप जिनसे सिंचाई होती है उनको हम सारे प्रदेश के भू-भागों में बांट नहीं सकते हैं क्यों कि उनकी एक सीमित संख्या होती है जिससे प्रदेश के बहुत कम भू-भाग लाभान्वित हो पाते हैं। इसमें व्यय भी अधिक होता है और भूमि को सिंचित करने की दिशा में जो प्रगति इन ट्यूबवैलों की है यदि वही आगे भी रही तो इस क्षेत्र में आगे उन्नति नहीं हो सकती है। इसके लिये ऐसी योजना की आवश्यकता होगी जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सके। जहां एक ट्यूबवैलों में जो लागत होती है यदि वहां उसके बदले में १० पंपिग सेटों का निर्माण कर सकते हैं। इससे जो बड़े कृषक हैं वे तो अपने यहां निजी ट्यूबवैल द्वारा पंपिग सेटों की व्यवस्था कर लेते हैं किन्तु प्रदेश में ऐसे भी किसान हैं जिनके पास २ या ३ एकड़ ही भूमि होती है। अतः इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि यदि आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक भूमि में सिंचाई हो तो पंपिग सेटों की व्यवस्था भी उसी प्रकार की जाय जिस प्रकार कि नलकूपों के लिये आप व्यवस्था करते हैं। जिस प्रकार आप नलकूपों द्वारा सिंचाई करने पर कर लेते हैं उसी प्रकार नलकूपों के स्थान पर १० ग्रामों में पंपिग सेटों की व्यवस्था कर दें तो जो सिंचाई उससे हो उससे भी सिंचाई कर हम वसूल करें। इस प्रकार हम अधिक से अधिक भूमि की सिंचाई कर सकते हैं।

एक ट्यूबवेल का कमान्ड एरिया २ सौ एकड़ का होगा और उसके बाद भी आपको सिंचाई के लिये कई व्यवस्थायें करनी होंगी और सिंचाई शुरू होते होते लगभग ६–८ महीने लग जाते हैं क्योंकि उसके बाद सफाई करने वाली मशीन की व्यवस्था करनी होती है, पंपिग हाऊस बनाने की जरूरत पड़ती है, नालियां आदि खोदनी पड़ती है और तब सिंचाई का कार्य शरू होता है। तो इस दिशा में हमारा सुझाव है कि आज हमारे प्रदेश में १, १२, ६२४ ग्राम हैं और ५२३लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने की व्यवस्था है। लिफ्ट इरीगेशन की आप वहां व्यवस्था करते हैं जहां कि नदियां सूखने वाली होती हैं, जहां आप नलकूप नहीं दें सकते हैं और वह सोचते हैं कि २ सौ एकड़ का कमान्ड एरिया नहीं है वहां आपको पंपिग सेटों का निर्माण करा सकते हैं। हमारे

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में आप जानते हैं कि जहां हरिजन वस्तियां है, उनके पास केवल एक-एक डेढ़-डेढ़ और दो-दो एकड़ जमीन होती है वहां पर आपको पंपिग सेटों की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार आप सभी कृषकों को छोटे-बड़े किसानों की सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकेंगे और हर खेत सिंचित हो जायेगा। तो हमारा सुझाव है कि इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाय जिसमें व्यय भी कम होगा और काम भी पूरा हो जायेगा।

इसके साथ ही साथ जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं जहां कि लिफ्ट इर्रीगेशन की आप प्रणाली अपनाते हैं जिससे कि केवल ५० क्यूजेक पानी की ही व्यवस्था हो पाती है किन्तु इस पंपिग सेट की योजना के अपनाने से १०० क्यूजेक से लेकर ५०० क्यूजेक तक पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि वहां बड़ी नदियां हैं और उनसे सिंचाई कम नहीं होगी। इन विशेषणों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जनपद की ओर आकर्षित करता हूं। आपके प्रदेश में कुल ५ जिले ऐसे घोषित किये गये जो यह माना गया कि ये भयंकर सूखा से सदा पीड़ित रहते हैं और यहां पर सूखा का सदैव प्रकोप रहता है। इनमें, इलाहाबाद, बाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और जौनपुर हैं जो ये पांच जिले हैं इनका सर्वेक्षण किया गया। कभी तो यहां भयंकर सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ का प्रकोप हो जाता है लेकिन अधिकांश यहां पर सूखा का प्रकोप रहता है और इसी के कारण यहां पर सिंचाई के लिये भी नलकूपों की व्यवस्था की गयी थी, जिसे स्वायत्त शासन ने किया था। जहां पर कि पानी पीने की व्यवस्था की गयी थी और वे पीने के पानी वाले ट्यूबवेल भी सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दिये जाते तो दोनों मंतव्य पूरे हो जाते।

इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि पहले तो पूर्वी जनपद जोकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है, पहले यह भान्ति थी कि जो नलकूप लगाये जायं, तो वह वहां प्राफिटेबिल नहीं होंगे, घाटे में चलेंगे। लेकिन जब नलकूपों की व्यवस्था की गयी तो ६–६, ७–७ हजार घंटे चले और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि यहां के लोग उनके पानी का उपयोग करेंगे। मैं आपको बतला दूं कि जो आंकड़े संकलित किये गये तो उसमें गाजीपुर का दूसरा स्थान है जहां ४ नलकूपों के पानी का प्रयोग होता है और यहां पर नलकूप ६ हजार, ७ हजार घंटे तक चले हैं। इसपर भी नलकूप की क्षमता नहीं रहती है कि वह पानी दे सके। गाजीपुर जनपद में कुछ भाग ऐसे हैं जिनको ड्राई बेल्ट कहते हैं। केन्द्रीय सरकार ने उसका सर्वेक्षण कराया। प्रदेशीय सरकार ने भी कराया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहां पर पानी का स्ट्रैटा दूर है। ड्राई बैल्ट में देवकली ब्लाक का उत्तरी भाग, सादात, जखनियां, नरदह और कासिगाबाद—ऐसे हिस्से हैं जहां पर कि बड़ी पानी की आवश्यकता होती है। यह दुर्भाग्य है कि सर्वेक्षण होने के बाद जब इन भागों के लिए नलकूप प्रस्तावित होते हैं तो यहां स्ट्रैटा दूर होते हुए भी कभी बड़ी मशीन की व्यवस्था समय पर नहीं हो पायी। जो १९६९ और १९७० में ट्यूबवेल अलाट किये गये, आज तक बे बोर नहीं हो पाये इसलिये कि बड़ी मशीन नहीं पहुंच पायी जिसके लिए समय दिया गया था कि जून तक पहुंच जायगी लेकिन अगस्त तक भी नहीं पहुंची। इसलिये जो भी ट्यूबवेल एलाट होंगे वह अगले साल में शामिल कर दिये जायेंगे इसलिये कभी वह कार्य पूरा नहीं होता।

दूसरी बात जो जनपद के संबंध में बतलानी है वह यह है कि जब हमारे यहां जो ट्यूबवेल अलाट किये जायं, यहां कहीं भी किये जायं तो बड़ी मशीन की व्यवस्था की जाय और गाजीपुर जनपद में ऐसे हिस्से हैं जहां पानी का स्ट्रैटा 11–12 फिट के बाद मिलता है। तो बड़ी बोरिंग मशीन का प्रबन्ध होना चाहिए। वरना परिणाम यह होता है कि नलकूप प्रस्तावित हैं पर बोर नहीं होते। उसके साथ में कम्प्रेशर मशीन नहीं जा पाती उसका नतीजा यह होता है कि 6–6 और 8–8 महीने बोर होने के बाद भी उनसे कोई लाभ नहीं होता।

[श्री राजनाथ सिंह]

हमारे यहां दो डिस्ट्रिब्यूटरी की व्यवस्था थी कि जब नानक सागर में पानी काफी होगा तो शारदा कैनाल से हमें व्यवस्था करके इनमें पानी देंगे । वे डिस्ट्रिब्यूटरी थीं लालगंज और खेखमा । इनकी खुदाई हुई जिसपर लाखों रुपया गवर्नमेंट का व्यय हुआ, किसानों की भी हजारों बीघा जमीन गयी लेकिन पानी आजतक नहीं आया और अन्त में विवश होकर यह किया कि इन दोनों डिस्ट्रिब्यूटरीज निरस्त किया जाता है, अब नामक सागर से हम कभी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे पानी की । नहरें तो निरस्त हो गयीं और किसानों की हजारों एकड़ जमीन व्यर्थ गयी तथा उनकी सारी आशाओं पर तुषारापात हो गया कि हम अपने खेतों को सींच सकेंगे । तो ऐसी अवस्था में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन स्थानों में नहरों की खुदाई हुई थी, यदि आप पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, वे नहरें निरस्त कर दी गयीं तो उन डिस्ट्रिब्यूटरीज के बदले आप ट्यूबवैल का स्टेशन कोटा एलाट करें और दोनों नहरी क्षेत्रों में 1 0–1 0 नलकूपों की व्यवस्था अवश्य करें ताकि किसानों को राहत मिल सकें और वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि जमीन गयी सो गयी, कम से कम उसके लिये पानी की व्यवस्था हो गयी ।

इसके साथ मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहां सैदपुर एक बड़ा कस्बा है जो गंगा के तट पर अवस्थित है ।वहां गंगा के तट पर हरिजनों व मल्लाहों की दो बड़ी बस्ती है लेकिन गंगा का किनारा धीरे-धीरे कटता जा रहा है । आशा की जाती है कि थोड़े दिनों में वे दोनों बस्तियां गंगा के उदर में समा जायेंगी । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वहां के घाटों को पक्का किया जावे या बोल्डर वगैरह गाड़ कर मजबूत किया जावे ताकि वे बस्तियां गंगा के उदर में न समा जावें ।

जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है, हमारे क्षेत्र में बाढ़ तो आया ही करती है । वहां गंगा के किनारे के गांवों में बाढ़ जाती है जिसके लिये सरकार की जोर से व्यवस्था होती है, रुकावट की जाती है और जो भी सम्भव हो सकता है उसके लिये सरकार प्रयत्नशील है । मैं इस अक्सर पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी बतलाया—अब तक सरकार की ओर से सिंचाई के लिये जो व्यवस्था रही है उसके अनुसार हम अपने जिले में केवल 17 प्रतिशत भूमि को ही सिंचित कर सके हैं । इस प्रकार की 83 प्रतिशत भूमि में सिंचन की व्यवस्था करनी है । यदि इस गति से जैसे प्रति वर्ष कभी 1 0, कभी 1 5, कभी 8 नलकूपों की व्यवस्था कर दी, तो आप यह समझ जायं कि आपने जो यह योजना बना डाली है कि सन् 81 तक इस स्थिति में पहुंच जावेंगे हमारे प्रदेश का अधिक भू-भाग असिंचित रह जाय तो हमारी यह योजना पूरी नहीं होगी ।

दूसरी बात यह कि हमारे यहां गंगा की जो विशाल धारा है, गंगा में जो अथाह पानी है, उसके लिये हमारी सरकार ने यह योजना बनायी थी कि देवकली पंपिंग कैनाल बनायी जाय जिसकी क्षमता 500 क्युसेक्स की हो तो इससे हमारे जिले के एक बड़े भूभाग में सिंचाई की जा सकेगी और एक बड़ा भाग जो ऊसर के रूप में पड़ी हुई है उपजाऊ व उर्वरा भूमि बन जायेगी । इसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण भी हुआ था और स्थान स्थान पर इंजीनियर व एक्सपर्टस भी गये थे जिन्होंने देखा है लेकिन इस बजट में यह योजना प्रस्तुत नहीं की गयी है और न उस पर चर्चा के लिये इसमें कोई प्राविधान ही किया गया है । अगर माननीय मंत्री जी प्रदेश के किसानों की तरक्की चाहते हैं तो देवकली पम्पिंग नहर का निर्माण अवश्य करावें । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसके लिये वे अपना एक प्लान बनावें और इसकी ओर विशेष ध्यान दें जिससे इसका निर्माण करा सकें । मैं समझता हूं कि उस जनपद का बड़ा भूभाग है जिसमें सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । यदि वहां सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो हमारे उस जनपद की पैदावार भी बढ़ जायेगी और उनका काफी विकास भी हो जायेगा जो इस वक्त तक पिछड़ा हुआ है ।

*श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सिंचाई अनुदान के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस बार मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं। पिछली बार भी जब मैं सिंचाई सम्बन्धी अनुदान पर कटौती प्रस्ताव पर बोला था तो मुझे आश्वासन मिला था। लेकिन जिन बातों की तरफ मैंने सरकार का ध्यान दिलाया था, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो समझता हूं कि मंत्री जी चाहते हैं कि किसी तरह से बजट पास हो जाय तो हमारे सर की बला टल जाय। फिर वे घूमते रहें और जिले के अधिकारी उनकी खुशामद करते रहें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जिन बातों की तरफ विरोधी दल के सदस्य या इधर या उधर के माननीय सदस्य अपनी कोई बात कहें तो उन पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय और उस सम्बन्ध में हम लोगों को सूचित भी किया जाय। क्योंकि संसद में ऐसा परम्परा है कि बजट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो कुछ भी कहते हैं उसके बारे में मंत्रिगण उनको लिखित सूचना दिया करते हैं। मान्यवर, जैसा कि सभी लोगों ने बताया और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा विशाल है और यह कृषि प्रधान प्रदेश है और निश्चित है कि जहां 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर हो वहां सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाय और मैं कहना चाहता हूं कि इस मद में सरकार को अधिक धनराशि दी जाय। लेकिन कटौती का प्रस्ताव इसलिये रखना पड़ता है कि सिंचाई के साधन जो बनाये जाते हैं, योजनायें बनाई जाती है उनका रुपया अधिकारियों के भत्ते में या ठेकेदारों की जेब में जाता है। मैं आगे नहीं कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने ही कह दिया कि हमारे विभाग का भ्रष्टाचार शिष्टाचार के नाम से परिवर्तित हो गया है। मैं नहीं समझता कि जब ओवरसियर से मिलना हो, असिस्टेन्ट इंजीनियर से मिलना हो, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलना, हो एस० ई० से मिलना हो या चीफ इंजीनियर से मिलना हो क्या शिष्टाचार होता है मैं माननीय मंत्री जी से पूछ लूंगा और लोगों को जानकारी करा लूंगा कि अगर नहर विभाग में कोई कराना हो तो इस तरह से कराया जाय।

मान्यवर, जैसा लोगों ने कहा हैं 430 लाख एकड़ में बोया जाता है और दो फसली खेती 120 लाख एकड़ में हैं। हमारा किसान चाहता था कि कृषि का विकास करे। लेकिन सरकार की आदत रही है कि जब किसान को पानी देना होता है तो बिजली गायब रहती है। आपके सामने भी रही है। जब मंत्री जी बोल रहे थे तो बिजली गायब हो गई थी और आपको आधा घंटा बैठना पड़ा। मैं जानता हूं कि किसान को जाड़े की रात में खेत में घूम कर पानी देना पड़ता है।

मैं कह रहा था कि किसान कृषि में प्रगति नहीं कर पा रहा है। उनके सामने ट्यूबवेल की समस्या है। मैं अपनी कांस्टीटएन्सी का उदाहरण दूं। देश को आजाद हुए 23 वर्ष हो गये और हमारे यहां केवल 7 ट्यूबवेल्स लगे है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से मंत्री जी का विभाग प्रगति कर रहा है। मुख्य मंत्री जी नहीं है वे जौनपुर के प्रतिनिधि रह चुके हैं। जब वह मुख्य मंत्री हो गये तो हमारे यहां के सब लोगों को बड़ी भारी खुशी हुई और और सोचा कि वह जौनपुर को भी चंबोली की तरह से हरा भरा कर देंगे। चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी के दुख के साथ कहना पड़ता है कि विधान सभा में चर्चा हो रही है कि वह गवर्नर हो कर जा रहे हैं। आप लोग उनको न भेजें। इसके लिये आपको बधाई है। आज इंदिरा जी कम्युनिस्टों के साथ चल रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमानाथ सिंह]

हैं, रूसी कदम के साथ चल रही हैं, आप उनके कम्युनिस्ट कदम को रोकिये। इसके लिये मैं आपको बधाई दूंगा जब उनके कदम रोकेंगे।

एक लिफ्ट कैनाल स्कीम है जो बलिया और बनारस वगैरा में चलाई जा रही है। एक लाख रुपये में एक एकड़ खेत की सिंचाई हो रही है। हमारा सारा पैसा लगाया जा रहा है, वह सिर्फ जैसा कि मैंने बताया परचेज में मान्यवर, मशीनें खरीद की जाती हैं और उनके साथ लाखों रुपये के कार्पेट्स खरीद लिये जाते हैं। एक डिवीजन में एक जीप और दो ट्रक है और लाखों रुपया के पार्ट खरीद कर लिये गये हैं। आखिर जनता के रुपये का यह दुरुपयोग क्यों होता है। मैं इस बात को नहीं समझ सकता कि सिंचाई विभाग में घाटा भी हो सकता है। किसानों ने जो अपने पंपिंग सेट्स लगाये हैं और जो उसको किराये से चलाते हैं उन्होंने काफी पैसा इसमें कमाया है।

गाजीपुर जिले में एक डिलीवरी होल 2 लाख रुपये में खरीदा गया लेकिन अब वह 100 रुपया में बेचा जा रहा है। इसके बारे में मंत्री जी देखें।

भुतौनी स्कीम का सुपरवाइजर बड़ा भ्रष्टाचारी है। यह आपकी जो वर्क आर्डर की प्रथा है वह बहुत ही खराब है। इस सुपरवाइजर ने इस मस्टर रोल में लाखों रुपया बनाया है। क्या मंत्री जी इस बारे में जांच करा कर सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे।

छितौनी बांध का आडिट हुआ और उसमें चोरी भी पकड़ी गयी लेकिन फिर भी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बोल्डर जो नदी में डाले जाते हैं वे इसी प्रकार से फेंक दिये जाते हैं। जितने फुट बोल्डर फेंके दिखाये जाते हैं उसके आधे ही नदी में डाले जाते हैं और सारा रुपया ओवरसियर और इंजीनियरों की जेबों में चला जाता है। छितौनी बांध और गंडक योजना में जो भी इंजीनियर और ओवरसियर रह गये हैं उनकी जांच करा ली जाय। उनमें से हर एक के पास लाखों रुपये का बैलेंस निकलेगा। माननीय मंत्रीजी के ही जिले में एक ऐसे सज्जन है जो लिफ्ट कैनाल में काम करते थे, कोई बाजपेयी थे। सिंचाई विभाग के बड़े भ्रष्टाचारी कर्मचारी थे। आज वे लाखों रुपये के वर्क चला रहे हैं। जो भी अधिकारी इस विभाग से निकाला जाता है वह ठेकेदारी कर लेता है और उसके साथी अधिकारी उसको प्रश्रय देते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं है। जौनपुर वासियों की ओर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। वे अवश्य ही जौनपुर का ध्यान रखेंगे। राम लखन जी भी सक्षम हैं वे बनारस की तरह से ही जौनपुर का ध्यान रखेंगे। भडेरी लिफ्ट कैनाल के बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को लिखकर दिया और माननीय मंत्री जी ने उस पर आर्डर भी किया लेकिन नीचे के अधिकारियों ने न जाने कहां उस कागज को फेंक दिया कि पता ही नहीं चला। मंत्री जी इसका भी कुछ उपाय करें। मैसा पम्प कैनाल को 30 क्यूसेक से 80 क्यूसेक्स करने के लिये सरकार को लिखा था। लेकिन पता नहीं वह फाइल कहां पड़ी हुई है?

इसके अलावा भ्रष्टाचार के साथ ही साथ इंजीनियरों के हितों की रक्षा भी की जानी चाहिये सिंचाई विभाग ने 1366 सहायक अभियन्ता है जो वर्षों से अस्थायी कार्य कर रहे हैं। आपकी भर्ती की नीति बड़ी जटिल बनी हुई है। माननीय मंत्रीजी से उनका एक प्रतिनिधि मंडल कालागढ़ में मिला था। माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया था। आज ऐसी स्थिति है कि जो कल का जूनियर आफिसर है वह अपने अफसर से भी सीनियर बन कर कन्फर्म हो जाता है। तो जो 10–10, 15–15 साल से आदमी सेवारत हैं उनके कार्य को देखते हुये उनको स्थायी किया जाय।

श्री राम लखन—

हो रहा है ।

श्री उमानाथ सिंह—

हो रहा है तो आपको बधाई। जो भी पद खाली होते हैं वे विभागीय सहायक अभियंताओं से भरे जायं। जो अस्थायी अधिकारी तीन साल से निरन्तर कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाय। रिक्त स्थायी पद वही माने जायं जो सेवा निवृत्ति से खाली होते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई विभाग में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा वह हमारी बातों पर ध्यान रख कर कार्यवाही करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आज नियम 56 के अन्तर्गत.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैं अभी तक किसी ग्रांट पर नहीं बोला हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय देंगे लेकिन जो समय है उसी के अन्दर तो देंगे ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं भी नहीं बोला हूं । हमको भी समय दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कल देखा जायगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

एक निवेदन है कि जो आज हमारी पार्टी की तरफ से बोलने वालों की लिस्ट आपके पास गयी है उसमें मेरा भी तीसरे नम्बर पर नाम है । मेरे क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है। इसलिये आप कृपा करके समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो कल फिर नाम दीजिये । आज आपका नाम था लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

तो कल समय दे दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल के लिये फिर आप अपना नाम लिखा लीजियेगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

कल के लिये नम्बर 1 पर नाम लिख लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो आपके सचेतक जो नाम देते हैं उसमें लिखवा दीजियेगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

वह तो आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। हम सचेतक से कहां लिखवा पायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आज भी तो आपका नाम दिया गया था।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 56 के अन्तर्गत केवल दो सूचनायें प्राप्त हुई। एक माननीय शम्भूनाथ चौधरी, माननीय त्रिलोक चन्द, माननीय सच्चिानन्द गुप्त, माननीय तिरमल सिंह और माननीय राम किंकर जी की है लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में। यह अविलम्बनीय नहीं समझा गया। प्रश्नों के द्वारा आप इसे कर सकते हैं। इसलिये यह अस्वीकृत हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

इसी विषय पर 10-15 दिन पहले मैंने एक प्रश्न किया था। उसको आप ऐडमिट कर लें तो सारा मामला हल हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, देख लेंगे। उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

इसी पर एक प्रश्न हफ्तों पहले दिया था लेकिन आज तक वह नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष---

वह यहां तो नहीं बता सकते। आज जो सूचनायें हैं उन्हीं के बारे में जो निर्णय हैं वह मैं बता रहा हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है और अस्वीकृत भी हो जाते हैं तब भी कुछ सूचना नहीं मिलती है। इसकी क्या वजह है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपके नाम से कोई भी प्रश्न आज नहीं अंकित है। किस प्रश्न का आप जिक्र कर रहे हैं ? नियम 56 में आपने कोई सूचना दी या नियम 51 में कोई सूचना दी ?

(श्री बांकेलाल ने कोई उत्तर नहीं दिया।)

तो जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में है इस पर प्रश्न हुआ है, वह स्वीकृत किया गया है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

प्रश्न आने के पहले अच्छे अध्यक्ष की नियुक्ति करवा दीजिये। यह लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद बड़ा महत्वपूर्ण है इसको दलबन्दी का शिकार नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

जब यह प्रश्न आये तब आप कहियेगा। मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता हूं कि वह इसको नियुक्त करे और इसको न करे।

दूसरा नियम 56 के अन्तर्गत श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री महातम प्रसाद तिवारी, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री राम किंकर का है। इसमें वह कहते हैं कि प्रदेश के प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षाफल में अनियमितताय हुई हैं। यह प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा। इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लीजिये।

इन्डियन एक्प्लोसिब्स लिमिटेड पनकी, कानपुर में फर्टीलाईजर के श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत श्री चन्द्रभान शर्मा ने आई० ई० एल० पिनकी कानपुर फर्टीलाइजर के श्रमिकों का हड़ताल करना है, के सम्बन्ध में दिया है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। शेष अस्वीकृत किये गये हैं।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

(बहुत से सदस्यों के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आपके महत्वपूर्ण सदस्य बनने की चेष्टा गर्हित है। सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी सूचनायें दी हैं उनको मैं बतला दूं इसके बाद अवसर होगा। हर सदस्य दूसरे सदस्य से बड़ा है यह विचार अलोकतान्त्रित है, अमयादित है, गर्हित है और असामाजिक है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

आपका कथन सत्य है।

श्री उपाध्यक्ष---

धन्यवाद, आपने सत्य तो कहा।

और जितने बाढ़ के सम्बन्ध में आये हैं उनको इस बाढ़ की बहस में सम्मिलित कर दिया जायगा जो एक दिन की यहां पर होगी कल कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक होगी तो उसमें निश्चय किया जायगा कि किस दिन उस पर बहस होगी।

श्री बांकेलाल---

बाढ़ के सम्बन्ध में जो हमने दिया है उसके सम्बन्ध में भी बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष---

वह भी उसमें ही सम्मिलित कर लिया जायगा। उसके लिये समय कल निश्चित होगा।

एक श्री मोतीलाल देहलवी ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति का पदक दिया जाना है। यह प्रश्न बिल्कुल अनिश्चित है और स्वीकार करने के योग्य नहीं है। तो इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

एक नियम 51 के अन्तर्गत श्री रूपनाथ सिंह यादव ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलरिया बान्ध जिला इलाहाबाद में दरार पड़ जाना है और उसका फट जाना है। यह मैंने उचित कार्यवाही के लिये संबंधित मन्त्री जी के पास भेज दिया है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

इसको बने हुये दो वर्ष हुये हैं और 2 वर्ष के अन्दर ही यह टूट गया है। इस पर बहुत रुपया खर्च हुआ था। इसके टूटने से 40, 50 गांव प्रभावित हुये हैं। सरकार की इतनी लापरवाही बढ़ती जाती है कि जिसके कारण यह टूट गया है। सरकार ने अभी तक इसके लिये कोई कदम नहीं उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसको पढ़ने के बाद यह उचित समझा कि इसको उचित कार्यवाही के लिये मन्त्री जी के पास भेज दिया जाय। अब आप चाहते हैं कि इस पर कार्यवाही न हो बल्कि बहस हो। कार्यवाही अच्छी है या बहस उसको उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया है। यह एक श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री महातम तिवारी और श्री बंशीधर पांडेय का कालपी के समीप यमुना नदी पर नव-निर्मित पुल के टूट जाने के विषय में है। इस पर अपसूचित तारांकित प्रश्न किये जा सकत हैं।

एक यह दूसरा श्री महातम तिवारी, श्री बंशीधर पांडेय और श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का ही है किछा से सितारगंज जाने वाली बस में सरदार मेवा सिंह को गोली से मार दिये जाने के सम्बन्ध में है। इस को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। कल एक सूचना वक्तव्य होगा उसी में इस को शामिल कर दिया गया है।

अब यह एक ओर श्री राम कुंवर सिंह, श्री महातम तिवारी, श्री रामलखन सिंह (बस्ती) और श्री सुरेन्द्र विक्रम का थाना धुधली तथा सिरसिया जिला गोरखपुर में श्रीमती राम दुलारे तथा श्रीमती बंसराज को अनियमित रूप से भगये जाने के बारे में है। यह हरिजन स्त्री को भगाये जाने के बारे में है, यह कोई लोकमहत्व का विषय नहीं है, इच्छा से गई है या अनिच्छा से गई है, बालिग है या क्या है, कोई स्त्री स्वेच्छा से जाय, हिन्दू मुसलमान का इस में कोई प्रश्न नहीं है, इसमें लोकमहत्व का प्रश्न नहीं है।

इसके बाद यह एक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा का है जो रामपुर जिले में कोसी नदी से क्षति के विषय में है। इसको भी बाढ़ से सम्बन्धित विषय में सम्मिलित कर दिया जयगा।

इसके बाद यह श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी का पी० एम० टी० का परीक्षा-फल घोषित किये जाने में अनियमितता के विषय में है। इसका वैसे तो शासन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है लेकिन इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

इसके बाद यह श्री राम सागर, श्री उमानाथ सिंह तथा श्री जंग बहादुर यादव का जौनपुर जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से सम्बन्धित है इसको भी बाढ़ के दिन के लिये रख दिया गया है और इसमें सम्मिलित किया गया है।

इसके बाद यह वासुदेव सिंह वैद्य, श्री पारसनाथ सिंह तथा श्री भगवती प्रसाद का बहराइच जिले में सरयू तथा घाघरा नदियों में प्रलयकारी बाढ़ के सम्बन्ध में है, इसको भी बाढ़ में सम्मिलित कर दिया गया है।

एक यह श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित तथा श्री उमा शंकर शुक्ल का कानपुर रेंज के डी०अई०जी० का स्थानान्तरण न किये जाने के कारण उस क्षेत्र में आतंक एवं चोरियो व डकैतियों के विषय में है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

अब यह एक श्री नित्यानन्द स्वामी का है देहरादून जिले में अति वृष्टि तथा बाढ़ से क्षति के है विषय में। इसको भी बाढ़ से वक्तव्य में शामिल कर दिया जायगा।

फिर यह अब श्री रूपनाथ सिंह यादव का है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति में विलम्ब के बारे में है। यह अनिश्चित विषय है इसको अस्वीकार किया गया है।

एक यह श्री मोतीलाल देहलवी का है नारायण वोकेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, लखनऊ की दो छात्राओं को टैक्सी द्वारा भगाने की कोशिश के विषय में है। इसके बारे में प्रश्नों द्वारा समाधान किया जा सकता है।

एक यह श्री इन्द्रमणि बडौनी, महातम तिवारी, रामकुंवर सिंह, रामलखन सिंह (बस्ती), कल्पनाथ सिंह, राम विलास पांडेय और श्री राम प्रसाद का है थाना कैन्ट, जिला बरेली में श्री घनश्याम की हत्या एवं थाना किच्छा, जिला नैनीताल के सरदार सेवा सिंह की हत्या के बारे में। यह दो घटनाओं को इसमें मिला दिया गया है और यह अनिश्चित महत्व का है। इसलिये स्वीकार नहीं किया है।

यह श्री राम लखन सिंह (बस्ती), श्री महातम तिवारी, श्री रामकुंवर सिंह, श्री राम प्रसाद तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम का है बस्ती जिले के विभिन्न अंचलों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षति के संबंध में। इसको बाढ़ के वक्तव्य में सम्मिलित कर दिया गया है।

एक यह श्री चन्द्रभान शर्मा का आई0 ई० एल0, पनकी, कानपुर फर्टिलाइजर के श्रमिकों की हड़ताल के संबंध में है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री हुकुम सिंह परिहार का यह थाना शमशाबाद जिला आगरा में श्री तारन सिंह को गिरफ्तार किये जाने और पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में। यह एक व्यक्ति के बारे में है और लोकमहत्व का नहीं है। इसलिये इसे अस्वीकार किया गया है।

एक यह श्री तिरमल सिंह, श्री बदन सिंह, श्री गंगा सिंह यादव, श्री चिरंजी लाल, श्री सच्चिदानन्द गुप्त तथा श्री त्रिलोक चन्द के नाम से है ग्राम महमूदापुर पुख्ता जिला परिषद् एटा के जूनियर हाई स्कूल को अनपत्र ग्राम सलेमपुर बीबी में स्थापित किया जाने के संबंध में। इसका समाधान प्रश्नों के द्वारा किया जा सकता है।

एक यह श्री सुखपाल पांडेय व श्री रामकरन सिंह का है बस्ती जले की नदियों के बाढ़ के बारे में। इसको भी बाढ़ के वक्तव्य में शामिल कर दिया गया है।

एक यह श्री कृष्णसिंह व श्री गोविन्दसिंह का है ऋषिकेश में मालगाड़ियों एवं सवारी गाड़ियों के चालकों की हड़ताल के विषय में। यह कोई अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। और इसका प्रश्नों द्वारा समाधान किया जा सकता है। माननीय शिवराज सिंह की एक सूचना है जो लक्ष्मीपुर, कलरावला तथा बावेपुर इत्यादि ग्रामों में भेड़िए से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में है। उसे उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि आपने बड़ी कृपा करके नियम 51 में बाढ़ के बारे में सूचना स्वीकार की। इसी तरह से 2 पहले भी स्वीकार हो चुकी हैं। मान्यवर, ऋषिकेश पूरा पानी से भरा गया है, इसी प्रकार से दूहरादून में छबीले लाज के इलाके और अन्य जगहों में पानी भर गया है। आप तो श्रीमन्, स्वीकार कर लेते हैं लेकिन सरकार की ओर से जो बयान होता है उसमें देहरादून का जिक्र नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष---

बाढ़ के बारे में अगर किसी सवाल या क्षेत्र के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो उसको दूसरी बार ले लेते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन जो हमारे मंत्री जी हैं जिस दिन बहस होगी उस दिन यहां के बारे में नहीं कहेंगे। एक दिन जब यहां पर बाढ़ के सम्बन्ध में डिबेट हुयी, मुझे अवसर नहीं दिया गया और मुझे चले जाना पड़ा। देहरादून में कई बस्ती डूब गयी हैं. लोगों के

मकान ध्वस्त हो गये है । वहां पर एक नदी है और वहां पर डिफेन्स के कर्मचारी जो जाते हैं, वे रात भर खड़े रहे । तो मेरी प्रार्थना है कि जो प्वाइन्ट्स हम रेज करते हैं, उनके ऊपर वे अपना उत्तर दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो केवल काल्पनिक है । यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

पिछली बार उत्तर नहीं आया तभी तो मैं यह कह रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शांहजहापुर)---

माननीय राज्य मंत्री, श्री ओम प्रकाश सिंह, का जिस थाने में घर है वहां के दरोगा और डी०एस०पी० आपे से बाहर रहते हैं । वहां पर कत्ल हो गया लेकिन अभी तक कोई मुल्जिम नहीं पकड़ा गया और दूसरे आई० जी० के फार्म के पास एक सरदार को बस से उतार कर गोली मार दी, लेकिन वहां के दरोगा ने भी कोई कार्यवाही नहीं की । मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जितनी सूचनायें नियम 51 और 56 के अन्तर्गत आती हैं उनके बारे में अगर किसी विरोधी दल के सदस्य को कहा जाय कि वह देखें तो कठिनाई पड़ जायेगी कि किस को स्वीकार करें और किस को न करें । इन में 1 या 2 को स्वीकार कर सकते हैं । नियम 51 और 56 में सूचना माननीय सदस्य इस लिए भी सूचना देते हैं कि अल्पसूचित बनने में सहायता मिल सके ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पिछले वर्षों से यह परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य सूचना नियम 56 में देते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर दे दें (व्यवधान) ।

श्री राम प्यारे---

नियम 56 में यदि अवलम्बनीय महत्व का प्रश्न न हो तो लोक महत्व का तो होता ही है और जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं वे संक्षेप में सुना देते हैं और स्थिति से सदन को अवगत करा देते हैं । तो उस बात से सारे सदस्य परिचित हो जाते हैं लेकिन इधर मैं देखता हूं कि आप सूचित नहीं करते हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन से आप सदन को अवगत करा दिया करें ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैंने नियम 51 में एक सूचना दी थी । बस्ती जिले में सदर तहसील हरैया में सैकड़ों मकान बाढ़ से गिर गये हैं । जहां पर कटान हो गयी है, वहां पर तो सहायता दे रही है लेकिन बाढ में मकान गिर गये हैं उनमें नहीं सैकड़ों लेकिन मान्यवर, सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गये हैं । खेती चौपट हो गयी है । सरकार का कोई इन्तजाम नहीं है । गरीबों की सहायता तो सरकार करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

बाढ़ के सम्बन्ध में जो प्रश्न हैं वे सम्बन्धित मन्त्री को निर्दिष्ट कर दिये जाते हैं। आशा यह की जाती है कि सम्बन्धित मन्त्री उन का समुचित उत्तर दे देंगे। यदि समुचित उत्तर नहीं आता है तो उन को दोहरा देंगे। अभी बाढ़ के सवालों को सिफ बहस के लिए प्रवेश करने का प्रश्न है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

थाना चौक (लखनऊ) के श्री इन्द्रपाल सिंह, हेड मुहर्रिर द्वारा श्री नन्हा और उसकी बहन की पिटाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप-मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक 12–8–1971 को कांस्टेबिल इन्द्रपाल सिंह ने थाना चौक पर अपनी पुत्र बधु को मंगला व नन्हा निवासी मोहनीपुर्वा थाना चौक द्वारा बहका फुसला कर भगाये जाने की सूचना दी। इस सूचना पर थाना चौक में एक मुकदमा भा0 द0 वि0 की धारा 363/366 के अन्तर्गत कायम हुआ और उसकी विवेचना हो रही है।

दिनांक 15–8–1971 की रात्रि में मुन्ना पुत्र प्रभू, निवासी मोहनीपुर्वा ने थाना चौक पर रिपोर्ट लिखाई कि कांस्टेबिल इन्द्रपाल सिंह ने उसके भाई नन्हा को 11–8–1971 को ग्राम दुब्बल थाना मण्डियाओं, जहां इन्द्रपाल के लड़के की ससुराल है, भेजा है तथा उसकी बहन मंगला को पकड़ कर दो दिन तक अपने घर में बन्द रक्खा और उसकी पिटाई की। इस सूचना पर दिनांक 14/15–8–1971 की रात्रि को एक मुकदमा धारा 342/323 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कांस्टेबिल इन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध कायम किया गया और उस की विवेचना हो रही है।

नन्हा की डाक्टरी जांच से उस के शरीर पर 12 चोटें पायी गयीं। आंख में भी चोट आना पाया गया। नन्हा का इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है। डाक्टरी जांच से श्रीमती मंगला के शरीर पर 7 चोटें पाई गई जिनमें से कोई भी उसके गुप्तांग में आयी नहीं प्रतीत होती। तफतीश के दौरान में कांस्टेबिल इन्द्रपाल सिंह के भान्जे सूबेदार सिंह को गिरफ्तार कर के दिनांक 17–8–1971 को जेल भेजा गया। नन्हा के कथन के अनुसार इसी सूबेदार सिंह ने उसे मारा था। कांस्टेबिल इन्द्रपाल सिंह को निलम्बित कर के पुलिस लाईन भेज दिया गया है।

मोहनीपुर्वा में पुलिस गश्त हो रही है। वहां पर कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। यह सही नहीं है कि मुकदमे को दबाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त दोनों मुकदमों में तथा दो अन्य मुकदमों में जो श्री डी0पी0 बोरा, विधायक, तथा श्री इन्द्रपाल सिंह, ने एक दूसरे के विरुद्ध दिनांक 15–8–1971 को दर्ज कराये उचित ढंग से विवेचना की जा रही है। 15–8–1971 को क्षेत्राधिकारी तथा नगर पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर गये थे।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री ने.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप 15-8-71 को दर्ज कराये गये मामलों में इन्टेरेस्टेड पार्टी हैं। आप स्वयं विधायक हैं। इसमें लिखा है—"उपरोक्त दोनों मुकदमों में तथा दो आय मुकदमों में जो श्री डी० पी० बोरा, विधायक तथा श्री इन्द्रपाल सिंह, ने एक दूसरे के विरुद्ध दिनांक 15-8-71 को दर्ज कराये।" अगर ऐसी बात है जो किसी भी मामले में स्वयं सम्बद्ध है उसे इस मामले में.....

श्री डी० पी० बोरा—

जिस मुकदमें का आखिरी तारीख में रेफरेन्स दिया गया है वह डिफरैन्ट है ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, इससे सम्बन्धित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसे हमारी विशेषाधिकार समिति है, एक औचित्य का प्रश्न है कि अन्य किसी माननीय सदस्य का जिस विषय से सम्बन्ध हो उसमें उसे नहीं बोलना चाहिये । प्रश्न भी नहीं करना चाहिये इस सदन में । अपने किसी जुर्म सम्बन्धी मुकदमें की आड़ के लिये तो नहीं करना चाहिये ।

श्री डी० पी० बोरा—

ऐसी कोई बात नहीं है । वह डिफरेन्ट मुकदमा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय गृह मंत्री जी से पूछ लें कि क्या यह दोनों चीजें सम्बन्धित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने तो कह दिया कि सम्बन्धित हैं ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सम्बन्धित सदस्य को जानकारी है इस मामले में । अगर वह स्वयं भी एक पार्टी हों तो क्या सदन में इस मसले को साफ करने के लिए उनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जुर्म में कोई पार्टी हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, तो सदन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अपनी तरफ किसी राय को बनाने के लिए ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्री डी० पी० बोरा ने कहा कि मेरा इस मुकद्दमे से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह जो मामला है यह बिल्कुल अलग है.....

श्री उपाध्यक्ष—

विरोधी दल का कोई सदस्य हो तो हम समझ सकते हैं कि दो दल होने के कारण दो बातें हैं, लेकिन जब उसी दल का सदस्य हो.....

श्री त्रिवेणी सहाय—

अगर श्री बोरा ने अपने मामले में कोई रिपोर्ट लिखवाई है तो उस घटना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक सदस्य—

बोरा साहब कहते हैं कि सम्बन्धित नहीं है और उप गृहमंत्री जी कहते हैं कि सम्बन्धित है, तो हम कौन सी बात सही मानें ?

श्री डी० पी० बोरा—

मेरा इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

थाना चौक (लखनऊ) के श्री इन्द्रपाल सिंह, हेड़ मुहर्रिर द्वारा श्री नन्हा और उसकी बहन की पिटाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य १०३५

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य का ध्यान मैंने औचित्य की ओर दिलाया। सवाल करने से मैंने उन्हें नहीं रोका लेकिन औचित्य की जो बात आती है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए, वह मैंने कर दिया।

श्री डी० पी० बोरा---

श्रीमन्, यह मामला मेरी कांस्टीटुएन्सी का है। जो वक्तव्य इन्होंने दिया है उसके पहले पैराग्राफ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो मुकदमा 363 और 366 के अन्तर्गत मंगला और नन्हें के खिलाफ दर्ज करवाया है वह बिल्कुल झूठा है क्योंकि इन्द्रपाल सिंह की बहू का बयान जो कुमारी निशा सहाय, मजिस्ट्रेट के सामने दिया है, उसकी प्रतिलिपि यहां पर है.....

श्री उपाध्यक्ष ---

एक चीज जो मैजिस्ट्रेट के सामने है उसके बारे में आप राय दे रहे हैं.....

श्री डी० पी० बोरा---

वह कहते हैं कि बहला फुसला कर ले जाया गया और (व्यवधान) यह कहते हैं कि 15-8-71 को रात्रि में थाना चौक में रिपोर्ट लिखायी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर लगातार 10 तारीख से ग्राम मोहनीपुरवा के निवासी थाने में जाते रहे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लेकिन वहां के डी० वाई० एस० पी० मिश्रा जिनके कि इन्द्रपाल सिंह हैड मुहर्रिर थे, उसका बचाव करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी जब तक कि स्थानीय डी०आई० जी० खरे ने इन्टरफीयर नहीं किया। सबसे पहले तार 12-8-71 को माननीय उप मंत्री जी और सुपरिन्टेन्डेन्ट को भेजा है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, यह तो भाषण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कर लें।

श्री डी० पी० बोरा---

इन्द्र पाल सिंह हेड मोहर्रिर जो हैं इसके खिलाफ 28-6-71 को इसी थाने में 395 की नामजद रिपोर्ट थी लेकिन वहां के डी० वाई० एस० पी० ने.....

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से नहीं.....

आपका सवाल उस परिधि के अन्दर रहना चाहिए।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, क्या आप बोरा जी से भाषण दिलवा रहे हैं? यह औचित्य का प्रश्न है कि वे यहां सवाल नहीं उठा सकते हैं। जब आप यह कहते हैं कि वे यहां पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं तब फिर वे भाषण कैसे दे रहे हैं? आप इन को मना करें कि वे यहां भाषण न दें।

श्री डी० पी० बोरा---

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हेड कान्स्टेबिल इन्द्रपाल सिंह थाना चौक में कितने दिन से पोस्टेड हैं?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

निश्चित सूचना तो मेरे पास नहीं है, परन्तु वह कई वर्ष से पोस्टेड है। अब उनके स्थानान्तरण के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आप वक्तव्य को देखें। नन्हा की आंख में चोट आयी बतायी गयी और उनके अन्य १२ चोटें आयी बतायीं गयीं। डाक्टरी मुआयने से यह पता नहीं चलता है कि वे चोटें कैसे लगीं। डाक्टरी मुयायना कराने के लिए पुलिस का आदमी गया होगा। आज भी वह इलाज में हैं। मंगला को दो रोज तक लगातार पीटा गया और जुर्म हुआ है धारा ३४२/३२३ में। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दफा ३६६ क्यों नहीं लगायी गयी जबकि इल्लिगल कनफाइन-मेन्ट हुआ था। दूसरी तरफ मंगला और नन्हा के ऊपर मुकदमा ३६३।३६६ के अन्तर्गत कायम किया गया। यह सही है कि उस मुसम्मात ने एस० डी० एम० की कोर्ट में यह बयान दिया है कि मैं अपनी मर्जी से अपने मायके गयी थी।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उस स्त्री ने यह बयान दिया कि में अपनी मर्जी से गयी थी, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, मगर इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए कि कहीं पुलिस ने या और किसी ने ज्यादती न की हो यह केस सी० आई० डी० को जांच के लिए सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मंगला इन्द्रपाल के कब्जे से बरामद की गयी और डी०आई० जी० के हस्तक्षेप करने पर नन्हा को मुक्त किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

डी० आई० जी० के आदेश से मुक्त किया गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जिसने रोक रखा था उसको गिरफ्तार किया गया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या इन्द्र पाल के कब्जे से बरामद किया गया, यह जवाब नहीं दिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उसके कब्जे से बरामद नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जो रिपोर्ट १५-८-७१ को श्री डी० पी० बोरा के विरुद्ध लिखायी गयी है वह क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जो रिपोर्ट १५-८-७१ को लिखायी गयी है वह मेरे पास नहीं है--कल ही यह वक्तव्य के लिए हमारे पास आया था।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)--

आपने वक्तव्य में लिखा है कि श्री बोरा ने सिपाही के खिलाफ और सिपाही ने श्री बोरा के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी। आप उन दोनों को पढ़ दें।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

दोनों ने रिपोर्ट्स् लिखायी हैं, मगर हमारे पास डिटेल्ड एफ० आई० आरस० नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जल्दी में हुआ है ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

यह जरूरी है---दोनों को पढ़ें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कहते हैं कि अभी-अभी जवाब दें---सारी तफसील की बात कैसे मंगा सकते हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

ये दोनों रिपोर्ट्स पढ़ी जानी चाहिए ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

ये बड़े रेलेवेन्ट डाक्यूमेन्ट्स हैं । ये जरूर आने चाहिए वर्ना सारी चीज छिपी रह जायेगी ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार की तरफ से यह आता है कि यह सूचना हमारे पास नहीं है । अगर उनके पास सूचना आज नहीं है तो कल दे दें । सूचना की आवश्यकता के कारण मामला खटाई में पड़ जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ठीक है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

छिपाने का इरादा नहीं, जब आप कहेंगे तब दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब माननीय सदस्य कहते हैं कि आज दिया जाय तो इसकी सारी तफसील नहीं दी जा सकती है, कल इसे ले लिया जाय ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---

बयान में कहा गया था कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है । तो यह फायल में मौजूद होगी । आप बयान दें और उसका कागज न हो, ऐसा नहीं है, कागज मौजूद होना चाहिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैंने कह दिया कि अगर उपलब्ध होता तो मैं छिपाता नहीं ।

अनेक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है ।.....(व्यवधान)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जो यह बयान है वह फैक्ट्स के आधार पर है । उसमें आपने इसका जिक्र किया है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, तो यह चीज फायल में आपके पास होना चाहिये अगर नहीं है तो क्या मैं समझूं कि आप गैर जिम्मेदारी से बयान देते हैं । इसको पोस्टपोन किया जाय और दुबारा लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

पोस्टपोन कीजिये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

वह मेरी नजर से नहीं गुजरा है नहीं तो यह दिक्कत नहीं होती । मैं कल मंगाकर पढ़ लूंगा ।

श्री धर्मवीर---

एक ही प्रश्न के बारे में दो माननीय मंत्री जवाब देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मूल बात पर हम आते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कल के लिये यह रख दें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं नोटिस दे रहा हूं गृह मंत्री, श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध, उन्होंने सदन को मिसलीड किया है । जब एक रिपोर्ट छाप दी है तो उसको न बतलाना सदन के अवमान का प्रश्न है । रिपोर्ट की कापी नहीं दी गई है, तो कल कर दिया जाय । तो इसका फायल के अन्दर न होना मिसलीड करना है, तो कान्टेम्प्ट की बात है, कल के लिये आप स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कल तक के लिये स्थगित किया गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कल यह ले लिया जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपने मुझे समय नहीं दिया, मैंने एक डजर्नमेन्ट मोशन भेजा था ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो हो गया है, अब आगे चलिये । वह जो आपने दिया है उसको प्रश्नों में स्वीकार कर लेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

वह विषय ऐसा नहीं है कि प्रश्नों के जरिये से समाधान हो सके ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय राज्य मंत्री उप मंत्री को डाट र हे हैं । फायल में वह रिपोर्ट मौजूद है, वह छीना झपटी कर रहे हैं ।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

रिपोर्ट मिल गई होती तो वह पढ़ देता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

फायल पर कब्जा कर लिया जाय ।

थाना चौक (लखनऊ) के श्री इन्द्रपाल सिंह, हेड मुहर्रिर द्वारा श्री नन्हा और उसकी १०३६
बहन की पिटाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री राम कृष्ण द्विवेद्वी--

वह रिपोर्ट नहीं है, पूरी रिपोर्ट कल दे दूंगा। कन्टेन्टस की जानकारी रही है लेकिन एफ० आई० आर० की कापी इसमें नहीं है।

श्री डी० पी० बोरा--

मान्यवर मेरा प्रश्न था। मेरी बात सुन लें। मैं एक बात और माननीय गृह मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं। २८-६-७१ को थाना चौक में हेड कांस्टेबल इंद्रपाल सिंह के खिलाफ महाबली की नामजद रिपोर्ट है। उसकी भी मंत्री जी जानकारी कर लें कि क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपने दिया उसको आप स्वयं पढ़ लें। यह अलग बात है। इस तरह से तो आप इसकी परिधि को बढ़ाते जायेंगे।

श्री डी० पी० बोरा--

आप मुझे सुनना नहीं चाहते। आप मुझसे प्रीजीड्यूस्ड हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपने लिख कर दिया है उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

जब उसको स्थगित कर दिया है तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुन लें। इसमें लिखा है कि मैं निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर नियम ५१ के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि इन्द्रपाल सिंह हैड मोहर्रिर थाना चौक ने १०अगस्त से नन्हा और उसकी बहन को जबरदस्ती ६-७ दिन तक अपने यहां कैद रखा। नन्हा की आंख फोड़ डाली और उसके ऊपर इतनी चोटें मारी हैं कि वह मरणासन्न अवस्था में आज भी बलरामपुर अस्पताल में भर्ती है। उसकी बहन को बुरी तरह से मारा है जिससे फ्रेक्चर हो गया है और उसके गुप्तांग में चोट आयी है। पूरा मोहनीपुरवा गांव जो थाना चौक के अन्तर्गत आता है भयभीत और आतंकित है। पुलिस और वहां का सर्किल आफिसर मिश्रा जिसका कि इन्द्रपाल सिंह हैड मोहर्रिर था केस को दबाने की पूरी साजिश कर रहे हैं। गांव वालों को बार-बार जाकर आतंकित और डराया जा रहा है। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कांड से शहर के पिछड़े वर्ग और हरिजनों में विश्वास सरकार के प्रति उठ रहा है, असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है। पुलिस का आतंक बढ़ता जा रहा है। सरकार से आग्रह है इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर फौरन वक्तव्य दे जिससे परिस्थिति और बिगड़ने से बचे। जो आपने प्रश्न किया है उसी का जवाब तो आयेगा।

श्री विश्वनाथ कपूर--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। डाक्टर साहब नम्बर दो पर बैठते थे और अब वह नम्बर ३ पर पहुंच गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप आगे बैठते थे, अब वहां पीछे क्यों पहुंच गये ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, जिस स्थगन के प्रस्ताव पर आज्ञा मांगी थी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों के जरिये से पूरी जानकारी नहीं होगी और न ही समाधान हो सकेगा। मान्यवर, भर्ती के कुछ नयम हैं। १० अप्रैल, १९७१ को एस० के० गोस्वामी, जो कि कंबाइन्ड मेडिकल टेस्ट कमेटी के मेम्बर हैं, ने फार्म के साथ ही नियम सरकूलेट किये थे। नियम १५ में लिखा है कि No application shall be entertained unless it is made within 20 days of the publication of the selected candidates.

इसका यह मतलब हुआ कि अगर चुने हुये उम्मीदवारों के नाम छाप दिये गये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसको देख लेंगे। अगर नियमानुसार आप दिखला देंगे तो उसको कर देंगे।

एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा ट्रैक्टरों को एलाट किये जाने के विषय में १० अगस्त, १९७१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

प्रदेश में, मान्यवर, एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कायम हुआ वह इसलिये कि प्रदेश में कृषकों को सहायता मिले। मुझे जहां तक जानकारी है इसमें आधी पूंजी प्रदेशीय सरकार की है और आधी पूंजी केन्द्रीय सरकार की है। इसमें जितने उपकरण थे जैसे ट्रैक्टर या फर्टीलाइजर उनको मुख्तलिफ कंपनीज से खरीदकर कृषकों को बेचना शुरू किया। तो इसका आधार यह था कि जो कृषक बड़े-बड़े एजेन्ट्स से इन चीजों को नहीं खरीद सकते थे वे कन्ट्रोल रेट पर, समय से, इस कारपोरेशन से ट्रैक्टर आदि खरीद सकें। इसका संबंध हमारी हरी क्रान्ति से बड़ा भारी रहा है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो आवंटन ट्रैक्टरों का हुआ उसमें बड़ी गड़बड़ी की गयी। होना तो यह चाहिये था कि उनका आवंटन प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर होना चाहिये था। नीचे से बी० डी० ओ० वगैरह के यहां से जो फार्म स्वीकार होकर आता और जिस नम्बर पर वह यहां रजिस्टर होता उसी हिसाब से ट्रैक्टर मिलना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसको चाहा उसको ट्रैक्टर दिया। बीच में तो इस कदर गड़बड़ी हुई कि कुछ जिलों में इतने ट्रैक्टर दिये गये कि उतनी वहां जरूरत ही नहीं थी, किन्तु कुछ जिलों को बिलकुल ही छोड़ दिया गया, वहां एक भी ट्रैक्टर नहीं दिया गया। उस लिस्ट में कुछ जिलों का नाम तक नहीं था।

इसके अलावा मान्यवर, बड़े-बड़े ट्रैक्टर ज्यादा मंगाये गये जिनकी आवश्यकता ही न थी। डिमांड छोटे ट्रैक्टरों की जैसे डी०टी० २५ है, जीटर है, मैसी फार्गूसन है, हिन्दुस्तान है, इनकी ज्यादा थी। यह कम मंगाये गये।

एक घपला यह भी हुआ कि जैसे मेरे नाम से नोटिस दिया गया कि आप १५ दिन के अन्दर आकर अपना ट्रैक्टर ले लीजिये। वह नोटिस आफिस में ही फाड़ दिया गया। बाद को यह दिखा दिया गया कि संबंधित व्यक्ति ट्रैक्टर लेने नहीं आये, और वह ट्रैक्टर दूसरे को दे दिया गया। होना यह चाहिये था कि यह नोटिस रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि ट्रैक्टर आवश्यकता के अनुसार देना चाहिये। यह देखना चाहिये कि किसके पास कितनी भूमि है और उसको ट्रैक्टर की आवश्यकता भी है या नहीं। इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराना चाहिये। आज हो यह रहा है कि यहां से ट्रैक्टर तो ले लिया और बाद में उसको ब्लैक में बेच दिया। आज हमारे यहां, ट्रैक्टरों पर काफी ब्लैक चल रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। आज छोटे ट्रैक्टरों की बड़ी आवश्यकता है। इन पर बड़ा ब्लैक चल रहा है। मैसी फार्गूसन और हिन्दुस्तान पर काफी ब्लैक चल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को आबंटन के संबंध में कोई निश्चित नीति अपनाना चाहिये। इसके अलावा जिनको ट्रैक्टर देने का नोटिस आप दें वह रजिस्ट्री डाक द्वारा दें। आप बड़े ट्रैक्टर की जगह छोटे ट्रैक्टर मंगायें यही मुझे निवेदन करना था।

*कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, इस यू० पी० एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन की स्थापना २९ मार्च, १९६७ को हुई थी। पहले पहल दिसम्बर, ६७ महीने में यह विज्ञापन दिया गया था कि टैक्टरों के लिये जो लोग प्रार्थना-पत्र देना चाहते हों, वे दें। सन् ६७ से अप्लीकेसंस लेना शुरू हुआ था। पहले जीटर ट्रैक्टर्स के लिये प्रार्थना-पत्र मंगाये गये थे। मन्यावर, पहले यह भी नियम था--- प्रथम आया प्रथम पाया के अनुसार ट्रेक्टर्स आबंटित किये जांय, और वह नियम किसी मंडल बार न होकर पूरे जिले से कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं, उनके अनुसार प्रथम आया प्रथम पाया के सिद्धान्तानुसार ट्रेक्टर्स का आबंटन किया जाता था। बाद में यह नियम तो बदल दिया गया था। उसमें यह हुआ, २० अगस्त, सन् ७० को एक आदेश यह जारी हुआ कि जो टैक्टर्स लेना चाहेंगे प्रार्थना-पत्र देंगे। इसको विज्ञापन द्वारा प्रसारित किया गया था। २० अगस्त, ७० के बाद से बहुत से लोगों ने उसके लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ट्रेक्टर्स प्राप्त करने के लिये। २० अगस्त, ७० के बाद यह तय किया गया कि ५० प्रतिशत कोटा २० अगस्त, ७० के पूर्व प्राप्त प्रार्थना-पत्र वालों का दिया जायगा और ५० प्रतिशत २० अगस्त, ७० के बाद वाले प्रार्थियों को दिया जायगा। इसी प्रकार अब तक होता रहा है।

इसी आधार पर नीति बनाने से यह क्षोभ कुछ लोगों में जरूर हो गया कि जो ६७-६८ और उसके आसपास के लोगो के प्रार्थना-पत्र हैं, उनको ट्रैक्टर्स मिले, लेकिन ५० फीसदी केवल मिले थे और ५० फीसदी २० अगस्त, ७० के बाद वालों को मिल गया। यह इसलिये किया गया था कि केन्द्रीय सरकार ट्रैक्टरों का आबंटन प्रार्थना-पत्रों के आधार पर करती थी। जिस प्रान्त के जितने प्रार्थना-पत्र रहते थे उसी आधार पर केन्द्रीय सरकार से उस प्रदेश को ट्रैक्टर्स का आबंटन हो जाता था। बाद वालों की भी इसलिये ट्रेक्टर्स देना शरू किया गया जिससे प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैक्टर्स के लिये प्रार्थना-पत्र दें और उसी प्रार्थना-पत्रों के आधार पर हमें केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा कोटा मिल सके। यह इसीलिये केवल किया गया, लेकिन यह अवश्य हुआ कि इससे ६७-६८ व ६८-६९ के जो अप्लीकेन्टस थे उनको निराशा हुई कि ७० वालों को मिल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिल रहे हैं। इसकी जानकारी शासन को है। अब कारपोरेशन के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने ६, ७ व ८ जुलाई को अपनी एक बैठक की थी, जिसमें यह तय किया गया कि प्रान्त में जितने प्रार्थना-पत्र आये हैं, उनका एक रजिस्टर बना दिया जाय और प्रथम आया प्रथम पाया के अनुसार, जिस क्रम में दरख्वास्तें आयी हैं, उसी तरह से उनको रजिस्टर में प्रविष्ठ किया जाय और पहली अगस्त, ७१ से प्रथम आया प्रथम पाया के अनुसार आबटंन किया जायगा।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में ट्रेक्टर्स की कमी है, यह सर्व विदित है। प्रदेश में ३१ जुलाई, ७१ तक कुल १९,५६७ प्रार्थना-पत्र ट्रैक्टरों के लिये आये थे, उनमें से ३,९९९ ट्रैक्टर्स लोगों को दिये गये हैं। ३१ मार्च, ७१ को १५८१५ प्रार्थना-पत्र पेंडिंग थे ट्रैक्टर्स के आबटंन के लिये। इसके साथ-साथ १९६७-६८ व ६८-६९ के लोगों को जो निराशा हुई उनके भी प्रार्थना-पत्र १,२२६ के करीब ऐसे हैं जिनको ट्रैक्टर्स अभी तक नहीं मिल पाये हैं। कुल प्रार्थना-पत्र ४२०६

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सूरत उपाध्यय]

आये थे उनमें से १,२२६ लोगों को अभी ट्रैक्टर्स नहीं मिल पाये हैं। २,९८० लोगों को-ट्रैक्टर्स मिल गये हैं। जिलों का जहां तक सम्बन्ध है, चूंकि पहले ट्रैक्टर्स का आबटंन प्रार्थना पत्रों के आधार पर होता था, उन जिलों.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैंने नियम बना लिया है कि जो खड़ा होकर कहेगा कि हमको बोलने दिया जाय उसको बोलने नहीं दूंगा।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)--

यह नियम तो हाउस का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यही नियम है। बार-बार आप खड़े होंगे तो नहीं बोलने दिया जायगा। आपके दल के मंत्री बोल रहे हैं।

श्री त्रिवेणी राय--

मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय नहीं। जानकारी हासिल करनी हो तो दफ्तर में चले जाइये।

श्री श्याम सूरत उपाध्यक्ष--

यह सही है कि कुछ जिलों को ज्यादा ट्रैक्टर मिल गये हैं और कुछ जिलों को कम मिले हैं, मुजफ्फरनगर को 411, मेरठ को 348 और कुछ जिलों को 15 या 20 ही मिले हैं। पहले ट्रैक्टरों का आबंटन प्रार्थना-पत्रों की संख्या के आधार पर हुआ करता था जिन जिलों से ज्यादा प्रार्थना-पत्र आते थे उन जिलों को ज्यादा दिये जाते थे। लेकिन जिन जिलों से ज्यादा प्रार्थना-पत्र आये थे उन जिलों के बहुत ज्यादा प्रार्थना-पत्र शेष हैं जिनको ट्रैक्टर नहीं मिले हैं। बहुत से जिले हैं जिनमें 1967-68 का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं है जिसको ट्रैक्टर न मिला हो जैसे इलाहाबाद, फतेहपुर, झ सी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, एटा, बनारस डिवीजन और फैजाबाद डिवीजन, इन जिलों का 1967-68 का कोई प्रार्थना-पत्र पेंडिंग नहीं है। जिन जिलों को ज्यादा ट्रैक्टर मिले हैं वह जिले हैं जिन जिलों के प्रार्थनापत्र 1967-68 को अब भी अधिक हैं, जो पेंडिंग हैं। इसलिये उन जिलों में ज्यादा ट्रैक्टर चले गये हैं। मै आपको बतलाना चाहूंगा कि ट्रैक्टर के आबंटन का नियम बदल दिया गया है। अब पहली अगस्त, 1971 से जिलेवार न होकर मंडल में कृषि योग्य भूमि के अनुपात के आधार होगा। मंडल के अन्तर्गत जो जिले हैं, जिलों में ट्रैक्टर्स का जो आबंटन होगा, प्रार्थना-पत्रों के आधार पर होगा। इसलिये जो पहले की शिकायत है कि कुछ जिलों में ज्यादा ट्रैक्टर चले गये यह शिकायत दूर हो जायगी क्योंकि कृषि योग्य भूमि के अनुपात के आधार पर मंडल में आबंटन किया जायगा। जो पुरानी शिकायतों की चर्चा की है उनके सम्बन्ध में शासन की ओर से कृषि विभाग के विशेष सचिव श्री राजेन्द्रनाथ ने दो तीन दिन पूर्व बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स चेयरमैन को एक पत्र लिखा है। उसमें पांच छः चीजें हैं, जो प्रश्न विधान सभा में उठे हैं उन सबके बारे में जांच कराने के लिये भेजा है। उम्मीद है कि चेयरमैन साहब जांच करवायेंगे और जांच में जिसकी गलती पायी जायगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी।

ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा ट्रैक्टरों की एलाट किये जाने के विषय में १० अगस्त, १९७१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १ के सम्बबन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा १०४३

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मंत्री जी ने विस्तृत विवरण दिया है। हम लोग भुक्तभोगी हैं। 1967 से सरकार की व्यवस्था....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 49 में जो सदस्य बहस चाहते हैं वह बोला करते हैं। मंत्री जी जवाब देते हैं। अगर कोई सदस्य दिलचस्पी रखता है तो एक आध प्रश्न पूछ सकता है। बहस नहीं चल सकती है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

आप आज्ञा दे सकते हैं। उसको मैंने देखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुन लें। नियम यह है--"सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरः स्थापन करेंगे। सम्बद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुरः स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।"

श्री अनन्तराम जायसवाल--

समय का भी इस नियम में प्रति आधा घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

डी० टी० 14, फर्ग्यूसन तथा रूमानियन ट्रैक्टर्स की बड़ी मांग थी। क्या कृषि मंत्री जी बतलायेंगे कि जुलाई 71 के पहले जो व्यवस्था थी ट्रैक्टर्स के बटवारे की उसके लिये कोई कमेटी बनायेंगे जो यह जांच करेगी, कि किन अधिकारियों ने जानबूझ कर फर्जी दरख्वास्तों के आधार पर ट्रैक्टर्स का आवंटन किया है ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके ?

श्री उपाध्यक्ष--

कह चुके हैं कि कार्यवाही करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

ट्रैक्टर्स के आवंटन के लिये जो नीतियां निर्धारित की गयीं उन नीतियों के निर्धारण के कारण कितने काश्तकारों को नुकसान हुआ और उनको ट्रैक्टर नहीं मिल पाया क्योंकि प्रथम आया प्रथम पाया की नीति छोड़ दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

20-8-70 को 50 प्रतिशत लोगों को आवंटन किया पहले के प्रार्थना पत्रों पर और 50 प्रतिशत को बाद वालों के प्रार्थना पत्र पर तो इस प्रकार से जो 50 फीसदी बाद के प्रार्थना-पत्रों पर ट्रैक्टर्स का आवंटन किया गया वे किस प्रकार के ट्रैक्टर थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसमें दो किस्म के ट्रेक्टर मिले। 525 अभ्यर्थी बाद के थे और ५२६ अभ्यर्थी पहले से थे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री निर्देशक मंडल की बैठक की उस तिथि को बतलायेंगे जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उक्त तिथि के बाद के लोगों को भी ट्रेक्टर प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत के हिसाब से दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या माननीय सदस्य का किस तिथि से है ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या यह सही है कि कार्लटन होटल के प्रोप्राइटर ने जो टनेज क्लब बना रखा है उसके मेम्बर्स को बिना किसी शर्त के सबसे पहले ट्रेक्टर्स दिये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

टेनिस क्लब के 28 मेम्बर्स को ट्रेक्टर्स दिये गये और भारत सरकार के उस आदेश के अनुसार दिये गये जिसमें टनेज क्लब के सदस्यों को प्राथमिकता के हिसाब से प्रायरिटी बेसिस पर ट्रैक्टर्स देने के आदेश हैं।

श्री महीलाल --

क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि इस टनेज क्लब की मेम्बरशिप आम किसानों के लिये ओपिन नहीं थी बल्कि कुछ विशेष व्यक्ति उसके सदस्य बनाये जाते थे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)--

मैं यह जानना चाहूंगा कि जो टनेज क्लब के 28 मेम्बर हैं वे किस तारीख में उसके मेम्बर बने, कब उनको ट्रैक्टर्स एलाट किये गये और वे कहां के रहने वाले हैं ? मान्यवर वह टनेज क्लब लखनऊ में ही बना था। कहीं ऐसे तो नहीं है कि वे दो सौ मील दूर के रहने वाले हों और शाम को यहां पर आकर मेम्बर बने हों और उनको ट्रैक्टर्स दे दिये गये हों ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मंत्री जी आपकी सूचना को सही मानकर बतायें।

श्री राममूर्ति अंचल--

मैं माननीय जायसवाल जी का आभारी हूं, माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी का और आपका भी आभारी हूं कि जिन्होंने यहां पर इस विषय पर सदन में चर्चा कराई। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करा लें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जायसवाल जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में आप चाहते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, बार-बार इसको दोहराने से वह यह बताना चाहते हैं कि वह खुद अपनी सूचना को सही नहीं मान रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस बात को देखते हुये कि ये सारे ट्रैक्टरों में भ्रष्टाचार 17 फरवरी से और जिस दिन तक आप डिसमिस किये गये शायद 24 सितम्बर तक के बीच के हैं तो जिस प्रकार अन्य मंत्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं क्या उसी प्रकार आप भी जागरूक रहकर ट्रैक्टरों का आबंटन करेंगे? जैसे कि परिवहन मंत्री जी ने स्कूटरों और कारों का आबंटन किया है । . . . (व्यवधान) क्योंकि आप तो अधिकार लेना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप नजीर से कोई चीज सत्य कराना चाहते हैं ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, ट्रैक्टरों में जो यह आबंटन हुआ है वह 17 फरवरी से 24 सितम्बर तक हुआ है, उसी के सम्बन्ध में है ।

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

अभी मंत्री जी ने प्रश्नों के उत्तर में बताया कि ट्रैक्टरों के डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में पिछली बार जितनी अनियमितताएं सामने आई उनकी जांच के बारे में सरकार ने एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन को लिख दिया है कि वे इसकी जांच करें । मैं आपकी आज्ञा से यह भी बताना चाहता हूं कि एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के चेयरमैन एग्रिकल्चर मिनिस्टर ही रहते थे किन्तु पिछली वक्त 8 महीने जब मैं इसमें था और अब लगभग 5 महीने हो गये हैं, मैंने इस पद को कभी स्वीकार नहीं किया है और न स्वीकार करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री महीलाल---

मान्यवर, दिल्ली के टनेज क्लब के लिये ही भारत सरकार ने लिखा था, उत्तर प्रदेश सरकार के लिये नहीं लिखा था ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि लगभग 12 सौ ट्रैक्टर्स उन्होंने 1967-68 की दरख्वास्तों के ऊपर दिये तो इस सम्बन्ध में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1971 से अब तक जो ट्रैक्टर्स एलाट किये गये उनमें से 1967 की दरख्वास्तों में से कितने हैं, टनेज क्लब की दरख्वास्तों में से कितने हैं ? और क्या टनेज क्लब वालों को जो ट्रैक्टर्स दिये गये हैं वे सही जगहों पर हो चल रहे हैं अथवा उन्होंने जो फरजी भरकर दिये थे वहां पर चल रहे हैं ? इसकी सूचना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी इनक्वायरी करा सकते हैं ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

साफ-साफ जरा बता दें ।

श्री रियासत हुसैन—

जो ट्रैक्टर आपने 1,200 बतलायें हैं कि हमने 1967–68 वालों को दिये उसके आधार पर मेरा निश्चित प्रश्न यह है कि जो पहली जनवरी, 1971 के बाद अब तक जो आपने ट्रैक्टर अलाट किये हैं, इस बार उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तें सन 67 वाली हैं और कितने ऐसे हैं जो टनेज क्लब को प्रायोरिटी के आधार पर दिये गये और क्या आपने जांच करा ली है कि वह अपने फार्मों पर सही जगह पर चल रहे हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने अनियमितताओं के बारे में बतलाया है, हमारी शंकाओं का समाधान हो जानें दें, उसके लिए एक सदन की कमेटी बना दी जाय और वह उसकी जांच करे । वित्तीय वर्ष 1971–72 में मंत्री जी बता दें, कि उन्होंनें कितने ट्रैक्टर यहां से बांटने का लक्ष्य रखा है, क्या केन्द्रीय सरकार से आवश्यक लिखा-पढ़ी कर ली गयी है या नहीं ? और तीसरी बात यह है कि जो उनको सूचना दी जाय वह रजिस्टर्ड पोस्ट हो—तो इन तीनों बातों को बतला दिया जाय ।

डाक्टर सीताराम—

ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन और गवर्नमेंट ने भारत सरकार को लिखा है और ट्रैक्टर्स के बारे में आगे की पालिसी क्या होगी वह 26 तारीख को इसी हाउस में घोषणा करूंगा कल नहीं दे सकूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल 11 बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
24 अगस्त, 1971 ।

नत्थो 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५३ पर)

सहारनपुर तथा मेरठ जिले के मलेरिया विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवायें दिनांक १-१-६९ से ३०-४-७१ की अवधि में समाप्त की गई थी :—

१—श्री विजय प्रताप सक्सेना, हेल्थ इन्सपेक्टर, मेरठ। २—श्री आर० के० गुप्ता, सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टर, मेरठ। ३—श्री मोहर सिंह, सर्वेक्षण निरीक्षक, पूर्वी मेरठ। ४—श्री राजेन्द्र प्रसाद पंत, सर्वेक्षण निरीक्षक, पूर्वी, मेरठ।

एन०एम०ई०पी० यूनिट, मेरठ पूर्व

५—श्री सत्यपाल गृह दर्शक
६—श्री वालेश्वर सिंह गृह दशक
७—श्री जयपाल, गृह दर्शक
(—श्री वालिस्टर सिंह गृह दर्शक
९—श्री हरलजन सिंह, गृह दर्शक
१०—श्री रमेश, आई० एफ० डब्लू
११—श्री दौलत सिंह, चपरासी

जिला स्वास्थ्य कार्यालय, मेरठ

१२—श्री छितर मल बेसिक हेल्थ वर्कर
१३—श्री हरि ओम ,,
१४—श्री नसरूद्दीन ,,
१५—श्री शिव चरण दास ,,
१६—श्री मंगल सिंह ,,
१७—श्री ओम प्रकाश त्यागी ,,
१८—श्री ओम पाल वर्मा ,,
१९—श्री इन्द्र पाल भारती ,,
२०—श्री जगवीर सिंह ,,
२१—श्री जगमल सिंह ,,
२२—श्री मामराज ,,

एन०एम०ई०पी० यूनिट, सहारनपुर

२३—श्री महेन्द्र सिंह, गृह दशक
१४—श्री रेग सिंह, गृह दर्शक
२५—श्री वृजभूषण लाल गुप्ता, गृह दर्शक
२६—श्री राम औतार, आई० एफ० डब्लू० जिला स्वास्थ्य कार्यालय, सहारनपुर

२७—श्री राउमोहम्मदनर खां बेसिक हेल्थ वर्कर
२८—श्री जरीफ अहमद ,,
२०—श्री जिया लाल ,,

३०—श्री सईद अहमद ,,
३१—श्री सरजीत सिंह ,,

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५४ पर)

इलाहाबाद नगर महापालिका कर्मचारियों की मांगें

प्रान्तीय स्तर की मांगें

(१) वेतन आयोग घोषित हो उसमें कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल किए जायं—उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त प्रादेशिक स्तर पर स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए १९६९ में घोषित तथा स्थगित तथा १९७१ में घोषित वेतन आयोग की पुनः घोषणा की हम आपसे मांग करते हैं ताकि १९४९ का पुराना लागू वेतन क्रम बदला जा सके और आयोग के सदस्यों के रूप से स्थानीय निकाय कर्मचारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाय।

(२) केन्द्रीय या राज्य कर्मचारियों के समान सुविधा वेतन और मंहगाई भत्ता उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी प्रदान की जाय। भारत राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के ३ १/२ लाख स्थानीय कर्मचारियों को उचित मंहगाई भत्ता जो राज्य कर्मचारियों के समान हो तथा अन्य सुविधा तुरन्त ही, घोषित करे।

(३) उत्तर प्रदेश सेन्ट्रलाइज्ड सरविसेज समाप्त की जाय, उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयता सेवा नियमावली, १९६६ समाप्त घोषित हो अथवा उसमें प्रत्यक्ष भर्ती समाप्त की जाय। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को आयु तथा शैक्षिक योग्यता में छूट देकर अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाय। स्थानान्तरण की दशा में निःशुल्क आवास सुविधा प्रदान की जाय।

(४) मंहगाई भत्ता का भार शासन वहन करे— उत्तर प्रदेश की अधिकांश स्थानीय निकाय अधिक्रान्त, आर्थिक विषमताओं और ऋणी चल रही है। प्रदेश में मंहगाई बढ़ने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है अतः मंहगाई भत्ते का भार उत्तर प्रदेश सरकार वहन करे ओर सभी निकायों में एक ही दर की मंहगाई दी जाय।

(५) पंच महापालिकाओं में एक समानता हो —जब कवाल टाउन्स में एक ही सेवा नियमावली और कानून लागू है तो मंहगाई तथा वेतन में भी कहीं अन्तर न किया जाय। कानपुर में 85 रु० मिलती है अतः इलाहाबाद में भी इतनी धनराशि प्रदान की जाय।

(६) अभी हल में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित १० रु० मंहगाई भत्ता राज्य कर्मचारियों को तथा निकाय कर्मचारियों को ८ रु० देने की राजाज्ञा तुरन्त ही भेजी जाय। और सौतेले व्यवहार समाप्त कर लोकल वाडीज में भी १० रु0 मंहगाई भत्ता देना शासन स्वीकार करें।

स्थानीय मांगें

(१) नगर महापालिका इलाहाबाद की बैठक दिनांक १९–१२–७० के सर्व सम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव जो राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु मुख्य नगर अधिकारी ने २९–१२–७० को भेजा है उस पर तुरन्त ही स्वीकृति प्रदान की जाय।

(२) राजाज्ञानुसार महापालिका का विकास विभाग के बने (धन या ऋण से) मकान १० किराए पर ही समस्त अध्यापक, मेहतर तथा अन्य वर्ग के कर्मचारियों को प्रदान किए जायं। इलाहाबाद में नियुक्त सेन्टीलाइज्ड सेवा के कर्मचारियों से ७८ रु० छोटे कर्मचारियों से ३७ रु० किराया लेना बन्द किया जाय।

(३) इलाहाबाद में महापालिका कर्मचारियों के लिए एक अलग से कर्मचारी कालोनी राज्य सरकार से अनुदान लेंकर बसायी और बाद में वह मकान कर्मचारियों को अपना घर योजना के रूप में कुछ मासिक किस्त पर दे दिए जायं।

(४) महापालिका के शिक्षकों की सेवा नियमावली अविलम्ब घोषित की जाय।

(५) मेहतर सफाई कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाय और अतिरिक्त काम के लिए ओवरटाइम दिया जाय ।

(६). शिक्षा अधीक्षक के खाली पद को भरा जाय और राज्य सरकार से आयु में छूट मांग स्थानीय (महापालिका) कर्मचारियों से ही नियुक्ति की जाय ।

(७) इलाहाबाद महापालिका अधिकारियों की मनमानी पक्षपात नियमों के विरुद्ध नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नति स्थायीकरण निलम्बन, अनुशासनात्मक, दमन कार्य चक्र पराज्य सरकार नियन्त्रण करे। दोष ना सिद्ध होने की दशा में निलम्बन आदेश पारित करने वाले अधिकारी के वेतन से उतने धन की काटौती कर महापालिका कोष में जमा किया जाय।

(८) अध्यापक कर्मचारियों को जन गणना, पशु गणना तथा दोहरे शासन अर्थात राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों से मुक्त कर केवल मुख्य नगर अधिकारी या शिक्षा अधीक्षक के अधीन रक्खा जाय।

(९) 27 जून, 1968 को हुए चुनाव समिति के प्रतिवेदन पर नियुक्त (घोषित) चुने गए राज्स्व निरीक्षक (रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स) के चुनाव को शासन वैध घोषित करे। यह मामला काफी समय से शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

(१०) दैनिक वेतन भोगी गैंग कर्मचारियों को स्थायी लाभ देने हेतु 180 पदों का सृजन राज्य सरकार 30–1–40 के वेतन क्रम, सामान्य मंहगाई पर शीघ्र स्वीकार करे।

(११) ट्रेन्ड (प्रशिक्षण प्राप्त) अध्यापिकाओं को अनट्रेन्ड टीचर का वेतन न देकर ट्रेन्डग्रेड का वेतन दिया जाय ।

(१२) इलाहाबाद महापालिका के समस्त कर्मचारियों को 15 रु0 मेडिकल भत्ता तथा 20 मासिक शहरी भत्ता एवं 20 आवास भत्ता के रूप में राज्य सरकार देना तुरन्त घोषित करें।

नत्थियां 'ग'

(देखिए ता० प्र० सं० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर)

वित्त [सामान्य–१] विभाग

संख्या जी––१–१४३३/दस २०७–१९७१

लखनऊ, ५ जुलाई, १९७१

संकल्प

राज्य सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों का एक वेतन आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है जिसके विचारणीय विषय नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं ––

(१) श्री सैयद अली जहीर .. .. अध्यक्ष

(२) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, संसद सदस्य, यू० पी० इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लखनऊ .. .. सदस्य

(३) डा० बलजीत सिंह, प्रोफेसर आफ इकनामिक्स, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ,,

(४) श्री माखन लाल मिश्र, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी .. ,,

(५) श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, सदस्य, विधान सभा, उ० प्र० देहरादून .. ,,

(६) श्री माता प्रसाद, सदस्य, विधान सभा, उ० प्र० जौनपुर .. ,,

(७) श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, उ० प्र०, बिजनौर .. .. ,,

(८) श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी, सदस्य, विधान सभा, उ० प्र० हरदोई .. ,,

(९) श्री सुल्तान आलम खां, सदस्य विधान परिषद्, उ० प्र० .. ,,

(१०) श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, उप कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर .. ,,

(११) श्री जे० डी० शुक्ला, अध्यक्ष, राजस्व, परिषद्, उ० प्र० .. .. ,,

(१२) श्री के० के० शर्मा, आयुक्त, रुहेलखण्ड मंडल .. .. ,,

(१३) श्री भरत नारायण, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश .. ,,

(१४) डा० आर० बी० सिंह, प्रिंसिपल, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ .. ,,

(१५) श्री ए० सी० मित्रा, रिटायर्ड इंजीनियर-इनचीफ .. .. ,,

२––श्री हरकृष्ण मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, वेतन आयोग के असदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

३––आयोग के विचाराणीय विषय निम्नलिखित होंगे––

(१) राज्य सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों के वर्तमान ढांचे पर विचार करना और अन्य बातों के साथ-साथ राज्य की आर्थिक दशा तथा मूल्यों के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये एक न्यूनतम निर्वाह वेतन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, पुनरीक्षण की सिफारिश करना ।

(२) इसी प्रकार की सिफारिश स्थानीय निकायों (जिला परिषदों, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया समितियों, नगरपालिकाओं, और महापालिकाओं), तथा प्राइमारी स्कूलों, शासन से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालजों, पोस्ट ग्रजुएट कालजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवं प्राविधिक संस्थाओं के शैक्षिक एवं शिक्षेणतर कर्मचारियों के संबंध में भी करना ।

(३) संसाधनों की उपलब्धता तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निमित्त की गई बचनबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त (१) और (२) के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों तथा शिक्षण संस्थाओं को क्या कदम उठाने चाहिये, इनके सम्बन्ध में सिफारिश करना।

(४) ऐसे विशिष्ठ मामलों पर, जो शासन के वित्त विभाग द्वारा आयोग को भेजे जायं, विचार करना और सलाह देना।

४—आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा और अपने विचार विमर्श के लिये वह समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठकें करेगा। वह ऐसी सूचना मंगा सकता है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

५—आयोग अपनी सिफारिशें शासन को 15 जनवरी, 1972 तक प्रस्तुत करेगा।

आज्ञा से,

प्रकाश चन्द जैन

विशेष सचिव।

नथित्यां 'घ'

सूची १

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६१ पर)

वर्ष १९६८–६९ में किये गये वह फसली प्रदर्शन की सूची, विकास खण्ड गौरी बाजार, देवरिया

क्रम-संख्या	नाम कृषक	ग्राम	खरीफ	रवी		कुल धनराशि/अन्य
			उर्वरक मूल्य	उर्वरक मूल्य	दवा का मूल्य	
			रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
	सर्वश्री—					
१	ज्ञानप्रकाश सिंह	भटौली खुर्द	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
२	राम प्रताप सिंह	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
३	हंसराज	कालाबन	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
४	रघुनन्दन	खरटिया	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
५	जगत नारायण पांड़े।	भुटौली घुजुर्ग	२७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६	गोरख सिंह	गौरी बुजुर्ग	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
७	बद्री सिंह	बढ़ई पुरवा	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
८	हंसा सिंह	मदरसन	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
९	लाल बहादुर सिंह	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
१०	ब्रह्म दत्त सिंह	नरायनपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
११	महेन्द्र सिंह	बसहिया	१७ २०	२४.१०	८.७०	५०.००
१२	परमहंस सिंह	देवगांव	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
१३	विन्ध्याचल सिंह	इन्दूपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
१४	देवशरण सिंह	,,	१७ २०	२४.१०	८ ७०	५०.००
१५	राम रती	सेखई	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
१६	मो० कोशिलया देवी।	सांडा	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
१७	चनर सिंह	सांडा	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
१८	राम लखन सिंह	बर्दगोनियां	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
१९	बलिराम	विनायक	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
२०	उमाशंकर तिवारी	मठिया	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
२१	कोमलपांडे	हरपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
२२	विश्वनाथमल्प	रामनगर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
२३	कल्पनाथ	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
२४	प्रहलाद सिंह	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
२५	महातम सिंह	बिशुनपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००

क्रमांक	नाम कृषक	ग्राम	खरीफ		रबी		कुल धनराशि/ अन्य
			उर्वरक मूल्य	उर्वरक	मूल्य दवा का	का मूल्य	
१	२	३	४	५	६	७	
२६	रामपति सिंह	विशुनपुरा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
२७	केदार सिंह	करमहा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
२८	देवताराय	बरियांव	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
२९	पारस राय	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३०	सहाब राब	रसौली	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३१	ज्ञान प्रकाश सिंह	लपबनी	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३२	कलाश सिंह	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३३	रामलोचन सिंह	पथरहट	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३४	फलेश्वर राय	मरिया	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३५	सूर्यनरायन सिंह	बेलवा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३६	फौजदार	सोनापरशु राम	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३७	रामकबल	भृगुसरी	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३८	करिया	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
३९	बृजनन्द	करमेल	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४०	शिवपूजन	छपौली	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४१	शिवनरायन	अवटहा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४२	शंकर	पिपरा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४३	बच्चन यादव	मेहड़ा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४४	शिवमंगल	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४५	जगरनाथ	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४६	रामजी सिंह	नरायनपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४७	बृजराम भल्ल	बरनई	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४८	सुदामा सिंह	सेखाना	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
४९	त्रिवेणी सिंह	बेतालपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५०	भुजेश्वर मणी	बरारी	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५१	दूधनाथ मणी	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५२	बचान मिणि	महुआडीह	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५३	हीरामन	महुआडीह	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५४	अम्बिका	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५५	पुरुषोत्तम	तेन्दुही	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५६	पशिन्द मल्ल	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५७	भागीरथी यादव	घतुरा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५८	रामबिलास	महअवा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
५९	भगवान	सिरजमदेई	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
६०	लक्ष्मण	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००
६१	सीता	जतपुरा	१७.२०	२४.१०	८.७०		५०.००

१ २	३	४	५	६	७
सर्व श्री—		रु०	रु०	रु०	रु०
६२—विश्वनाथ	विशुनपुरा	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६३—कोकिला	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६४—विद्यार्थी	सकरापार	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६५—गुलाबमणि	अरईपार	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६६—बंशराज राव	चर्तुभुजपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६७—लालजी राव	गोरदापुर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६८—विश्वनाथ राय	,,	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००
६९—भगवान मणि	गोविन्दपुर	१७.२०	२४.१०	८.७०	५०.००

सूची (२)

वर्ष १९६९—७० में किये गये बहु फसली प्रदर्शन की सूची, विकास खंड गौरीबाजार, देवरिया

क्रमांक	नाम कृषक	ग्राम	खरीफ	रबी	कुल धनराशि
			दवा का मूल्य	दवा का मूल्य	
सर्व श्री—			रु०	रु०	रु०
१—	वशिष्ट राव	चतुर्भुजपुर	३९.४२	१०.५८	५०.००
२—	विद्यार्थी मिश्र	सकरापार खुर्द	३९.४२	१०.५८	५०.००
—	जगरनाथ मणि	बलुआ	३९.४२	१०५८	५०.००
४—	बच्चा मणि	बासपारबु०	३९.४२	१०.५८	५०.००
५—	गणेश साहू	रूचापार	३९.४२	१०. ८	५०.००
६—	शिवमंगल	ह'	३९.४२	१०.५८	५०.००
७—	विश्वनाथसिंह	नरालनपुर	३९.४२	१०.' ८	५०.००
८—	बलदेव मणि	बरनई	३९.४२	१०.५८	५०.००
९—	सत्यनारायण मल्ल	,,	३९.४२	१०.५८	५०.००
१०	शिवनरायणसिंह	कटहा	३९.४२	१०.५८	५०.००
११—	रामधनीसिंह	,,	३९.४२	१०. ८	५०.००
१२—	देवमित्र	अकरहा पिपरा	३९.४२	१०.५८	५०.००
१३—	त्रिबेनी सिंह	बैतालपुर	३९.४२	१०.५८	५०.००
१४—	पजेश्वर	बरारी	३९.४२	१०.५८	५०.००
१५—	सूर्य नाथ मणि	,,	३९ ४२	१०.५८	५०.००
१६—	सीता	जतपुरा	३९.४२	१०.५८	५०.००
१७—	मित्थला चौबे	भगवानपुर	३९.४२	१०.५८	५०.००
१८—	महाबीर	जतपुरा	३९.४२	१० ५८	५०.००
१९—	कमलकिशोर	बढ़ई पुरवा	३९ ४२	१०.५८	५०.००
२०—	रामभजन सिंह	मदरसन	३९.४२	१०.५८	५०.००
२१—	गंगा	,,	३९ ४२	१०.५८	५०.००
२२—	पुरुषोतमलाल	तेन्दुही	३९ ४२	१०.५८	५०.००
२३—	पसिध्दलाल	,,	३९.४२	१०.५८	५०.००

१	२	३	४	५	६
सर्व श्री—		रु०	रु०	रु०	रु०
२४—कमलेन्द्र मणि		उषोपुर	३९.४२	१०.५८	५०.००
२५—प्रहलाद सिंह		रामनगर	३९.४२	१०.५८	५० ००
२६—सिंहासन तिवारी		लुअब्ही	३९.४२	१०.५८	५०.००
२७—रामदास तिवारी		,,	३९.४२	१०.५८	५०.००
२८—सुल्तानमियां		भटालीबू०	३९.४२	१०.५८	५०.००
२९—रामहर्ष सिंह		गोरीबूर्जगेट	३९.४२	१०.५८	५०.००
३०—लक्ष्मी सिंह		खरटिया	३९.४२	१०.५८	५०.००
३१—महातम		विशुनपुरा	३९ ४२	१०.५८	५०.००
३२—सदाफल		डमरी	३९.४२	१०.५८	५०.००
३३—जगतमणि उपाध्याय		देवतहा	३९.४२	१०.५८	५०.००
३४—सूर्यनाथ पांडे		भवमनाली	३९.४२	१०.५८	५०.००
३५—मानू राय		चरिदांव बुजर्ग	३९.४२	१०.५८	५०.००
३६—हीरा		पडरी	३९.४२	१०.५८	५०.००
३७—हंसनाथ यादव		कालावन	३९.४२	१०.५८	५०.००
३८—कैलाशपति सिंह		भटौली खुर्द	३९.४२	२०.५९	५०.००
३९—सुन्दर		कालावन	३९.४२	१०.५८	५०.००
४०—रामचन्द्र उपाध्याय		ककबल	३९.४२	१०.५८	५०.००
४१—राम नरायन		तन्दुवारी	३९.४२	१०.५८	५०.००
४२—बनवारी राय		चरियावखास	३९.४२	१०.५८	५०.००
४३—राम प्रताप		विनायक	३९.४२	१०.५८	५०.००
४४—सीताराम		हरपुर	३९.४२	१०.५८	५०.००
४५—अक्षैवर		कर्जहो	३९.४२	१०.५८	५०.००
४६—चन्द्रबली सिंह		बढ़या	३९.४२	१०.५८	५०.००
४७—देवशरन मणि		बेलहो	३९.४२	१०.५८	५०.००
४८—ब्रजनारायन		बढ़या	३९.४२	१०.५९	५०.००
४९—बीर बहादुर सिंह		उसरी खुर्द	३९.४२	१०.५८	५०.००
५०—रियासत अली		मदनो	३९.४२	१०.५८	५०.००
५१—चन्द्रिका सिंह		सांडा	३९.४२	१०.५८	५०.००
५२—ज्ञान प्रकाश सिंह		लमकनी	३९.४२	१०.५८	५०.००
५३—महम बंटम भारती		मठिया पाकी	३९.४२	१०.५८	५०.००
५४—राम प्रसाद सिंह		पपरहट	३९.४२	१०.५८	५०.००
५५—सूरज सिंह		मडुआडीह	३९.४२	१०.५८	५०.००
५६—मुनेश्वर		,,	३९.४२	१०.५८	५०.००
५७—मानदत्त मणि		,,	३९.४२	१०.५८	५०.००
५८—चन्दन यादव		पकना	३९.४२	१०.५८	५०.००
५९—नोरम सिंह		खिरजमदेई	३९.४२	१०.५८	५०.००
६०—सोहनदयाल		,,	३९.४२	१०.५८	५०.००
६१—हरमिलन उपाध्याय		मरिया	३९.४२	१०.५८	५०.००
६२—कान्हू ओंका		अकरा	३९.४२	१०.५८	५०.००
६३—कमलेश मल्ल		खानापरशुराव	३९.४२	१०.५८	५०.००

१	२	३	४	५	६
सर्वश्री—			रु०	रु०	रु०
६४—श्याम बिहारी सिंह	इन्दुपुर		३९.४२	१०.५८	५०.००
६५—दूधनाथसिंह	,,		३९.४२	१०.५८	५०.००
६६—	जुगलजिला सेन		३९.४२	१०.५८	५०.००
६७—हीरा सिंह	देवगांव		३९.४२	१०.५८	५०.००
६८—खदान बिहारी सिंह	खजुरिया		३९.४२	१०.५८	५०.००
६९—नगीना	होअमिहा		३९.४२	१०.५८	५०.
७०—परमहंस	कलाई		३९.४२	१०.५८	५०.००
७१अहरदेव	करनल		३९.४२	१०.५८	५०.००
७२—रामलाल	परजोखिना		३९.४२	१०.५८	५०.००

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६१पर)

गौरी बाजार विकास खण्ड में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत कार्य का विवरण वर्ष १९६८-६९

१--मद--मुर्गीबाड़ा का निर्माण--

कुल ४ ००.००

क्रम-संख्या	कार्य स्थल		व्यय
१	अध्यक्ष युवक मंगल दल, पोखराभिण्डा	.. ..	१५००.००
२	अध्यक्ष युवक मंगल दल, भुगखरी	.. ..	१५००.००
३	अध्यक्ष, युवक मंगल दल, नारायनपुर	..	१५००.००
	मिसलेनियस खर्च सामान आने आदि में तीनों स्थान पर व्यय	..	२००.००
		योग ..	४ ००.००

२--स्कूल गार्डनिंग .. .. कुल .. १२०००.००

(क) कूप निर्माण--

१	प्राइमरी पाठशाला, हरीरामपुर	.. .. ..	१०००.००
२	श्रीनेत इन्टर कालेज, इन्दुपुर	.. .. ..	१०००.००
		योग ..	२००० ००

(ख) बोरिंग कार्य--

१	प्राइमरी पाठशाला, गौरी बाजार	.. .. ..	२३०.००
२	प्राइमरी पाठशाला, औरा चोरी	..	३३० ००
३	श्री नेत इन्टर कालेज, इन्दुपुर	.. .. ..	३००.००
४	जूनियर हाई स्कूल, इन्दुपुर	.. .. ..	३००.००
५	जूनियर हाई स्कूल, बखरा	.. .. ..	२५०.००
६	प्राइमरी पाठशाला, हरीरामपुर	.. .. ..	२५०.००
		योग ..	१६६०.००

(ग) गूल निर्माण--

१	प्राइमरी पाठशाला, इन्दुपुर	.. .. ..	४००.००
२	प्राइमरी पाठशाला, गौरी बाजार	.. .. ..	६००.००
३	प्राइमरी पाठशाला, औरा चौरी	.. .. ..	५०० ००
४	प्राइमरी पाठशाला, पथरहट	.. .. ..	१५०.००
		योग ..	१६५०.००

(घ) फैंसिंग—

१—एंगिल आयरन जो विभिन्न स्कूलों के लिए खरीदा गया	..	२२५५.००
२—काटेदार तार जो विभिन्न स्कूलों के लिए खरीदा गया	..	४५३.७८
योग	..	६९०८ ७८
इसके अतिरिक्त लेबर चार्जेज एवं अन्य खर्चे में, धनराशि जो व्यय हुआ		६८१.२२
कुल		१२,९००.००

गौरी बाजार विकास खण्ड में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत कार्य विवरण वर्ष १९६९–७०

१—मद-मुर्गीबाड़ा का निर्माण—		९०००.००
कार्यस्थल		व्यय
१—अध्यक्ष, युवकमंगल दल, खैरटिया	.. ..	१५००.००
२—अध्यक्ष, युवक मंगल दल यांगम ..	.. ..	१५००.००
३—अध्यक्ष, युवक मंगल दल कमदानी	.. ..	१५००.००
४–अध्यक्षा, महिला मंगल दल, लपकनी	.. ..	१५००.००
५—अध्यक्ष, महिला मंगल दल, पथरहट	.. ..	१५००.००
६—जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बरपार	.. ..	१५००.००
योग	..	९०००.००
२—स्कूल गार्डेनिंग—	कुल	२१५००.००

(क) कूप निर्माण

१—प्राइमरी पाठशाला, गहिला	..	..	१८००.००
२—प्राइमरी पाठशाला, परखोतिया	..	..	१८००.००
३—प्राइमरी पाठशाला, असनहर	..	..	१८००.००
४–प्राइमरी पाठशाला, विक्रमपुर	..	..	१८००.००
५—जूनियर हाई स्कूल, बरपार	..	..	१८००.००
	योग	..	९०००.००

(ख) बोरिंग कार्य—

१—प्राइमरी पाठशाला, लपकनी	..	..	२६४.००
२—प्राइमरी पाठशाला, गहिला	..	..	२६४.००
३—प्राइमरी पाठशाला, परखोतिमा	..	..	२६४.००
४—जूनियर हाई स्कूल, अकटहा	..	..	२६४.००
५—जूनियर हाई स्कूल, अतराखास	..	..	२६४.००
६—जहायर सेकेन्ड्री स्कूल, बरवार	..	..	२६४.००
	योग	..	१५८४.००

(ग) गूल निर्माण—			रु०
२—जूनियर हाई स्कूल, इन्दुपुर	..	..	.. २५०.००
		योग	.. २५०.००
(घ) कूप मरम्मत—			
१—प्राइमरी पाठशाला, लपकनी	..	..	.. ८००.००
२—जूनियर हाई स्कूल, अतरा	..	..	.. ५००.००
३—जूनियर हाई स्कूल, अकटहा	..	..	.. ८००.००
		योग	.. २,१००.००
(ङ) फैंसिंग—			
१—जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल, असनहर, गहिला, परखोतिमा, अकटहा, बापार विक्रमपुर एवं बतरा ।			६३९.५०
२—एंगिल आयरन एवं कांटेदार तार जो विभिन्न स्कूलों को दिया गया			५,६१०.२०
		योग	.. ६,२४९.७०
(य) वासर रहट—			
१—जूनियर हाई स्कूल, अकटहा	..	..	.. ७००.००
२—जूनियर हाई स्कूल, बतरा	..	..	.. ७००.००
३—जूनियर हाई स्कूल, लकपनी	..	..	.. ७००.००
		योग	.. २,१००.००
अन्य खर्च लेबर, भाड़ा आदि	..	..	.. २१६.००
			२१,५००.००

गौरी बाजार विकास खण्ड में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत कार्य का विवरण, वर्ष १९७०–७१

		कुल
२—मद-मुर्गी बाड़ा का निर्माण—		.. ९,०००.००
		व्यय
१—अध्यक्ष महिला मण्डल दल, असनहर		.. १,५००.००
२—अध्यक्ष, महिला मण्डल दल, रतनपुर	..	.. १,५००.००
३—अध्यक्ष, महिला मण्डल दल, करानी		.. १,५००.००
४—अध्यक्ष युवक मंगल दल, देवगांव		.. १,५००.००
५—अध्यक्ष, युवक मंगल दल, मटाली बुजुर्ग	..	.. १,५००.००
६—अध्यक्ष, युवक मंगल दल, बखरा	..	.. १,५००.००
	योग	.. ९०००.००

२—स्कूल गार्डेनिंग—

			रु०
(क) कूप निर्माण—			
१—प्राइमरी पाठशाला, मगुखरी	..	..	.. २,०००.००
२—प्राइमरी पाठशाला, साड़ा	..	..	.. २,०००.००
३—प्राइमरी पाठशाला, उसरा	..	..	.. २,०००. ०
४—जूनियर हाई स्कूल, वनस्पती	..	..	.. २,०००.००
		योग	.. ८,०००.००
(ख) बोरिंग कार्य—			
१—प्राइमरी पाठशाला, भगुखरी	..	..	.. ५००.००
२—प्राइमरी पाठशाला, उसरा	..	..	.. ५००.००
३—प्राइमरी पाठाला, सांड़ा	..	..	.. ५००.००
४—प्राइमरी पाठशाला, कतीरा	..	..	.. ५००.००
५—प्राइमरी पाठशाला, रेश्री	..	..	.. ५००.००
६—प्राइमरी पाठशाला, बलटिकरा	..	..	.. ५००.००
७—प्राइमरी पाठशाला, विकनपुर	..	..	.. ५००.००
८—जूनियर हाई स्कूल, वनस्पती	..	..	.. ५००.००
		योग	.. ४,०००.००
(ग) गूल निर्माण—			
१—प्राइमरी पाठशाला, लपकनी	..	..	.. ३००.००
२—प्राइमरी पाठशाला, अकटहा	..		.. ३००.००
		योग	.. ६००.००
(घ) कूप मरम्मत—			
१—प्राइमरी पाठशाला, कतौरा	..		.. ५००.००
२—प्राइमरी पाठशाला, रेश्री	..		.. ५००.००
		योग	१,०००.००
(ङ) फैंसिंग—			
१—जूनियर हाई स्कूल, धतुरा, अकटहा, प्राइमरी स्कल, लपकनी असनहर, परखोतिमा, गहिला एवं अरवार हाई स्कूल			.. ८०३.६५
		योग	.. ८०३.६५
अन्य व्यय	..	..	.. .. २०४.००
		योग	.. २०४.००

(य) फेंसिंग—

				रु०
१—जूनियर हाई स्कूल, धतुरा खास	..	..	..	४०५.००
२—जूनियर हाई स्कूल, अकटहा	..	..	..	६०.००
३—हायर सेकेन्ड्री स्कूल, जरवार	..	..	..	३००.००
४—प्राइमरी पाठशाला, गहिला	..	..	..	३००.००
५—प्राइमरी पाठशाला, असनहर	..	..	..	४०५.००
६—प्राइमरी पाठशाला, लपकनी	..	..	..	१०५.००
७—प्राइमरी पाठशाला, परसखोतिमा		..	..	३००.००
			योग	१,६०५.००

(ख) फेंसिंग–एंगिल आयरन जो निम्नलिखित स्कूलों को देने को शेष है—

१—प्राइमरी पाठाला, भगखरी	..	..	..	४८०.००
२—प्राइमरी पाठशाला, उसरी	..	..	..	४८०.००
३—प्राइमरी पाठशाला, सांड़ा	..	..	..	४८०.००
४—प्राइमरी पाठशाला, कतारां	..	..	..	४८०.००
५—प्राइमरी पाठशाला, रेश्री	..	..	..	४८०.००
६—प्राइमरी पाठशाला, बलींटकरा	..	..	..	४८०.००
७—जूनियर हाई स्कूल, बनस्पती	..	..	..	४५०.००
८—अन्य खर्च भाड़ा, मजदूरी आदि	..	..	..	१५७.०५
			योग ..	३,४८७.०५
			सम्पूर्ण योग ..	२०,०००.००

कुल

(३) महिला मंगल दल को पुरस्कार एवं युवक मंगल दल को पुरस्कार ६,५००.००

व्यय

महिला मंगल दल—

१—महिला मंगल दल	अतरडीहा	..	..	..	७००.००
२— तदेव	इन्दुपुर	..	..	..	७००.००
३— तदेव	दुबेगांव	..	..	..	७००.००
४— तदेव	खरटिया		..	..	७००.००
५— तदेव	पयरहट	..	..	..	७००.००
६— तदेव	रामपुर	..	..	..	७००.००
७— तदेव	लगड़ी	..	..	..	७००.००
८— तदेव	करांना (देवगांव)		..	..	७००.००
९— तदेव	भुटौली बुजुर्ग	..	..	..	७००.००
१०— तदेव	खरा बनुआं		..	..	७००.००
				योग ..	७,०००.००

युवक मंगल दल—

१—युवक मंगल दल,		नारायनपुर	..	..	.. ५००.००
२—	तदेव	आगम	..	..	.. ५००.००
३—	तदेव	लपकनी	..	..	.. ५००.००
४—	तदेव	पोखरा भिण्डा		..	.. ५००.००
५—	तदेव	खैरटिया	..	..	.. ५००.००
				योग	.. २,५००.००

सहयोगी संगठनों के लिये साज-सज्जा—

१—महिला मंगल दल,		अतरडीहा	..	..	.. १०००.००
२—	तदेव	इन्दुपुर	..	..	.. १०००.००
३—	तदेव	देवगांव (पडरौना)		..	.. १०००.००
४—	तदेव	भुटाली बुजुर्ग	..	..	.. १०००.००
५—	तदेव	खरामनुआ	..	..	.. १०००.००
				योग	.. ५०००.००

संपूर्ण योग .. ३५००.००

कुल ५०००.००

(श्याम बिहारी लाल)
उप सचिव।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पष्ठ ६७४ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९७१) के २रे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री गोविन्द सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
६—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में कितने सरकारी अस्पतालों में और कब से कोई डाक्टर या वैद्य नहीं है? इनमें से कितने अस्पतालों में एम० बी० एस० डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं, और उनमे कब से एम० बी० बी० एस० डाक्टर की नियुक्तियां नहीं की गई हैं?	निम्नलिखित सरकारी चिकित्सालयों में उनके सम्मुख उल्लखित तिथियों में कोई डाक्टर व वैद्य तैनात नहीं है— एलोपैथिक चिकित्सालय १—गोमतीघार पी० एच० सी, मई, १९६१, २—जौनपुर, पी० एच० सी०, नवम्बर २१ १९६२। ३—सुमनपुर महिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर मई १९, १९७०। इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय १—लम्बाब डिस्पेन्सरी, मार्च १, १९७० २—सकलाना डिस्पेन्सरी, जुलाई २४, १९६९ ३—अन्जनीसेन डिस्पेन्सरी,जुलाई १२, १९६९ उपरोक्त सभी एलोपैथिक चिकित्सालयों में एम० बी० बी०एस०अर्हता प्राप्त डाक्टरों के लिये पद स्वीकृत हैं। इन चिकित्सालयों के सम्मुख उल्लिखित तिथियों से ही एम०बी०बी०एस० अर्हता प्राप्त डाक्टर तैनात नहीं है। राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, स्वास्थ्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९७५ पर)

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, १७१

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम १९६३ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ ।

१—(१) वह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स (संशोधन) अधिनियम १९७१, कहलायेगा ।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९६३ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, १९६३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

"(क) "जिला कमान्डेन्ट" का तात्पर्य किसी जिले में होम-गार्ड्स के समादेशाधिकारी से है;"

(२) खण्ड (झ) तथा (ठ) निकाल दिये जाएं ।

धारा ६ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(३) जिला मैजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए किसी जिले में होम-गार्डस का प्रशासन जिला कमान्डेन्ट में निहित होगा और उसके द्वारा किया जायगा ।"

धारा ८ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ८ में, खण्ड (क) में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान शब्द पर "जिला मजिस्ट्रेट या जिला कमान्डेन्ट" रख दिये जाएं ।

धारा १३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

(१) उपधारा (४) में शब्द "बटालियन के कमान्डेन्ट" के स्थान पर शब्द "जिला कमान्डेन्ट" रख दिए जाएं, तथा

(२) उपधारा (५) में शब्द "बटालियन का कमान्डेन्ट" के स्थान पर शब्द "जिला कमान्डेन्ट" रख दिए जाएं ।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार की राय से १९६२–६३ के दौरान चीनी आक्रमण से उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिये उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स संगठन बनाया गया था। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि ऐसी अनुमोदित मदों के व्यय का जो सभी राज्यों द्वारा अंगीकार किये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमान के रूप हों, पचास प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा सुझाए गए प्रतिमान में यह व्यवस्था है कि प्रशिक्षण लम्बे समय तक और सुसंगठित रीति से दिया जाय जिससे दक्षता का स्तर अपेक्षाकृत और ऊंचा हो। तद्नुसार उक्त प्रतिमान को अपनाने का निश्चय किया गया है।

२—नये प्रतिमान के अन्तर्गत कोई भी बटालियन नहीं होगी और बटालियन कमान्डेन्ट के पद भी समाप्त करने होंगे। नये प्रतिमान के कारण जिला कमान्डन्ट के पदों को सृजित करने की आवश्यकता होगी।

३—अतएव, उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, १९६३ में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५९ एल० ए०—१९७२—८४५।